(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का छियालीसवां दिवस [संख्या : 4

गुरुवार,

6 मार्च, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : वन्दे मातरम्।

राष्ट्र-गीत

(वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम्। मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।)

प्रश्न।

मांग

माननीय सदस्यों का निलम्बन व उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही वापस लेने की मांग

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभ-नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रश्नकाल शुरू करें...

श्री मदन मोहन (खैरथल) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या को लेकर मैं धरने पर बैठता हूं।

(श्री मदन मोहन, सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उसके पहले मैं प्रतिपक्ष की ओर से कुछ निवेदन करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा से। थोड़ा समय दीजिये ताकि मैं अपनी बात कह सकूं।

(श्री मदन मोहन, सदस्य द्वारा धरना समाप्त)

मान्यवर, जनवरी में 20, 21, 22 को विधान सभा सत्र आहूत किया गया था जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय अभि-भाषण करने पधारे थे। 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जो घटनाएं सदन में चलीं जिनके सम्बन्ध में प्रतिपक्ष को ज्यादा जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सही और गलत क्या है वह तो सदन में चर्चा

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

करेंगे तब बात आएगी। मैं चाहता हूं कि उन मुद्दों को स्पष्ट किया जाए कि हमारी जिम्मेदारी कहां तक थी। उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष यह चाहता था कि राजस्थान में जो बिजली का संकट है, किसान त्रस्त है, किसान दुःखी है, फसलें जल रही हैं....

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : आम आदमी दुःखी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आम आदमी भी दुःखी है। आप तो इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं आप तो दुःखी होंगे ही, लेकिन आम आदमी, किसान इस बिजली से त्रस्त है। सरकार कोरे आश्वासन देकर चुप्पी साध लेती है। प्रतिपक्ष के पास क्या रास्ता था कि सरकार को इस सम्बन्ध में मजबूर करें ताकि किसानों की समस्या का वह समाधान करें। हमें बोलने का अवसर न दें, हमारा मुंह बन्द कर दिया जाए, हमारी वाणी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास चारा क्या है? यदि हम वैल में आ जाते हैं तो हमें कहते हैं अनुशासनहीन हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं और आपने भी राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही को अच्छी तरह से देखा है। वैल में ही नहीं, मुझे तो ज्ञान है कि राज्यपाल महोदय के कपड़े भी फाड़ दिये गये थे, धोती खोल दी गयी थी। वह काम तो संवैधानिक दर्जे का माना जाता है और राज्यपाल महोदय को यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोकते हैं तो उसका दोषारोपण हम पर किया जाता है। उनका अन्तरकलह कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बन सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बिजली की इतनी घोर अव्यवस्था है। पिछले दिनों किसान यहां राजस्थान सचिवालय के बाहर हजारों की संख्या में बैठे थे, आज भी बैठे हैं और आज भी किसानों की रैली आने वाली है। सरकार जब उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती तो विपक्ष के पास, उपाध्यक्ष महोदय, क्या चारा है? हम क्या करें, आप मार्गदर्शन दीजिये। भरतपुर में बाढ़ आयी, आज उधर बैठे हुए सत्ता पक्ष के सदस्य उत्तेजित क्यों हैं? इननडेशन में लाखों एकड़ भूमि खराब हो गयी, किसी ने किसानों की सुध नहीं ली। मलेरिया में लोग पीड़ित हो गये। जयपुर में जो कांड हुआ, नगरपालिका ने जो फोगिंग किया उससे लोग मर गये। इन सब समस्याओं की ओर उस समय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। उपाध्यक्ष महोदय, जब वाणी पर रोक लगायी गयी, प्रतिपक्ष के हक को कमजोर करने की कोशिश की गयी तो हम अपने अधिकार को काम में लेंगे और अधिकार के तहत सरकार को मनवाने का हमारा प्रयत्न रहेगा।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : सावधान हो जाओ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सावधान तो मैं नहीं करना चाहता। कालूलाल जी, आपका साफा मोटा है, मेरे माथे कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्ति से सुनें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष कारगर ढंग से उठाना चाहता हैं। आज राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पुलिस थाने में मौतें होती हैं, पुलिस में लोगों की सुनवाई नहीं होती है और कहा जाता है कि बहुत अच्छा शासन चल रहा है। तारीफ कर दूंगा मैं भी कि अच्छा चल रहा है लेकिन दिखता है क्या? क्या दिखता है क्या पुलिस थानों में मौतें कब हुई? मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बाद भी कि अगर थाने में मौत हो जाएगी तो पूरे थाने को सस्पैन्ड कर दिया जाएगा, पुलिस थाने में मौतें कम हुई है क्या? नतीजा क्या निकला? वह की वह हो गयीं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने की कोई कोशिश की गयी हो पर वह नाकामयाब रही हैं।

श्री सांवरलाल (राज्य मंत्री,सहायता): प्रश्नकाल के बाद बोलें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपको तकलीफ हो तो बैठ जाऊं। सांवरलालजी जाट साहब को तकलीफ हो तो मैं बैठ जाऊं।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : बहुत अच्छा बोल रहे हो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मुझे आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 20, 21,22 को जो घटनाएं यहां हुई उनमें ये मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर कुछ सदस्य उत्तेजित हुए। लेकिन उत्तेजित सदस्यों में से किसने किसको थप्पड़ मारी? उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के किसने किसको थप्पड़ मारी? नहीं मारी। बी.जे.पी. के मंत्री को थप्पड़ मार दी। उपाध्यक्ष महोदय, वह कांड विशेषाधिकार क्यों नहीं बना? सदन में मंत्री को एक सदस्य थप्पड़ मार दे, वह विशेषाधिकार हनन में नहीं आता है? वह आपने देखा है। और फिर मंत्री ने जाकर, किसी के सहयोग से वहां जाकर उनको फिर मारने की कोशिश की। यह सब घटना किस बात को दर्शाती है? उपाध्यक्ष महोदय, मार खाते रहो, मारते रहो, कोई बात नहीं। इन सब बातों को लेकर हमारे संसदीय कार्य मंत्री रघुवीरसिंह जी कौशल भी वहां जा पहुंचे, उन्होंने भी उनके हाथ पकड़ कर, कहा जाता है कि पिटवाने में सहयोग किया। (व्यवधान) मुझे बोलने दीजिये। महावीर प्रसादजी, आपसे कम ज्ञानी हूं क्योंकि आप तो महावीर भगवान के अनुयायी हो लेकिन मैं भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूं।

इन सब कार्यवाहियों के बारे में हमने अध्यक्षजी का ध्यान आकर्षित किया लेकिन अध्यक्षजी मौन रहे। अध्यक्षजी मौन रहे, बल्कि सारा दोषारोपण कांग्रेस पार्टी पर करने का उन्होंने निरन्तर प्रयास किया। 22 तारीख को सदन 6 मार्च तक के लिए स्थगित करके चले गये और उसके बाद आज सदन में यहां उपस्थित नहीं हुए, क्या कारण है? अविश्वास प्रस्ताव तो देर से आएगा। अभी प्रारम्भ में वे बिराजते तो मैं उनको कहता, उनसे निवेदन करता, उनसे अनुरोध करता। अगर कार्यवाही आसन की गरिमा के अनुसार होती तो यह व्यवधान इस देश में पैदा नहीं होता। सदन में उच्छृंखलता पैदा नहीं होती।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। ये कारण किसने पैदा किये, क्यों पैदा हुए, उसकी थोड़ी-सी भूमिका मैंने आपके सामने रखी लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय इसी आसन पर विराजमान थे, कहा कि मैं आधा घंटे के लिए यह सदन स्थगित करता हूं। कहा था न, कहा था। नहीं-नहीं, मेरे पास कापी है।

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला बाद में आ रहा है, उस समय तक के लिए आप....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : शब्द हैं ये। ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि किस तरह से कार्यवाही में रद्दोबदल किया जा रहा है। जो अधिकार अध्यक्ष महोदय को नहीं है, जो अधिकार सचिव महोदय को नहीं है, जो निर्णय इस पवित्र सदन द्वारा किया गया उसको उलटा जा रहा है। आप यह कार्यवाही किस आधार पर करना चाहते हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह लाइन पढ़कर सुना रहा हूं। +++ मैंने चिट्ठी लिखी, +++ लेकिन चूंकि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया। नेता महोदय बाहर चले गये, उनके कागजों को ढूंढा तो यह कापी मिली। मैं उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : +++

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : +++ मैं पढ़ रहा हूं इस लाइन को खासकर से, ज्यादा समय नहीं बरबाद करना चाहता हूं। "उपरोक्त सभी माननीय सदस्यों का आचरण गरिमा गिराने के आपराधिक किस्म का है, इसलिए सदन उनकी सदस्यता को 22 जनवरी, 97 से तीन माह के लिए निलम्बित करता है।" यह प्रस्ताव आया है। अब प्रस्ताव का समर्थन कैसे हुआ, इसको देखिये। "प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।" इन माननीय सदस्यों को तीन माह के लिए विधान सभा की कार्यवाही से निष्कासित किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, लेकिन अभी यह मोशन मूव नहीं हुआ है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : क्या सर ? मैं तो अपनी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय के खिलाफ मोशन मूव नहीं हुआ है। (व्यवधान)।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो बैकग्राउण्ड है, उस बैकग्राउण्ड की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं सदन को, आपको और सदन के नेता को। अब हमारे सचिव महोदय ने क्या आदेश निकाला है. इस आदेश को पढ़िये आप। सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया तीन माह के लिए, यहां कर दिया पूरे परिसर से जिसमें गेट भी शामिल कर दिया, बैंक भी शामिल कर दिया, उप-भवन भी शामिल कर दिया, लाइब्रेरी भी शामिल कर दी और यह चौपड़ भी कर दी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(व्यवधान) अच्छा होता, सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ को भी इसमें जोड़ देते तो ज्यादा फायदा हो जाता ताकि ये सब प्रदर्शन बन्द हो जाते। मैं पूछना चाहता हूं, हाउस सर्वोच्च हैं या विधान सभा का अध्यक्ष सर्वोच्च है? विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में संशोधन करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को नहीं है। अध्यक्ष हमारे सविधान के कस्टोडियन हैं और उसके तहत बने नियम उन पर लागू होते हैं जो इस विधान सभा द्वारा पारित किये गये हैं। मैं आपका ध्यान रूल 292 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

"292–सदस्यों का बाहर चला जाना, सदस्य का निलम्बन :

(1) यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो वह उस सदस्य का नाम ले सकेगा जो अध्यक्ष-पीठ के प्राधिकारी की उपेक्षा करे या जो हठपूर्वक और जानबूझकर सदन के कार्य में बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग करे।"

अब इसका टू है। "(2) यदि किसी सदस्य का अध्यक्ष द्वारा इस तरह नाम लिया जाएं तो वह तुरन्त प्रश्न रखेगा कि सदस्य (उसका नाम लेकर) को सत्र के अवशिष्ट काल तक सदन की सेवा से निलम्बित किया जाए।"

यह रूल 292 है। अब आपने कर दिया तीन माह के लिए। ये तीन माह आपके पास कहां और किस अधिकार से आये? कौनसी कांस्टीट्यूशन....

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब सत्र जो यह चल रहा है, इसके अवसान तक।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 90 दिन तक, आज दिन तक भी यह सदन नहीं चला है। 90 दिन तक तो यह सदन आज दिन तक नहीं चला। आप कहते कि सत्र के अंत तक निष्कासित करता हूं, मैं मानता कि रूल की पालना की गई है। अध्यक्ष महोदय को इस तरह से रूल की अवहेलना करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सर्वोच्च सदन, जो यह पवित्र सदन है, इसके द्वारा किये गये निर्णयों को उलटने का उनको कोई अधिकार नहीं है।

इसके बाद समाचार-पत्रों में छपता है, हमारा आचरण सदन के नेता गलत मानते हैं। मेरे अकेले का नहीं, सभी सदस्यों का। कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं कि हमने गलती की होगी। जो गलती यहां वैल में आकर की तो वैल में आने का तो हमारा अधिकार है। थपथपाओ मत मेजें, जो हमारा अधिकार है, उसका हमने उपयोग किया। वैल में आते रहे हैं, आते रहेंगे। सदन के नेता, सत्ता पक्ष के लोग जब इधर बैठते थे तो वे यहां यही काम करते थे, यहां बिछौने भी करते थे, सदन में बैठे भी रहते थे, रात-रात भर कार्यवाही यहां चलती रहती थी। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठोड़ : खाना भी यहीं खाते थे।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सुरक्षाकर्मी के कपड़े खोल दो। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने धोती खोली है, आपने धोती खोली है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं बोलें। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि वे बीच में व्यवधान नहीं डालें, बोलने दें। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के किसी व्यवहार के बारे में अगर सजा देने का अधिकार है तो वह सर्वोच्च सदन को है लेकिन समाचार पत्रों में आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि फौजदारी मुकदमा चलाने की तैयारी कर रहे हैं सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप। हम डरते नहीं हैं, हम घबराते नहीं हैं लेकिन विधान सभा के अध्यक्ष के जो अधिकार हैं, इस सर्वोच्च सदन के जो अधिकार हैं, उनको सीमित क्यों करना चाहते हैं? क्या आप जुडीशियरी को देना चाहते हैं? क्या जुडीशियरी को यह अधिकार देना चाहते हैं? क्योंकि जुडीशियल आफिसर यहां बैठे हुए हैं इसलिए देना चाहते? आज कोई भी सदस्य सदन में कोई गलत काम करता है उसको सजा देने का प्रावधान इन नियमों के तहत इस सदन को और अध्यक्ष महोदय को है। फिर क्या जरूरत है यह फौजदारी मुकदमे की? आप डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं? हम महात्मा गांधी के चेले हैं, हम डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। (व्यवधान) कालूलाल जी, आप तो बिराजो। आप ऊपर हैं, मैं नीचे हूं। (व्यवधान) मैं लम्बा समय आपका नहीं खराब करूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : सुजानसिंह जी, आप कुछ कहो, आप महात्मा गांधी के चेले हो या चन्द्रास्वामी के चेले हो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : यह आज का सबसे बड़ा मजाक है कि आप महात्मा गांधी के चेले हो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, हम चेले हैं, यह गर्व से कहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सुखराम के नहीं हो क्या?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सुखराम को आपको सौंप दिया। सुखराम तो आपको सौंप दिया।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : आप आडवाणी के हो जो हवाला में फसे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस विवाद में मत पड़ो, अभी तो कोर्ट में वहां आडवाणी जी के खिलाफ सबूत पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? (व्यवधान)

मेरा नम्र निवेदन है कि 22 जनवरी को जो पांच विधायकों का निलम्बन किया है और जो परिभाषा परिसर की अब लागू की है, वह अवैधानिक है, इसको तत्काल वापस लिया जाए।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

उसके बाद, 11 और 5, 16 सदस्यों के खिलाफ आपने विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा है, मेरे ख्याल से यह आनन कस्टोडियन आफ द रूल्स है. कस्टोडियन आफ द कांस्टीट्यूशन है। आसन देख रहा था कि माननीय दिलावर के गुर्जर ने थप्पड़ मारी, उसको क्यों छोड़ दिया ? आप सदन में शांति रखना चाहते हैं, सदन में व्यवहार ठीक रखना चाहते हैं, मिनिस्टर को थप्पड़ मार दे और फिर मिनिस्टर दूसरे को मार दे, वह विशेषाधिकार में नहीं आता है ? वह प्रिविलेज में, विशेषाधिकार के प्रश्न पर नहीं आता है और ये आ गये ? इनमें से कई आदमियों को तो आपने पहले सस्पैण्ड कर दिया, निलम्बित कर दिया, फिर विशेषाधिकार लगा दिया। मेरे ख्याल से कानून में ऐसा कोई नहीं है कि एक जुर्म की चार-चार सजा दो आप। यह काहे की सजा दे रहे हैं ? इसलिये.... (व्यवधान)....आ रहा हूं, भाई आ रहा हूं। प्रिविलेज के तहत जो मोशन है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और हठधर्मी का परिचायक है इसलिए उसका तत्काल विथड्रा किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : मांग संख्या तीन।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसा है कि अभी समय लगेगा, अभी समय लगेगा, घबराओ मत। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय अभी मौजूद नहीं हैं, मैं जानकारी चाहता हूं, डिमाण्ड पास करने के वक्त लाबी क्लियर करानी थी तो लाबी में क्यों नहीं गये। आपने लिख दिया लाबी क्लियर, कोरम बैल से घंटी कब बजाई, फिर हाउस में ही खड़े करके वोट गिन.... कब गिने ? मैं विधान सभा में पांचवीं बार जीतकर आया हूं, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा जो दृश्य उस दिन उपस्थित हुआ था। पुलिस के रक्षाकर्मियों की दीवार बना दी गयी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्यों ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे ख्याल से राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देश की विधान सभाओं का भी मुझे ज्ञान है, ऐसे नाटकीय ढंग से पुलिस का घेरा डालकर, पुलिस की दीवार बनाकर प्रस्ताव पास करने का नजरिया क्या हमारी विधान सभा की गरिमा के अनुकूल था ? इसलिए इस तरह का जो व्यवहार किया, हम अध्यक्ष के प्रति खेद प्रकट करते हैं, उन्होंने पुलिस छावनी बना दी। आज भी बना दी होगी, कोई फर्क नहीं। उनको डर था कि कहीं वे निलंबित सदस्य नहीं आएं। वे भी मर्यादित हैं, अनुशासित हैं, वे क्यों झगड़ा करेंगे।

श्रीमती कमला : वह तो सदन में ही आ गये थे सब।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी एक्स. एम. एल. ए. इस लाबी में बैठ सकता है, इस सदन में आ सकता है, ऐसा अधिकार कहां से प्राप्त हो गया ? सर्वोच्च सदन के ऊपर अध्यक्षजी हैं क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारी चार मांगें मुख्य हैं। पहली, जो निलम्बन किया वह अवैधानिक है, 292 का प्रोसीजर फालो

Page No. 8

(8)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

नहीं किया गया है। दूसरा, धमकी देकर जो कार्यवाही करना चाहते हैं, मेहरबानी करके उनके खिलाफ भी विशेषाधिकार लाइये। क्या धमकी दी जा सकती है कि हम फौजदारी मुकदमे अलग चलाएंगे ? वे अगर सम्माननीय सदस्य हैं तो उधर बैठने वाले चाहे रिबेल हों, चाहे इधर बैठने वाले हों, वे भी सम्माननीय सदस्य हैं। उनके अधिकार की सुरक्षा करना इस आसन का दायित्व बनता है और आसन केवल सत्ता पक्ष के इशारे पर सदन छोड़ कर नीचे उतर गया। आधे घंटे चले गये और फिर स्लिप कोई पकड़ाता है तो ऊपर आकर कहते हैं, मैं निष्कासित करता हूं। क्या तमाशा है ? ऐसा लगता है कि हमारे अध्यक्ष निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। हमने जो विश्वास उन में व्यक्त किया, जो संसदीय प्रणाली है उसमें उनको विशेषाधिकार नहीं है, विवेकाधीन अधिकार है। किताब मैं लाया नहीं, कोट कर देता।

श्री उपाध्यक्ष : आप अविश्वास पर बोल रहे हैं क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तो सब मुद्दों पर बोलूंगा, साहब, इजाजत देंगे तो।

श्री टीकमचन्द कांत : सब मिक्स हो रहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अंत में, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज भी किसानों की समस्या यथावत है, आज भी बिजली किसानों को नहीं मिल रही है चाहे मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर दें। अगर यह कहते हैं कि आठ घण्टे बिजली मिलती है तो मैं न्योता देता हूं, चलो मेरे इलाके में, कहां आठ घंटे बिजली मिल रही है।

श्रीमती कमला : फसलें बरबाद हो रही हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : फसलें बरबाद हो रही हैं किसानों को तबाह किया जा रहा है और मेम्बर्स को अपनी बात यहां कहने से वंचित किया जाता है। कानून व व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार, इन सब बातों को जो मैंने पहले कही हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : भ्रष्टाचार।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कई मुद्दे हैं, उन सब से, उधर बैठे हुए सदस्य भी उद्वेलित हैं। कानाफूसी जब हमसे करते हैं, कि यार हम भी दुखी हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। आप कहोगे तो नाम ले दूंगा, कौन-कौन कहता है।

एक माननीय सदस्य : नाम मत लेना, साहब।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अच्छा छोड़ो। तो मैंने आपका समय लिया और चार इश्यूज के बारे में आपसे निवेदन किया। उन इश्यूज पर और विशेषकर सदस्यों का निलम्बन, विशेषाधिकार का समापन, किसानों को बिजली, भरतपुर और दूसरे इलाकों में बाढ़ और जो बीमारियां फैलीं, उसकी असफलता और भ्रष्टाचार का मुद्दा हमारे सामने है। अध्यक्ष महोदय का आचरण प्रतिपक्ष के प्रति बिलकुल

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

नकारात्मक रवैया दिखता है। जब तक प्रतिपक्ष को विश्वास में लेकर नहीं चलेंगे, जब तक प्रतिपक्ष के सदस्यों की भावना के अनुरूप यह शासन काम नहीं करेगा, मैं, मेरे दल के सदस्य, जनता दल और निर्दलीय सदस्य ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : कुछ निर्दलीय।

एक माननीय सदस्य : सहयोगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : निर्दलीय सदस्य, जिनका हमारे से सम्बन्ध है और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको आज आपने आने से मना कर दिया। यह आपका अंदरूनी झगड़ा है, आप तय कर लो। निकाल दो पार्टी से, मैं कहां रोक लगा रहा हूं ? इन पांचों मुद्दों पर जब तक फैसला नहीं होता तो, जैसा मैंने कहा, मैं और मेरा दल, जनता दल, निर्दलीय सदस्य और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं और सदन के मुख्य द्वार पर धरना देते हैं, सांकेतिक।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसी राजस्थान के सदन में.... (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। अंकित नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री शिवकिशोर सनाढ्य। प्रश्न।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : प्रश्न संख्या 103.

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय आपके समक्ष अपने भाषण में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शांति, कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, सदन के उप नेता बोल रहे हैं, शांत रहें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपके समक्ष अपने भाषण में अपनी सफाई देते हुए कुछ सवाल खड़े किये हैं। मैं सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने जो सवाल यहां खड़े किये हैं और जो सफाई रखी है उसके सम्बन्ध में अपनी बात रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सारा सदन और सारा प्रदेश इस बात का साक्षी है कि 22, 23 और, नहीं 20 21 और 22 तारीख को प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार इस सदन में

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हिंसात्मक कार्यवाहियां कीं और विधान सभा के सम्पूर्ण नियमों को ताक पर रख कर जो आचरण किया वह अक्षम्य आचरण है, जनता की नजर में भी और कानून की नजर में भी। उसके बावजूद भी वे आज यह कहना चाहते हैं कि हम बिजली के मामले में बाढ़ के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, महिलाओं के बारे में चर्चा करना चाहते थे। उस समय भी हमने बार-बार उनको निवेदन किया और 21 तारीख को तो तीन बार हमने हाउस एडजोर्न किया। उनकी सारी बातें हमने मंजूर कीं और निवेदन किया कि आप इन विषयों पर चर्चा करिये, सरकार चाहती है कि इन विषयों पर चर्चा हो। लेकिन चर्चा करने के बजाय न केवल वे वैल में आकर हुल्लड़ मचाते रहे बल्कि उन्होंने हिंसात्मक कार्यवाहियां भी विधान सभा में कीं जो राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुईं। मान्यवर, उनका यह कहना कि हम इन विषयों पर चर्चा करना चाहते थे, सत्य नहीं है। सत्य यह है कि प्रतिपक्ष ने उस समय एक रणनीति बनाई थी कि राजस्थान में सरकार को गिराने के लिए विधान सभा में गुजरात जैसा माहौल खड़ा कर दिया जाए, महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण नहीं देने दिया जाए और वैल में आकर हिंसात्मक उपद्रव किया जाए, ताकि केन्द्र सरकार को यह रिपोर्ट भिजवायी जा सके कि विधान सभा में इन घटनाओं के कारण राजस्थान में संवैधानिक व्यवस्था असफल हो गयी है इसलिये इस राज्य सरकार को रहने का अधिकार नहीं है, इसको भंग किया जाए। यह एक षडयन्त्र था, जिसका आभास सत्ता पक्ष को मिल गया था और इसलिये राज्यपाल महोदय को भी उनकी इन इच्छाओं के बारे में पूर्व सूचित कर दिया गया था। सत्ता पक्ष इस बात के लिए तैयार था कि उनको इस प्रकार के षडयन्त्र में सफल नहीं होने देगा। सत्ता पक्ष के हमारे सभी माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार का आचरण प्रदर्शित किया वह भी हिन्दुस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व है।

मुझे तो खेद इस बात का है, यदि कांग्रेस पार्टी कुछ करती तो समझ में आता लेकिन सारी गड़बड़ी इसलिये हुई कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमान हमारे ही एक बागी सदस्य श्री गोपीचंद गुर्जर के हाथ में सम्भला दी। अभी-अभी उन्होंने कहा कि श्री गोपीचंद गुर्जर उनकी पार्टी के हैं। यह बात सही है कि हमने उनके खिलाफ कार्यवाही की है, हमने उनका निलम्बन भी किया है और यदि कांग्रेस पार्टी उनको अपना नेतृत्व नहीं सम्भलाती और उनका सहयोग नहीं करती तो उनको मैनेज करना हमारे लिये सुगम था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने श्री गोपीचंद गुर्जर का नेतृत्व स्वीकार करके उनके साथ सहयोग किया और जो उन्होंने कहा उसमें कदम-ब-कदम आगे बढ़ी, यहां तक कि हिंसात्मक श्री गोपीचंद गुर्जर ने थप्पड़ मारी। यह बात सही है, लेकिन सुरक्षाकर्मी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसमें अकेले श्री गोपीचद गुर्जर नहीं थे, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य शामिल थे जो श्री गोपीचंद गुर्जर की मंशा और

(श्री हरिशंकर माभड़ा)

उनके इशारों पर चल रहे थे। तो जो पार्टी अपना नेतृत्व सत्ता पक्ष के बागी विधायक को सम्भला दे अब वह यहां किस बात की सफाई देती है, यह मेरी समझ में नहीं आया।

दूसरी बात, उन्होंने रूल्स की और अध्यक्ष की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी को या प्रतिपक्ष को तनिक भी रूल्स के बारे में सम्मान है तो रूल 269 से लेकर 280 तक जो बने हुए हैं सदस्यों के आचरण के मामले में, आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। एकाध मेरी समझ में पढ़कर सुनाना अच्छा रहेगा, ताकि यह पता चल जाए कि रूल्स क्या कहते हैं और इन रूल्स का यदि वायोलेशन होता है तो यह जिम्मेदारी आसन की है, अध्यक्ष की है। हाउस में व्यवस्था करना, यह अध्यक्ष की कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी है और उसके लिए उनको अनेक प्रकार के अधिकार दिये हुए हैं। उन अधिकारों का प्रयोग वे करते हैं तो इसमें पक्षपात नहीं होता। वे तो कानून की अनुपालना करते हैं। उसको पक्षपात कहना .. पक्षपात तब होता जब रूल तोड़ने वालों को वे इजाजत देते कि वे रूल तोड़ते जाएं और अध्यक्ष कोई कार्यवाही न करे, तो पक्षपात होता। 269 रूल कहता है,

"269. Rules to be observed by members while present in House.—Whilst the House is sitting, a member—shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House; shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner; shall bow to the Chair while entering or leaving the House and also when taking or leaving his seat; shall not pass between the Chair and any member who is speaking; shall not leave or enter or move in the House when the Speaker is addressing the House; shall always address the Chair shall keep to his usual seat while addressing the House; shall maintain silence when not speaking in House; shall not obstruct proceedings hiss or interrupt and shall avoid making running commentaries when speeches are being made in the House; shall not applaud when a stranger enters any of the galleries or the Governor's Box; shall not while speaking make any reference to the strangers in any of the galleaies; shall not smoke of drink water or any other potable or eat anything in the House; shall not bring arms, stick or umbrella inside the House shall not sleep in the House."

Page No. 12

(12)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

यह सामान्य नियम है। मेरी समझ में नहीं आया कि प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय को वेल में आने का अधिकार कौन से रूल में मिला है ? यह बात सही है कि कुछ बातें रूल्स में नहीं हैं मगर प्रजातन्त्र को ध्यान में रखकर, देश की स्थिति को ध्यान में रखकर आमतौर पर संसद में और विधान सभाओं में स्वीकार अध्यक्ष ही कर लेता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे उससे भी आगे चले जाएं। वेल में आकर अपनी बात कहें और हाउस को कुछ समय के लिए नहीं चलने दें, कुछ समय के लिए आब्स्ट्रक्शन करें, समझ में आता है लेकिन स्थायी रूप से लगातार जब तक सत्र चलता रहे न केवल वेल में आकर हाउस को चलने नहीं दें बल्कि हिंसात्मक कार्यवाहियां करें, मारपीट करें और मारपीट करने वालों को उत्तेजित करके उनका सहयोग करें और फिर यह कहें कि हमारा आचरण तो ठीक था और अध्यक्ष महोदय ने जो कार्यवाही की वह गलत थी, मैं समझता हूं यह किसी भी नियम में नहीं है और इसलिये प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय का यह कथन कानून के विरुद्ध है संविधान के विरुद्ध है और विधान सभा के नियमों के प्रतिकूल और विधान सभा की और प्रजातन्त्र की परम्पराओं के प्रतिकूल है।

मान्यवर, यह मेरे पास है कि सारे हिन्दुस्तान में इस घटना को लेकर अखबारों में जो खबरें आयी हैं, सम्पादकीय लिखे गये है और आज तक निरन्तर इस सम्बन्ध में पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे गये हैं, एक स्वर से सबने इस बात की निन्दा की है कि उन दिनों में प्रतिपक्ष ने जो व्यवहार किया वह केवल निन्दनीय नहीं है, वह दण्डनीय भी है। दण्डनीय इतना ही नहीं है कि विधान सभा ने अपने सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिये हैं यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो उसका दण्ड देने का अधिकार विधान सभा को प्राप्त है, लेकिन इस केस में तो आई. पी. सी. की धारा 124 भी लागू होती है। बहुत से कानूनविदों ने इस सम्बन्ध में आर्टिकल लिखे हैं, उन्होंने यह सुझाव दिया है कि राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के सत्ता पक्ष को केवल ऐसे कृत्य करने वालों को विधान सभा के माध्यम से नहीं बल्कि न्यायालय के माध्यम से भी दण्ड दिलवाना चाहिये। यह तो हमने तय किया था, सत्ता पक्ष ने तय किया था कि हम किसी तरह का कोई भी न्यायालय में इस सम्बन्ध में मुकदमा नहीं करेंगे। केवल यह समझ कर तय किया था कि जो अधिकार विधान सभा को प्राप्त है उन अधिकारों का प्रयोग विधान सभा ही करे। हम उन अधिकारों को किसी भी न्यायालय को समर्पित करना नहीं चाहते। उनकी तरफ से यह मांग आयी थी कि आप मुकदमा कर दीजिये, लेकिन विधान सभा की गरिमा को रखने के लिये, प्रजातन्त्र की गरिमा को रखने के लिये और जो हमारे संविधान की व्यवस्था है अलग-अलग विधान सभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका की, उसको ध्यान में रखकर हमने मुकदमा नहीं किया। लेकिन विधान सभा को दण्ड देने का अधिकार है।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

मान्यवर, उन्होंने यह कहा कि अध्यक्ष जी को एक दिन के लिये निलम्बन करने का अधिकार है इतने लम्बे समय तक कैसे कर दिया ? प्रतिपक्ष के नेता इस बात को भूल गये कि यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से पेश हुआ था, अध्यक्षजी ने सुओ-मोटो कुछ नहीं किया था। इस प्रस्ताव को उन्होंने पढ़कर सुनाया। इस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाने के बाद उन्होंने हां और ना के लिये कहा, लेकिन वे तो हिंसा में उतरे हुए थे, ना किसी ने कहा नहीं, हां सबने कहा इसलिये उसको सर्वसम्मति से पारित घोषित किया गया। यह विधिवत् है, इसमें कहीं भी कोई कानूनी खामी नहीं है। इसलिए अध्यक्षजी पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने पक्षपात किया, यह प्रतिपक्ष के नेता और प्रतिपक्ष का जो आचरण था उस आचरण की पेश बन्दी में अपनी गलत बातों को छिपाने के लिए उन्होंने फिर जो एक नीति बनायी कि अध्यक्षजी पर आरोपित किया जाए, यह भी प्रजातन्त्र की परम्परा के प्रतिकूल है।

मान्यवर, जहां तक अध्यक्षजी का सवाल है इस सम्बन्ध में पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में कितने अधिकार अध्यक्ष को हैं। कुछ अधिकार तो ऐसे हैं कि जो उनको कानून में दिये हुए हैं। इसके अलावा भी उनको ऐसे अधिकार हैं जिनका वे समय पर प्रयोग कर सकते हैं : अध्यक्ष विधान सभा के सन्दर्भ में अन्काउंड किग हैं, इन अध्यक्ष की व्यवस्थाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती–न विधान सभा में दी जा सकती है, न किसी न्यायालय में दी जा सकती है। इतने अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त हैं मगर हमारे अध्यक्षजी ने तो केवल सदन की व्यवस्था कायम करने के लिए जो उचित है वही किया, इसलिए मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष का अध्यक्ष पर आरोप लगाना, यह भी उनकी सोची–समझी रणनीति का एक भाग है, इसमें सत्यांश और गम्भीरता नहीं है। यदि गम्भीरता होती तो बायकाट करने के बजाय वे बैठकर इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करते। आज बिजनेस में अध्यक्ष जी ने अविश्वास प्रस्ताव को रखा है लेकिन वे बहस करना नहीं चाहते। यहां तो उन्होंने कह दिया कि हम बिजली और उस पर बहस करना चाहते हैं। यह कौन–सा तरीका है कि आप हाउस का बायकाट करके बहस करोगे ? यह कौन–सा तरीका है कि आप हुल्लड़ करते रहोगे और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दोगे और कहोगे कि हम बहस कर रहे हैं ? यह कौन–सी बहस है ? बजट आ रहा है। हम चाहते हैं कि वे शांति से यहां बैठें और मांगों पर, बजट पर अपनी बात कहें, बिजली की बात कहें। जो-जो भी उन्होंने सवाल उठाये हैं सत्तापक्ष उनका जवाब देने के लिए तैयार है। निर्णय तो जनता करेगी लेकिन यह मौका जो उनको यहां पर प्रजातन्त्र में मिलता है उस मौके को गंवाना रणनीति राजनीतिक दृष्टि से बनाकर सदन की गरिमा को गिराना यह भी उनकी रणनीति का एक भाग है।

मान्यवर, यह कहा गया कि अध्यक्षजी ने उस समय जो डिवीजन हुआ उसके बारे में कहा था कि लाबीज क्लियर करायी गयीं

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

और फिर कहा कि उसका डिवीजन यहां किया। इसमें रूल 285 बहुत साफ है, वह मैं आपको पढ़कर सुना दूं—

"286. Division -(1) On the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of the motion to say 'Aye' and those against the motion to say 'No'.

(2) The Speaker shall then say: 'I think the Ayes (or Noes as the case may be) have it', If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challenged, he shall say twice, 'The Ayes (or the Noes, as the case may be) have it' and the question before the House shall be determined accordingly.

(3) (a) If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he shall order that the Lobbies be cleared ... "

देखिये, यहां यह पहली बात है कि जो नियम के मुताबिक आर्डर करना था वह आर्डर उन्होंने दे दिया। फिर आता है–

"(b) After the lapse of two minutes he shall put the question a second time and declare whether in his opinion the 'Ayes' or the 'Noes' have it."

वह भी उन्होंने किया। फिर तीसरा है—

"(c) If the opinion so declared is again challenged, he shall direct that the votes be recorded by the members going into the Lobbies : ..."

इसमें एक प्रोविजो है और वह यह है कि—

"Provided that if in the opinion of the Speaker the Division is unnecessarily claimed, he may ask the members who are for 'Aye' and those for 'No' respectively to rise in their places and, on a count being taken, he may declare the determination of the House. In such a case, the names of the voters shall not be recorded."

अध्यक्षजी ने इस प्रोसीजर को फालो किया क्योंकि उस समय प्रतिपक्ष हल्ला कर रहा था। जब उन्होंने कहा ऐज तो ऐज में हां भरी। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं तो सवाल यह था कि अध्यक्षजी को यह लगा कि नो आ ही नहीं रहा है तो लाबीज में जाने की जरूरत ही नहीं है और इसलिए कितने लोग पक्ष में हैं इसकी संख्या आ

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

जानी चाहिए। चूंकि अधिकार अध्यक्षजी को था इसलिए उन्होंने सब को खड़े होने के लिए कहा, सब खड़े हो गये, गिनती हुई और उस गिनती के आधार पर प्रस्ताव पारित हो गया। इसमें कहीं पर भी कोई गैर–कानूनी बात नहीं है इसलिए इनका यह आरोप भी अध्यक्ष पर लगाना उचित नहीं है। यह आरोप भी किसी गलत मोटिव से लगाया गया है, इसके पीछे भी कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है।

एक बात और उन्होंने कही कि अध्यक्ष जी ने हाउस एडजोर्न किया और एडजोर्न करने के बाद फिर दुबारा हाउस में ले लिया। मान्यवर, इस सम्बन्ध में दो नियम हैं जो बिलकुल साफ हैं। रूल 13 है और रूल 291 और 292 मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, इनको आप पढ़ेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि यह भी उनके अधिकार में है।

"13. Adjournment of House. The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned sine die or to a particular day or to an hour or part of the same day :

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, calls a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the House has been adjourned sine die."

यानि स्पीकर को यह अधिकार है कि वह जब चाहे एडजोर्नमेंट करें। जो वह टाइम देता है उसके पहले भी सिटिंग आर्डर करने का उनको अधिकार है। उस दिन अध्यक्षजी के यह ध्यान में नहीं रहा कि एक बिजनेस रह गया है, हाउस एडजोर्न किया आधे घण्टे के लिए। जब उनके ध्यान में लाया गया कि एक प्रस्ताव रह गया है तो उन्होंने वापस सिटिंग उसी वक्त कर ली। दूसरी बात यह थी कि उस हल्ले-गुल्ले में उनका हाउस एडजोर्नमेंट करने का अनाउंसमेंट या तो प्रेस ने सुना या हम जो पास में बैठे थे उन्होंने सुना। और किसी ने सुना ही नहीं, कोई आदमी सदन छोड़कर गया नहीं, सब यहीं बैठे थे और अध्यक्षजी भी नहीं गये, उनके ध्यान में आ गया तो उन्होंने उसी समय प्रस्ताव ले लिया। ऐसी सूरत में एडजोर्नमेंट करने के बाद भी फिर से हाउस में बिजनेस रखना यह आर्टिकल 13 में बिलकुल स्पष्ट है। उनको अधिकार है इसलिए अध्यक्षजी ने किसी भी प्रकार से अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया या किसी तरह का पक्षपात नहीं किया बल्कि नियमों की जो स्पिरिट है उस स्पिरिट के आधार पर ही उन्होंने कार्यवाही की।

मान्यवर, जहां तक अध्यक्ष जी का प्रश्न था, मैं समझता हूं कि ये सवाल मैंने बहुत क्लियर किये हैं। अब उनकी मांग है कि जो सदस्य निलम्बित हाउस के द्वारा हुए हैं, विधिवत् बिना किसी शर्त के, बिना खेद प्रकट किये उनका निलम्बन रद्द करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार का कदम कभी नहीं उठाया गया। जब कभी भी किसी सदस्य को दण्ड दिया

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

गया है तो उस पर चर्चा होने के बाद उस सदस्य ने हमेशा खेद प्रकट किया है। यह हाउस की उदारता है, सत्ता पक्ष की उदारता है, कि वह खेद को मान ले। यदि कोई आदमी प्रायश्चित करता है अपने पाप का तो उसको क्षमा करना उदार व्यक्तियों का काम है। यदि वे इस प्रकार की स्थिति लाते हमारे सामने कि वे प्रायश्चित कर रहे हैं, उन्होंने गलती की तो शायद हमारे नेता इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत करने को तैयार थे। हां, हमारी ओर से हमने उनसे चलाकर बातचीत की और प्रजातन्त्र के हक में और राजस्थान की जनता के हक में की है कि विधान सभा में बजट सत्र शांति से चलना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से जवाब यही आता है कि पहले आप निलम्बन रद्द करें। अब यहां सवाल यह है कि आम जनता की और जूरिस्ट्स की यह राय है कि उनको जो दण्ड दिया है वह पर्याप्त नहीं है, और अधिक दण्ड मिलना चाहिये। सामान्य जन-धारणा यह बनी हुई है। बिना किसी माफी के उनकी बात मानकर जो सदन ने प्रस्ताव पारित किया है उस प्रस्ताव को बिना किसी प्रायश्चित के कारण बनाये हम वापस ले लें, मैं समझता हूं कि यह संविधान के भी खिलाफ है, यह पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ है और उनकी इस मांग के पीछे भी दुर्भावना है। यदि उनकी यह मांग सही होती तो चर्चा करते कि हां, हमने भूल कर दी है, हमारे सदस्यों ने भूल कर दी है वे माफी मांगने को तैयार हैं। सदस्य को कोई आदमी से माफी नहीं मांगनी है सदन से माफी मांगनी है। आज तक सदन से बीसों बार सत्ता पक्ष के नेता ने और प्रतिपक्ष के नेता ने माफियां मांगी हैं, हमेशा मांगते रहे हैं। जब कभी अव्यवस्था होती है तो नेता खड़े होकर माफी मांगते हैं, अध्यक्ष जी से माफी मांगते हैं। अध्यक्ष जी को कठिनाई होती है। अध्यक्ष का पद ऐसा है कि यहां पर बैठकर वे न्याय भी करेंगे तो जिसके पक्ष में नहीं होगा वह आरोप लगाएगा। जबकि इससे बचना चाहिये। अध्यक्ष की निष्पक्षता के बारे में अनावश्यक रूप से आरोप अपने मंतव्य को पूरा करने के लिये या हम जो चाहते थे वह हम नहीं कर पाये, इसलिये हम अध्यक्ष जी को आरोपित करें यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। यदि अध्यक्ष जी कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून को ताक में रखते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन विधिवत् कानून के मुताबिक कार्यवाही करने वाले पर इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। यदि प्रतिपक्ष के नेता वास्तव में बातचीत करने को आतुर हैं तो हम उनका आमन्त्रण करते हैं कि इन्हीं विषयों पर बैठकर वे हमारे नेता से बात करें। लेकिन किसी भी बात के लिये पूर्व शर्त लगाना, यह कोई बात की कामयाबी का लक्षण नहीं होता। जब हम समझौता करने की बात करते हैं तो दोनों ओर से खुले दिमाग से बात होनी चाहिये। पहले कोई शर्त अपने मन में रखकर आप सामने वाले पक्ष को दबाने का काम करें, ऐसा नहीं है। इसलिये यदि वे खुलकर बात करना चाहें तो हमारे नेता उनसे बात करने को तैयार हैं, वे बात कर लेंगे और उसमें से यदि कोई सार्थक चर्चा होती है तो हमेशा हम बात करने को तैयार हैं।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

दूसरा उन्होंने कहा कि यह जो प्रिविलेज मोशन है वह विथड्रा किया जाना चाहिये। जैसा कि मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, यह प्रिविलेज मोशन उन लोगों के खिलाफ आया है जिन्होंने हिंसात्मक कार्यवाही की और उनको बोलने का भी मौका नहीं मिला। सदन भी उनका जवाब-तलब करेगा या विशेषाधिकार समिति में उस पर चर्चा होगी। रिपोर्ट आने के बाद ही सदन में आएगा मामला। सदन में मामला आएगा, सदन में उनको बोलने का मौका मिलेगा। जिन सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है उन प्रत्येक सदस्य को जितना चाहे उतना बोलने का मौका मिलेगा, उनका स्पष्टीकरण आएगा। और कोई बोलना चाहें तो बोलेंगे लेकिन अंतिम निर्णय सदन करेगा। जो निर्णय सदन करेगा उस निर्णय में हम वाई फोर्स, वे हमको कह रहे हैं कि डरा रहे हैं, एक्चुअली डर वे हमको दिखा रहे हैं कि आप निलम्बन रद्द कर दीजिये, आप प्रिविलेज मोशन वापस ले लीजिये, अध्यक्ष जी से माफी मंगाइये। यह अभूतपूर्व मांग है। अध्यक्ष कभी माफी नहीं मांगता। अध्यक्ष से माफी मंगाने का मतलब तो यह है कि इस सारे सदन की गरिमा को समाप्त कर दें। ऐसा कभी नहीं हुआ है। किसी विधान सभा और पार्लियामेंट के इतिहास में नहीं हुआ कि अध्यक्ष ने माफी मांगी हो। अध्यक्ष अपनी गरिमा के लिये चाहे तो आपके सामने हाथ जोड़ सकता है, कुछ भी कह सकता है लेकिन अध्यक्ष की मांग करके बाध्य करना कि आप माफी मांगिये, ऐसी परम्परा प्रजातन्त्र के इतिहास में कहीं पर भी नहीं है। अध्यक्ष खुद चाहें तो उनकी उदारता है, उनका बड़प्पन है, वे कर सकते हैं। ऐसा करते आये हैं। लेकिन उन पर दबाव डालकर करें, यह ठीक नहीं है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में जो कुछ भी उप-नेता ने कहा है, उन्होंने जो मांगें रखी हैं हम उन पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वे खुले दिमाग से आकर बात करें, उस बात में से रास्ता निकालें और इस बजट सत्र को शांति से बैठकर चलाए। मैं उनको आमन्त्रित करता हूं वे यहां बैठें, जो विषय उठाना चाहें उठाएं। हम सब पर चर्चा कराने को तैयार हैं, बजट पर भी वे चर्चा करें, मांगों पर भी वे चर्चा करें। सरकार की आलोचना करें, सरकार उसका जवाब देगी। जो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे हैं वे उठाएं। सरकार चाहती है कि वे मुद्दे यहां पर उठें, सरकार चाहती है कि बजट पर और इन मुद्दों पर प्रतिपक्ष की रचनात्मक राय हमको मिले, ताकि सरकार उसमें से भी अपना रास्ता निकाल सके। इसी बात के साथ आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के उप-नेता ने जिस प्रकार का भाषण दिया उससे एक बात स्पष्ट हो गयी कि जिन बातों को लेकर इस सदन में सारा विवाद खड़ा हुआ है, प्रतिपक्ष ने जो विवाद खड़ा किया है, वह सही नहीं है। इस सदन को यह अच्छी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तरह से जानकारी है कि 20 तारीख को राज्यपाल महोदय अभिभाषण देने के लिये इस सदन में आये, सदन में अभिभाषण के कुछ अंश पढ़े और बाकी अपने हाथ से यह लिखकर कि यह भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए यहां से वापस प्रस्थान कर गये। विवाद इस बात का खड़ा किया गया कि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा ही नहीं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा हुआ नहीं माना जाए और जब तक सदन में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं हो सदन की कोई भी कार्यवाही वैध नहीं होगी। ये तीन दिन इसी बुनियाद पर यह सारा संघर्ष चला। मुझे इस बात की खुशी है कि आज प्रतिपक्ष के उप नेता ने उस बात का कोई जिक्र नहीं किया और जिक्र न करके कम से कम यह स्वीकर कर लिया कि तीन दिन में जो हमने विवाद खड़ा किया था उस विवाद का कोई आधार नहीं था। यह विवाद क्यों खड़ा हुआ, उसके पीछे भी एक रहस्य है। 20 तारीख को विधान सभा आरम्भ हुई 20, 21 22 तीन दिन वर्किंग डे थे तथा 23 और 24 की छुट्टी थी। वे यह समझते थे कि 6 महीने के अन्दर यदि विधान सभा आहूत नहीं हो और विधान सभा की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो तो उस समयावधि के पश्चात् विधान सभा नहीं बुलाये जाने का कारण एक कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा और इसके कारण विधान सभा भंग हो सकती है। 20, 21 और 22 तीन दिन में विधान सभा में यह बात लगातार कही जाती रही। उसके पीछे परपज एक था कि विधान सभा में कार्यवाही विधिवत् आरम्भ हुई है इसको स्वीकार नहीं किया जाए, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण विधिवत् हुआ इसको नहीं माना जाए ताकि 24 तारीख को यह कहा जाए कि कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस राजस्थान में पैदा हो गया है और इसके कारण से ही सरकार को भंग किया जाना उचित होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उप नेता ने उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। इसका मतलब पहली भूल सार्वजनिक रूप से प्रतिपक्ष ने स्वीकार की कि हमने तीन दिन में जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे की कोई बुनियाद नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी नाराजगी उन्होंने प्रकट की मीडिया के खिलाफ। वे इस रूप में बोले कि हमारे खिलाफ यह प्रचार कराया गया। अगर हमारे कहने से ही मीडिया संचार करता हो तो उनकी भ्रांति है। मीडिया में हमारे खिलाफ भी समाचार छपते हैं, हमारी पार्टी के खिलाफ भी समाचार छपते हैं और सरकार के विरुद्ध भी समाचार छपते हैं। एक व्यक्ति ने नहीं, एक पत्रकार ने नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने एडिटोरियल लिखकर जिस बात की निन्दा की है वह भैरोंसिंह के कहने से नहीं कर सकते या बीजेपी के कहने से नहीं कर सकते या सत्तापक्ष के कहने से नहीं कर सकते। उन्होंने मीडिया के ऊपर एक प्रकार का आरोप लगाया कि उन्होंने को कुछ किया है उसको वे सही रूप में जनता के सामने क्यों ले गये। इस बात का दण्ड किस प्रकार से दिया जाए, मैं कह नहीं सकता लेकिन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आरोप स्पष्ट है कि मीडिया ने इस विधान सभा की तीन दिन की सारी कार्यवाही इस दुनिया में किस प्रकार से पहुंचा दी। मैं समझता हूं कि पहुंचाई है तो लोकतन्त्र की सेवा की है, लोकतन्त्र में कम से कम लोगों की आस्था बनी रहे इस बात की व्यवस्था की है। उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जिस तरह से इस सदन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी हुई है उसमें किस–किस सदस्य ने क्या–क्या काम किया है, उसके फोटोग्राफ्स हैं। इसलिए कोई मना करने का या कोई ऐसा गलत प्रमाण एकत्रित करने का इस प्रकार का कोई कारण नहीं बनता।

तीसरी बात यह है कि आज उनका सारा भाषण या तो अध्यक्ष महोदय के खिलाफ था या उनका कहना था कि हमें जन–समस्याओं के ऊपर बोलने का मौका नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन अच्छी तरह जानता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से बढ़िया कोई अवसर नहीं होता। उस समय सरकार की आलोचना बिजली के सम्बन्ध में करें, लॉ एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में करें या किसी अन्य विषय को लेकर करें, उस समय चर्चा करके इन सब बातों को रखने का अवसर था। इन्होंने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया और गलती हमारी बता रहे हैं कि हमने बोलने का मौका नहीं दिया। हमने जिस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा तो धन्यवाद प्रस्ताव होता ही इसलिए है कि उसके ऊपर जन–समस्याओं पर खुली चर्चा हो।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य विधान सभाएं 5–5, 6–6, 7–7 दिन चल कर खत्म हो जाती हैं लेकिन राजस्थान की विधान सभा में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने आज तक यह आरोप नहीं लगाया है कि हमें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि एक ही विषय पर ज्यादा मैम्बर्स बोलना चाहें तो उस समय रोकथाम की जाती है कि विषय सामने आ गया इसलिए इस विषय पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, बजट का भाषण, बजट पर आम चर्चा, उसके बाद डिमाण्ड्स के ऊपर चर्चा, सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स पर चर्चा, एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर चर्चा क्वेश्चंस के थ्रू चर्चा, सदन के प्रारम्भ होने के साथ ही जीरो आवर सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। बल्कि मुझे तो कई बार इस बात की भी आपत्ति हुई कि अध्यक्ष महोदय को एक चिट दे दी, सरकार को पता नहीं कि चिट में क्या लिखा हुआ है और चिट के ऊपर भाषण हो रहे हैं। जिस विधान सभा में जन-समस्याओं को उठाने की इतनी स्वतन्त्रता हो, उस विधान सभा में सत्तापक्ष पर यह आरोप लगाया जाए कि हमको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, यह बात बिलकुल गलत है। विधान सभा का इतिहास और विधान सभा का रिकार्ड इस बात का गवाह है कि राज्य में किसी प्रकार की कोई घटना हो तो काल अटेंशन नोटिस देकर उठाते हैं, कई हाफ–

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एन–ग्रावर डिस्कशन से उठाते हैं, नियम 295 के ग्रन्दर तो लाइन खड़ी हो जाती है, उसी लाइन से बोलते हैं, फिर एडजोर्नमेंट मोशन से बोलते हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने बोलने का लाभ नहीं लिया और उसका दोषारोपण हम पर कर रहे हैं।

यहां पर सारी चर्चा अध्यक्ष महोदय के सम्बन्ध में हुई कि अध्यक्ष महोदय ने यह क्यों किया और अध्यक्ष महोदय ने यह क्यों नहीं किया तथा मेम्बर्स को निकाल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा का बड़ा पुराना सदस्य हूं और मुझे याद है कि राज्यपाल महोदय श्री सम्पूर्णानन्दजी जब इस सदन में अभिभाषण देने आये थे तो उनकी रोकथाम की गयी। राज्यपाल महोदय ने उसी समय सदस्यों को निकाल दिया। जिस समय राज्यपाल सदन में होते हैं अध्यक्ष को अधिकार नहीं होता, सारे सदन के संचालन का अधिकार राज्यपाल महोदय को होता है। उनको निकालने के बाद में फिर सदन में प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा की गयी और चर्चा होने के बाद शेष काल के लिये उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया, सस्पैंड कर दिया गया। उस स्थिति में जब कि राज्यपाल महोदय यहां आएं, राज्यपाल महोदय की अंगुली मे चोट आ जाए, राज्यपाल महोदय यहां से बाहर नहीं जा सकें, इस प्रकार का अवरोध पैदा किया जाए तो आखिर सदन में हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं पूनमचन्दजी विश्नोई को इस बात के लिये धन्यवाद दिये बिना नहीं रहूंगा कि उन्होंने इस हाउस में कहा कि ये सब चीजें रोकने का काम स्पीकर का है। स्पीकर के पास मार्शल है, वे मार्शल का उपयोग करें और उपयोग करके सब प्रकार की व्यवस्थाएं करें। जो पूनमचन्दजी जैसे अनुभवी आदमी जो इस पद के ऊपर कई वर्षों तक आसीन रहे हैं, वे यह कहते हैं कि इस समय स्पीकर को ही सब कुछ काम करने का अधिकार है, आज वही मैम्बर्स कहें अधिकार की कोई बात नहीं हैं !

उपाध्यक्ष महोदय, जिन मैम्बर्स के सम्बन्ध में यह चर्चा आयी उनका जिक्र कर दिया। यह सही है कि हमारे पास दुनियां भर से एक ही राय आयी, लोगों की मांग थी, आज भी लोग मांग करते हैं कि विधान सभा की कार्यवाही में अगर इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं तो उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाए, या कोई चाहे तो क्रिमिनल केस भी रजिस्टर करवा सकता है। हमारी पार्टी ने विचार किया कि हम अपने अधिकार पुलिस को या जुडीशियरी को सरेंडर नहीं करेंगे और इस विधान सभा के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का प्रयोग करेंगे। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त होगा कि इस सदन में सब प्रकार की कार्यवाही हो जाए। उसको बार-बार रिपीट करना, आज तक इस विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने आफिशियली यह नहीं कहा कि हम उनका क्रिमिनल केस रजिस्टर कराएंगे। सब कुछ है, लेकिन कोई ज्ञानवर्द्धन के लिये या सारी जानकारी करने के लिये किसी चीज का अध्ययन करें तो कोई आपत्ति नहीं है।

Page No. 21

(21)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कई अन्य विधान सभाओं में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, वह एजेण्डे में आया। गुलाबसिंहजी ने यहां पर जो भाषण दिया, अध्यक्ष के प्रति उनकी नाराजगी होती, अध्यक्ष ने जो कुछ किया वह अच्छा नहीं किया, अध्यक्ष महोदय ने पक्षपात किया, अध्यक्ष महोदय ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यदि इस प्रकार की स्थिति होती तो आज वे प्रस्ताव सदन के अन्दर रखते। उनको बायकाट करना था तो कल कर लेते। इसमें कोई मुहूर्त तो निकला हुआ ही नहीं है कि आज ही बायकाट करेंगे तब तो उनको उसका सारा फल मिलेगा। आज अध्यक्ष महोदय के खिलाफ यहां भड़ास निकाली, वह सब मैम्बर्स निकाल देते, हाउस उसका निर्णय कर लेता, वोटिंग होती, निर्णय कर लेते, सब कुछ व्यवस्था हो जाती। अब उस स्थिति में आज यहां से, बायकाट बोला है कि बहिष्कार बोले हैं, कर गये। इसलिए अब मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय के लिये इस प्रकार भी चर्चा करना उनको शोभा नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह परम्परा है, रूल्स की व्यवस्था है कि अध्यक्ष महोदय की जिस रूप में प्रतिपक्ष के उप नेता ने आलोचना की है, उस प्रकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। वह रूल्स में वर्जित है, संविधान में वर्जित है और इस सदन की गरिमा के विपरीत है। अगर चर्चा करनी थी तो उनको बहुत बढ़िया अवसर मिला था, वे उस अवसर का लाभ उठाते। जिन मैम्बर्स को निष्कासित किया गया है या निलम्बन किया गया है या जिनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की चर्चा है, मैं समझता हूं कि भाभड़ा साहब ने उसके ऊपर प्रकाश डाल दिया और मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह जरूर चाहूंगा और मैं यह कोशिश भी करूंगा कि विपक्ष वापस यहां आकर बैठे। बैठने का तरीका तो वही होगा जिससे सदन की मर्यादा बढ़े, गरिमा बढ़े, वे सदन को उच्च मानें।

आज वे एक बात कह गये कि हम सब गांधीवादी हैं। अब गांधीवादी हैं तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। लेकिन गांधीवाद में यह कहां लिखा हुआ है कि सिपाही आ जाए तो उसके कपड़े फाड़ दो, उसकी पेंट फाड़ दो, राज्यपाल महोदय के हाथ से कागज छीन लो, राज्यपाल महोदय का जो लाउडस्पीकर या माइक था, उस माइक को तोड़ दो। यह कौनसा गांधीवाद है? मैं प्रतिपक्ष के उपनेता से कहूंगा कि हमने तो गांधीजी की दूसरी पुस्तकें पढ़ी हैं, यदि उस पुस्तक को भी हमें उपलब्ध करवा दें तो हमारा भी ज्ञानवर्द्धन हो जाएगा जिसके आधार पर ये सारी चर्चाएं उठती हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि वे गांधीजी का नाम नहीं लेते। फिर ऊपर से यह कह गये कि हमारे मंत्री के किसी ने एक चपत मारी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। गांधीजी तो यह कहते थे कि इस गाल पर चपत मारे तो दूसरा उसके सामने कर दो। आज वे कहते हैं कि एक चपत मारी, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मेरी समझ में यह नहीं आता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि यह कौनसा गांधीवाद है और कौनसे गांधीवाद की ये चर्चा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अब आप यह समझते हैं कि प्रिविलेज मोशन के नाम से हमने किसी को धमकी दी है? हमने कभी धमकी नहीं दी है। इस सदन में कई बार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मोशन आये हैं। मैं तो सत्ता-पक्ष में भी रहा हूं, प्रतिपक्ष में भी रहा हूं, कई बार प्रिविलेज मोशन आते हैं और आने के बाद में, डिबेट के बाद में एक वातावरण बनता है। उस वातावरण में मैम्बर यह कहे कि मैंने जो कुछ किया है, मैं उसका प्रायश्चित करता हूं तो इस सदन ने हमेशा उदारता बतायी है। वह उदारता का चैप्टर आज भी बन्द नहीं है लेकिन वे यह धमकी दें कि हम तो किसी प्रकार का प्रायश्चित नहीं करेंगे और हम उनके सामने यह कहें कि आप उनको वापस लाओ और हम उनको माला पहनाकर हाउस में स्वागत करेंगे, तो यह आज होगा और न कल, इसको अच्छी तरह से समझ कर चलें। सदन की मर्यादा और सदन की गरिमा बनाये रखने की जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की तो है ही लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है, हम इस गरिमा को बनाकर रखेंगे। गरिमा को बनाने के लिये मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनसे बातचीत भी करूंगा। मुझे पता यह नहीं लगता, अखबारों में तो यह आ रहा है कि उन्होंने सदन का बायकाट कर दिया, अब बायकाट किया है कि बहिर्गमन किया है। अभी तक उनकी पार्टी में विवाद है कि बहिर्गमन और बायकाट एक दिन का किया जाए, दस दिन का किया जाए या सारे सत्र के लिये किया जाए। मेरे समझ में नहीं आता कि बायकाट का आधार क्या है। क्या आधार है? किस बात को लेकर बायकाट कर रहे हैं? वे बिजली पर चर्चा करना चाहें, मैं एक दिन पूरी चर्चा कराऊंगा। वे यदि करप्शन पर चर्चा करना चाहें, पूरा एक दिन उनको इस बात के लिये दूंगा। वे यदि किसी भी बात पर चर्चा कराना चाहें और हमने उनको इन्कार किया हो....बजट पेश होगा और उसके बाद में खुली छूट है। इस सदन में क्वेश्चंस के थ्रू चर्चा हो सकती है, और बातचीत के तरीके हो सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि बायकाट किस लिये किया? कोई बायकाट का कारण हमको मालूम हो तो हम भी समझें कि हमने यह गलती कर दी, जिसके कारण से ये बायकाट कर रहे हैं। अखबार में क्या छप गया और अब आपस में यह चर्चा करें कि पिछली बार जो कुछ हमने किया उसके कारण से हमारी दुनिया में बदनामी हुई है, तो मैं समझता हूं कि आज जो कुछ उन्होंने किया है, वह भी बदनामी का कारण है, उससे उनकी प्रशंसा होने वाली नहीं है। इसलिये प्रतिपक्ष को मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा और मैं स्वयं भी उनसे बातचीत करूंगा, हम भी चाहते हैं कि सामने बैठें, विषयों पर चर्चा हो। हम कोई सारे विषयों में पारंगत नहीं हैं, मैं यह भी नहीं कहता कि हमारे से कोई गलती नहीं होती। यदि प्रतिपक्ष गलती की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेगा तो हम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गलती सुधारने की कोशिश करेंगे। जनता की सेवा जिस मन से कर रहे हैं, उस सेवा में किसी प्रकार की कमी है, उस कमी की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सदन में यहां नहीं बैठकर वहां बैठ जाएं, फायदा क्या होगा ? क्या फायदा होगा ? उनका समय तो उतना ही जाना है। उस समय में तो कोई कसर नहीं रही। रामायण, महाभारत वहां पढ़ें, वे पढ़ने वाले नहीं हैं। और गांधीवाद का जिस तरह का जिक्र किया है, यदि वे गांधीवाद वह पढ़ेंगे तो खतरा ही पैदा होगा। ऐसी स्थिति में मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता इस बात पर विचार करें, विचार करके सदन की कार्यवाही में भाग लें और भाग लेकर जो भी जन समस्या वे चाहते हैं, उस जन समस्या को उठाने की बात करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऐसा समझता हूं कि उनसे बात करूंगा और बात करने के बाद में भरोसा मुझे तो होता है कि बातचीत करने के बाद में शायद वे वापस आ जाएं।

एक माननीय सदस्य : ज्यादा आप सिन्सियर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब वे सिन्सियर हैं कि नहीं हैं, वह तो हाउस सिन्सियर होना चाहिये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अब अगर पुराने ग्रंथ उठाकर देखें तो प्रायश्चित केवल रावण ने नहीं किया था या कंस ने नहीं किया था, बाकी सब, कोई भी, चाहे इतिहास उठाकर देख लें, जहां जिसने भूल की है, उसने प्रायश्चित किया है। यदि प्रायश्चित करना नहीं चाहते और वे उस परम्परा में ही चलना चाहें तो मैं समझता हूं कि वह परम्परा उनके लिये ठीक नहीं होगी। मैं उनका हितैषी हूं, उस परम्परा को वे छोड़ें और अच्छे आदमी की परम्परा को ग्रहण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कर्मचारियों की कथित कमी के कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिल समय पर नहीं मिलने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में नील गायों (रोजड़ों) की बढ़ती संख्या एवं उनके द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री शांतिकुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा एवं पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर शहर में नगर परिषद् के किरायेदारों की तामीर को अतिक्रमण बताते हुए तोड़े जाने व इस कार्यवाही में परिषद् आयुक्त द्वारा जन–प्रतिनिधियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में भू-आबटन पर लगी कथित रोक को हटाये जाने तथा भूमिहीन काश्तकारों को भू–आबटन करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री लक्ष्मणसिंह रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग संख्या–8 पर अतिक्रमण के नाम पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

सन्देश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 22 जनवरी, 1997 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :–

"अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 436,
दिनांक 24 जनवरी, 1997

प्रिय श्री चपलोतजी,

आपका अर्द्ध शासकीय पत्रांक एफ. 10/5/सदन/विधान सभा/97/5542, दिनांक 22 जनवरी, 1997 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिये मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरी कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों तक पहुंचाने का कष्ट करें।'

शोकाभिव्यक्ति

बारीपदा, उड़ीसा में अग्निकाण्ड के मृतकों व श्री डेंग शियाओ पिंग के निधन पर

शोकाभिव्यक्ति सदन के नेता।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बारीपदा कस्बे में गत 23 फरवरी, 1997 को एक धर्म सम्मेलन हो

Page No. 25

(25)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

रहा था और उसमें हजारों की संख्या में लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिये एकत्र हुए थे। उस धर्म सम्मेलन में अचानक भीषण अग्निकाण्ड हुआ और उस अग्निकाण्ड में लगभग 200 लोग मारे गये और सैकड़ों घायल हो गये। यह हादसा हरियाणा के डबवाली गांव में जो अग्निकाण्ड हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा हादसा है, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन इस भीषण अग्निकांड के शिकार सैंकड़ों लोगों की जो मृत्यु हुई है, उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं और मेरे दल के लोग उन सभी मृत आत्माओं को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

मान्यवर, चीन के नेता श्री डेंग शिया-ओपिंग, एक नया इतिहास चीन में बनाया। कम्युनिस्ट चीन में, इसी नेता ने माओ की सारी नीतियों को बदल कर सह-अस्तित्व की नीति लागू की और विश्व के अन्य देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बनाये। जो चीन पर एक लोह आवरण छाया हुआ था, उस नीति का परित्याग कर चीन को विश्व के बाकी सारे देशों के निकट लाये और उनको भी मानवता का पाठ पढ़ाया। श्री पिंग का निधन 19 फरवरी को हुआ। उनके निधन पर भी मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस सम्बन्ध में यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता ने उड़ीसा में धर्म सम्मेलन में हुए अग्निकांड में मारे गये लोगों तथा चीन के प्रसिद्ध नेता श्री डेंग शियाओपिंग के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और संवेदना प्रकट की है, उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बारीपदा कस्बे में एक त्रिदिवसीय धर्म सम्मेलन के आखिरी दिन 23 फरवरी, 1997 को हुए भीषण कांड में दो सौ से अधिक लोग मारे गये तथा सैकड़ों लोग घायल हो गये। बारीपदा की यह त्रासदी हरियाणा के डबवाली गांव के बाद इस दशक की अग्निकांड की दूसरी बड़ी दुःखद घटना है।

चीन के वयोवृद्ध नेता श्री डेंग शियाओपिंग चीन का आधुनिकीकरण और आर्थिक सुधारों के मार्ग पर ले जाने वाले सर्वोच्च नेता थे। आधुनिक चीन के जनक के रूप में विश्व विख्यात रहे श्री डेंग ने चीन की लोह आवरण नीति को त्याग कर आर्थिक सुधारों को लागू किया तथा उनके नेतृत्व और सुधारों से ही उनके देश के करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया।

वर्ष 1988 में पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के समय श्री डेंग से हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने भारत-चीन सम्बन्धों को नयी दिशा देने में महत्व-पूर्ण भूमिका निभायी। श्री डेंग दोनों देशों के मध्य आर्थिक विकास तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्तों पर आधारित नये अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु भारत और चीन के मध्य सक्रिय

(श्री उपाध्यक्ष)

सहयोग के पक्षधर थे। माम्रोत्सेतुंग की अवधारणा का अनुकरण करने वाले श्री डेंग हमेशा सादगी पसन्द रहे। 93 वर्षीय श्री डेंग शियाओ पिंग का लम्बी बीमारी के बाद 19 फरवरी, 1997 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत सभी व्यक्तियों को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

मैं माननीय सदस्यों से कृपया दो मिनट के लिए खड़े होने के लिए निवेदन करूंगा।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प

श्री लक्ष्मणसिंह रावत, श्री माधवसिंह दीवान, सदस्य, विधान सभा अध्यक्ष को पद से हटाने के संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करें। (एबसेंट)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नाम पुकारो, साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : नाम पुकारो, साहब। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : नाम पुकारो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : एबसेंट हैं, अनुपस्थित हैं। हां, मैंने नाम पुकार लिया। श्री लक्ष्मणसिंह रावत (अनुपस्थित)। श्री माधवसिंह दीवान (अनुपस्थित)।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : प्रस्ताव समाप्त हुआ।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) प्रस्ताव ही समाप्त हो गया, साहब।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : हां सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री, वित्त विभाग की 15 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। साथ ही श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री कार्मिक विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

वित्त विभाग

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 15 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ.4(79) वित्त/कर अनुभाग/95-87 दिनांक 30.7.96 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नये और पात्र अस्पतालों, निदान केन्द्रों और परिचर्या गृहों के स्थापन में प्रयुक्त चिकित्सा उपस्कर/संयंत्रों और मशीनरी के क्रय या विक्रय को कर से छूट दी गई है एवं चिकित्सा संस्थाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहन करने के लिये छूट दी गयी है।

(2) अधिसूचना क्रमांक प. 4(38) वित्त/कर – अनुभाग/96–88 दिनांक 30.9.96 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि उपसाधन और अतिरिक्त पुर्जे व चकती वाला हल, कल्टीवेटर, हैरो, बुवाई उपांग सहित या रहित जुताई वाले हल.बीज बोने वाले यंत्र और भू-समतलक आदि को दिनांक 01.10.1995 से क्रय और विक्रय को कर से छूट दी गयी है;

(3) अधिसूचना क्रमांक 2(1)/वित्त/कर–अनुभाग/95 दिनांक 16.10.96 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के द्वारा राजस्थान सरकार, राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों, नगरपालिकाओं और रीको द्वारा आबटित विकीत निवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक भू–खण्डों और गृहों से सम्बन्धित ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क वहां जहां आबंटन प्राधिकारी जो प्रथम पक्ष है, लिखत को इस शर्त के अध्यधीन निष्पादित करें कि लिखत आबंटन विक्रय की तारीख से आगामी वित्तीय वर्ष के भीतर–भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत कर दी जायेगी, 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया जायेगा। परन्तु पुराने मामलों में जहां उपर्युक्त समय सीमा इस अधिसूचना के पूर्व समाप्त हो गयी हैं, यह रियायत उन विलेखों पर भी लागू होगी जो 31.03.97 तक निष्पादित और प्रस्तुत कर दी जाय;

(4) अधिसूचना क्रमांक प.4(56) वित्त/कर–अनुभाग/96–89 दिनांक 07.12.96 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप–धारा (5) के अन्तर्गत व्यापार या वाणिज्यिक के अनुक्रम में विलायक निष्कर्षित तेल (साल्वेन्ट) एक्सटेट्ड आयल) के संबंध में केन्द्रीय विक्रय कर की दरें 2 प्रतिशत निर्धारित की गयी है;

(5) अधिसूचना संख्या प.4(5) वित्त/कर–अनु./96–90 दिनांक 10.12.96 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987 में कतिपय संशोधन किये गये हैं;

(6) अधिसूचना संख्या प. 4(5)वित्त/कर–अनु./96–91 दिनांक 10.12.96 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987 में कतिपय संशोधन किये गये हैं;

Page No. 28

(२८)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(7) अधिसूचना संख्या प. 4(5)वित्त/कर—अनु/96–92 दिनांक 10.12.96 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर आस्थगन योजना 1987 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;

(8) अधिसूचना संख्या प. 4(5)वित्त/कर—अनु./96–93 दिनांक 10.12.96 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 में अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;

(9) अधिसूचना संख्या प. 4(5)वित्त/कर—अनुभाग 96–94 दिनांक 10.12.96 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1989 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;

(10) अधिसूचना संख्या प. 4(5) वित्त/कर—अनुभाग/96–95 दिनांक 10.12.96 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1989 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;

(11) अधिसूचना संख्या प. 4(5) वित्त/कर—अनुभाग/96–96 दिनांक 10.12.96 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर आस्थगन योजना 1989 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;

(12) अधिसूचना संख्या प. 4(5) वित्त/कर—अनुभाग/96–97 दिनांक 10.12.96 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर आस्थगन योजना 1989 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;

(13) अधिसूचना संख्या प. 13(8) वित्त/कर—अनुभाग/96–98 दिनांक 23.12.96 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्प्रिंकलर पद्धति और ड्रिप सिंचन पद्धति के लिये विनिर्दिष्ट पुर्जों और उपसाधनों के विक्रय को 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दी गयी है ;

(14) अधिसूचना संख्या प. 4(74) वित्त/कर—अनु./95–96 दिनांक 23.12.96 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 19 के उप नियम (4) के विद्यमान खण्ड "ग" में संशोधन कर निर्धारण वर्ष 1995–96 के लिये प्रपत्र बि क. 5 "क" में विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख 31.12.1996 तक बढ़ा दी गयी है;

(15) अधिसूचना संख्या प. 4(42) वित्त/कर—अनु /94–100 दिनांक 26.12.96 जिसके द्वारा लाटरियों के लिये प्रशामित (कम्पाउंडिंग स्कीम) उद्ग्रहण स्कीम लागू की गयी है ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कार्मिक विभाग

उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से मैं कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 6(11) कार्मिक/क-3/95 दिनांक 25.9.96 जिसके द्वारा राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त (कार्यवाही) नियम, 1974 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह गुर्जर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 139 (19)आर डी.पी./एल एण्ड जे/95/3273 दिनांक 20.1.97 जिसके द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के सदस्यों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं तथा धारा 97 के तहत जिला कलक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील संभागीय आयुक्त को करने हेतु अधिकृत किया गया है।

(2) आदेश संख्या एफ. 4(6)ग्रा.वि. पं/विधि/95/3871 दिनांक 21.12.96 जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में बेहतर तालमेल के लिए सरपंचों तथा प्रधानों को क्रमशः पंचायत समिति एवं जिला परिषदों की बैठक में आमंत्रित किये जाने के प्रावधान किये गये हैं।

परिवहन विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा, परिवहन राज्य मंत्री परिवहन विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री परिवहन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या प 7(94) परि/एच क्यू/रूल्स/94 दिनांक 16.1.97 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा उप मुख्य मंत्री राजस्थान वित्त निगम, जयपुर के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम, जयपुर के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 एवं राजस्थान

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997.

श्री कैलाश मेघवाल, प्रभारी मंत्री राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997.

श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए। कोई बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह, श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवनाथसिंह जी। (अनुपस्थित) श्री रामनारायण चौधरी। (अनुपस्थित) प्रश्न यह है कि जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सदस्य बोलना चाहें ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट थोड़ा। विधेयक क्या है, यह समझ लें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सब जानते हैं, साहब, ज्ञानी लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह व श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह। (अनुपस्थित) श्री रामनारायण चौधरी। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक 1997 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह व श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह। (अनुपस्थित) श्री रामानारायण चौधरी। (अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया गया।

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1997

विधेयक पर विचार

श्री ज्ञानसिंह चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह व श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवनाथसिंह। (अनुपस्थित) श्री रामनारायण चौधरी। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक का पारण

श्री ज्ञानसिंह चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 1997 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.36 बजे सोमवार; 10 मार्च, 1997 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

उदयपुर शहर में औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि का अधिग्रहण

103. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रीको औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत उदयपुर शहर के आस-पास कौन-कौन से क्षेत्र अधिगृहीत किये गये और उसमें अभी तक कुल कितने उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रीको योजना के अन्तर्गत उदयपुर शहर के आस-पास और कौन-कौन से क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्हें रीको अधिगृहीत करना चाहता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर के सीसारमा और नाई क्षेत्र में भी रीको द्वारा उद्योग क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो वह क्षेत्र कौनसा है तथा उस क्षेत्र में रीको की क्या योजना है ?

(4) गत 2 वर्षों में रीको द्वारा उदयपुर में कुल कितनी इकाइयां स्थापित की गयीं और उनमें कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत उदयपुर शहर के आसपास निम्न क्षेत्र इस योजना के अधीन अधिगृहीत किये गये हैं :–

1. मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र
2. सुखेर, सापेटिया औद्योगिक क्षेत्र
3. गुड़ली औद्योगिक क्षेत्र
4. प्रताप नगर
5. कलड़वास

इन क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र 360 इकाइयां
2. औद्योगिक क्षेत्र गुडली 37 इकाइयां
3. उद्योग बिहार सुखेर में 126 इकाइयां

(2) रीको योजना के अन्तर्गत उदयपुर शहर के आस पास निम्न क्षेत्र अधिग्रहण किये जा रहे हैं :–

1. औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास
2. औद्योगिक क्षेत्र सुखेर

औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास में 165-84 हेक्टेयर राजकीय भूमि औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है। इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है एवं औद्योगिक क्षेत्र का सर्वे कराकर तखमीने बनाने का

Page No. 36

(३८)

(उद्योग मंत्री)

कार्य किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र सुखेर के विस्तार हेतु 193 हैक्टेयर निजी भूमि अवाप्त की जा रही है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा धारा 4 की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। अवाप्ति की कार्य-वाही प्रगति पर है।

(3) जी नहीं। सीतारमा और नाई दोनों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए न तो रीको द्वारा सर्वे कराया गया है और न ही इन क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रीको में विचाराधीन है।

(4) गत दो वर्षों में रीको माध्यम से दो इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनके द्वारा लगभग 1425 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। विवरण परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

रीको के माध्यम से स्थापित इकाइयां

क्र. सं.	इकाई का नाम	उत्पाद	स्थान	इकाई की लागत (करोड़ों रु० में)	रोजगार
1	राजस्थान पैट्रो सिंथेटिक्स लि०	पोलीपोप्लीन फिलामेंट यार्न	सुखेर (उदयपुर)	55.00	300
2	भावल सिंथेटिक्स लिमिटेड	सिंथेटिक स्पिनिंग मिल	फतेहसागर (उदयपुर)	55.80	1,125
					1,425

पंचायत समिति सोजत (पाली) के प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

104. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की पंचायत समिति सोजत के प्रधान के विरुद्ध "गरीब को छप्पर" योजना में भारी भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ?

(2) क्या इन शिकायतों की जांच करवाई गई तथा जांच में प्रधान एवं विकास अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(3) दोषी प्रधान एवं विकास अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या उपरोक्त मामले में विस्तृत जांच अब भी जारी है ? यदि हां, तो क्या प्रधान उस जांच को प्रभावित न कर सके इस दृष्टि से सरकार प्रधान को निलम्बित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) दोषी प्रधान के विरुद्ध राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है प्रधान की जांच पूर्ण होने के पश्चात् मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी हां। उपरोक्त विस्तृत जांच अब भी जारी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

105. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोटाभीम (सवाई माधोपुर) में वर्ष 1992 से 1996 तक कितने सैकेण्डी हायर सैकेण्डरी स्कूल खोले गये व कितने क्रमोन्नत किये गये ?

(2) क्या सरकार कन्या शालाओं को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो गुढ़ाचन्द्रजी कन्या शाला को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1992 से 1996 तक टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में 2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा 2 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	क्रमोन्नत विद्यालय का नाम
1.	1993-94	रा.मा.वि. निसुरा
2.	1994-95	रा. बा. सी. मा. वि. टोडाभीम
3.	1996-97	रा.मा.बि. शहराकर
4.	1996-97	रा.सी.मा.वि. करीरी

(2) आगामी वर्षों में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर अन्य विद्यालयों के साथ गुढ़ाचन्द्रजी कन्या शाला को भी क्रमोन्नत करने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

Page No. 38

(38)

जयपुर शहर में संचालित ऑटो रिक्शा

106. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर शहर में ऑटो रिक्शाओं के किराये की दरों में वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो 1 अप्रेल, 1994 से अब तक कब–कब दरें बढ़ाई गई तथा बढ़ाने के पूर्व क्या दरें रहीं और बाद में क्या–क्या दरें रहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने कभी यह भी प्रयास किया कि ऑटो रिक्शा मीटर से चलें ? यदि हां, तो जनवरी, 1994 से अब तक कब–कब क्या–क्या प्रयास किये गये तथा इसका क्या परिणाम रहा ? क्या अब जयपुर शहर में ऑटो रिक्शा मीटर से चलते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 1 अप्रेल, 1994 से आदिनांक तक ऑटो रिक्शा किराये की दरें दिनांक 10.6.94 व 3.2.97 को बढ़ाई गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

	1 अप्रेल, 94 से पूर्व ऑटो रिक्शा किराये की दर	10.8.94 को ऑटो रिक्शा की बढ़ायी गयी दर	3.2.97 को ऑटो रिक्शा की बढ़ाई गयी दर
प्रथम एक कि. मी. तक के लिए न्यूनतम (रुपयों में)	4.50	5.00	5.90
प्रत्येक पाश्चात्वर्ती कि. मी. के लिए (रुपयों में)	2.60	2.90	3.40

नोट:–रात्रिकालीन प्रभार ऑटो रिक्शा के लिए रात्रि 10.30 बजे से प्रातः 5.30 तक उपर्युक्त दरों से देय भाड़े के अतिरिक्त उसका 25% और देय होगा।

(2) मीटर से नहीं चलने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित ऑटो रिक्शा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जनवरी, 94 से फरवरी, 97 तक पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा बिना मीटर चलने वाले ऑटो रिक्शाओं के विरुद्ध 3454 चालान बनाये गये।

भूमि विकास बैंकों के चुनाव

107. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) एवं श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा भीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंकों के चुनाव सम्पन्न करवा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सरकार जिला सहकारी बैंकों के चुनाव कब कराने का विचार रखती है ?

(3) सहकारी संस्थाओं के चुनावों में देरी के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केवल चूरू प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के चुनाव न्यायालय के स्थगन-आदेश के कारण तथा ब्यावर सहकारी भूमि विकास बैंक के चुनाव इस बैंक के अवसायनाधीन होने के कारण नहीं हो पाये।

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव पैक्स/लैम्पस के निर्वाचन के पश्चात् कराये जाने का विचार है।

(3) प्रश्न अस्पष्ट है। राज्य में 20 हजार से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं तथा प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन संस्थाओं में देरी के कारण पूछे गये हैं। अत: इस सम्बन्ध में प्रश्न को स्पष्ट कराया जाना वांछनीय है।

विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की सड़कों की मरम्मत

108. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के अजमेर रोड से महापुरा वाया कलवाड़ा, अजराजपुर तथा महापुरा रोड से भाई होती हुई बमोरिया एवं ऊंती रामपुरा से लालास, भांकरोटा खुर्द होती हुई अजराजपुर सड़कें अत्यन्त जर्जर अवस्था में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

कृषि उपज मंडी समिति (फल सब्जी) जयपुर के अन्तर्गत कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कराया गया है :-

1.	सं सड़क महापुरा से कलवाड़ा	7.00 कि.मी.
2.	,, ,, बगरू से अजराजपुरा	1.50 कि मी.
3.	,, ,, अजमेर रोड से बाजोरिया	2.00 कि.मी.
4.	,, ,, रामपुरा ऊती से लक्ष्मीनारायणपुरा	1.70 कि.मी.

उपरोक्त सड़कों में से क्र.सं. 1 अंकित सड़क सही हालत में नहीं हैं। अन्य सड़कों पर मामूली मरम्मत की आवश्यकता है।

(राज्य मंत्री, कृषि)

मरम्मत की राशि सार्वजनिक निर्माण को मण्डी द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी। इन सड़कों को दिनांक 13.2.97 को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया हैं।

श्रमिकों की सेवा में पुन: वापसी प्रकरण

109. श्री मोहनलालबारूपाल (जायल) एवं **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग में कार्य कर रहे श्रमिकों को हटाने के मामलों में श्रम न्यायालयों ने श्रमिकों को वापस सेवा में लेने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो जनवरी, 1994 से अब तक किस–किस श्रम न्यायालय ने किस–किस श्रमिक को को वापस सेवा में लेने के आदेश दिये तथा इस पर विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्रम न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध सरकार ने उच्च न्यायालय में अपीलें की हैं ? यदि हां, तो किस–किस मामले की अपील की गई और उनमें क्या–क्या निर्णय हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 1994 से अब तक हाई कोर्ट ने कौन–कौन से मामलों में फैसले किये तथा उक्त फैसलों के कारण सरकार को कितनी–कितनी राशि का भुगतान श्रमिकों को करना पड़ा ?

(4) क्या सरकार ने इस विषय पर भी विचार किया है कि अधिकारियों की गलती के कारण श्रमिकों को बिना कार्य किये ही भुगतान करना पड़ रहा हैं ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न श्रम न्यायालयों द्वारा जिन श्रमिकों वापस सेवा में लेने के आदेश दिये हैं उनका विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है। विभाग द्वारा श्रम न्यायालयों के निर्णय की पालना में या तो अवार्ड की पालना की गयी है अथवा अवार्ड के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट की गयी है अथवा अवार्ड के बारे में अन्तिम निर्णय विचाराधीन है।

(2) जी हां। श्रम न्यायालय द्वारा पारित फैसलों के जिन प्रकरणों में अपील की गयी एवं उन पर हुए निर्णय का विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार है।

(3) जनवरी, 1994 से अब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये फैसलों का विवरण प्रश्न के खण्ड–2 के अनुसार है। उक्त फैसलों के कारण 5.78 लाख रु. की राशि का भुगतान करना पड़ा है।

(4) जिन प्रकरणों में अधिकारियों की गलती के कारण श्रमिकों को बिना कार्य

(वन मंत्री)

के ही भुगतान करना पड़ा है उनमें सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उपयोजना क्षेत्र की सिचाई व्यवस्था

110. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की परामर्शदात्री समिति द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सिचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु छोटे-छोटे एनीकट, चैकडेम या डेम निर्माण आदि का सर्वे करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो कब एवं क्या ?

(2) क्या निर्णयानुसार सर्वे कर लिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों का एवं उसमें ऐसे कितने सम्भावित स्थान तय कर, क्या उसका कोई मास्टर प्लान बनाया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अनु. जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की दिनांक 30-31 अगस्त, 96 को सम्पन्न बैठक में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में लघु सिचाई योजना का सर्वे स्वयंसेवी संस्था सद्गुरु फाउण्डेशन दाहोद द्वारा कराने का निर्णय लिया गया।

(2) निर्णयानुसार सद्गुरु वाटर एण्ड डवलपमेंट फाउंडेशन, दाहोद से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में लघु सिंचाई सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होकर रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उदयपुर एवं चित्तौड़ का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त होने की सम्भावना हैं। प्राप्त रिपोर्ट के तथ्य निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिला	बांसवाड़ा	डूंगरपुर
1.	चैकडेम की सं.	407	239
2.	तालाबों की सं.	311	146
3.	जलोत्थान योजना सं.	377	124
	योग:-	1095	509

पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ (चित्तौड़गढ़) हेतु स्वीकृत कार्य

111. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में महिला एवं बाल विकास के कोई कार्य

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

आज तक स्वीकृत नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त कार्य करवाये जाने हेतु सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अब कब तक उक्त क्षेत्र में यह योजना लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में अभी बाल विकास परियोजना प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु वर्ष 1984–95 के दौरान चित्तौड़ जिले में महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस पंचायत समिति को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

(2) विभाग को भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में बाल विकास परियोजना प्रारम्भ करने की स्वीकृति भारत सरकार से मार्च, 96 के दौरान प्राप्त हुई। यह स्वीकृति राज्य में समेकित बाल विकास सेवाओं के सार्वभौमिकरण के अन्तर्गत प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8.1.97 को निर्णय ले लिया गया है। जिसके अनुसार वर्ष 1997–98 के दौरान भैंसरोडगढ़ में भी परियोजना प्रारम्भ कर दी जावेगी। भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास योजना (ड्वाकरा योजना) नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ किया जाना प्रास्तावित है।

(3) भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में बाल विकास परियोजना वर्ष 1997–98 के दौरान प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार ड्वाकरा योजना नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ की जावेगी।

उपनिदेशक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

112. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुर) एवं **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर के पद पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी द्वारा अनेक प्रकार की गम्भीर अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उपनिदेशक जिला आयुर्वेद अधिकारी स्तर का है, जिसको अपने स्वयं की वेतन शृंखला में पूर्व में विशेषाधिकारी आयुर्वेद तथा वर्तमान में उपनिदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है जो राज्यादेश क्रमांक प.2(5)का/क– /अ.प्र./89 दिनांक 27–6–1991 एवं समय–समय पर जारी अन्य आदेशों के विरुद्ध है ?

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी को उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग जयपुर के पद पर पदस्थापित नहीं करने का आदेश माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया था ? यदि हां, तो उक्त राज्यादेशों एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी के आदेश के विरुद्ध विशेषाधिकारी एवं बाद में उपनिदेशक के पद पर पदस्थापित करने के क्या कारण थे।

(4) क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध समय-समय पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की सैकड़ों शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रतियां तथा सरकार द्वारा उन पर अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण, प्राप्त जांच प्रतिवेदनों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विशेषाधिकारी का पद दिनांक 31-8-96 से समाप्त हो चुका है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

राज्य में मदिरा एवं बीयर उत्पाद हेतु स्थापित उद्योग

113. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में शराब व बीयर उत्पादन हेतु कहां-कहां किस-किस द्वारा कितनी लागत के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं ?

(2) शराब व बीयर उत्पादन की इकाइयों के किस-किस के प्रस्ताव सरकार के पास कब से विचाराधीन हैं ?

(3) क्या अलवर जिले में केडिया समूह द्वारा शराब उत्पादन का बड़ा कारखाना स्थापित किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी लागत व उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

(4) उक्त केडिया समूह द्वारा कितनी भूमि किसानों से खरीदी गई तथा कितनी सरकारी भूमि का उसे आवंटन किया गया ?

(5) क्या सही है कि केडिया समूह द्वारा आवंटित व खरीदी गई भूमि के अलावा भी काफी सरकारी भूमि, तालाब तथा आम रास्तों पर अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में शराब एवं बीयर उत्पादन हेतु लगने वाले कारखानों की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(2) शराब व बीयर उत्पादन हेतु अनुज्ञा–पत्र बाबत राज्य सरकार के पास विचाराधीन प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) मैसर्स केडिया समूह को अलवर जिले के गांव सारेखर्द तहसील तिजारा में 57·50 करोड़ की लागत तथा 825 लाख बल्क लीटर उत्पादन क्षमता का कारखाना स्थापित करने हेतु दिनांक 24–11–95 को डिस्टलरी अनुज्ञा पत्र जारी किया गया था किन्तु आवेदक द्वारा संयंत्र स्थापना हेतु संतोषजनक अग्रेतर कार्यवाही नहीं करने के कारण दिनांक 31–3–96 के बाद उनको जारी किये गये अनुज्ञा–पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

(4) केडिया समूह द्वारा ग्राम सारेखर्द में किसानों से 189 बीघा 1 बिस्वा एवं मिस्टीमिडोज कम्पनी से 72 बीघा 13 बिस्वा भूमि क्रय की गई। इस प्रकार कुल 261 बीघा 14 बिस्वा भूमि खरीद की गई है। सरकारी भूमि का कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(5) केडिया समूह द्वारा खरीदी गई भूमि के अलावा सरकारी भूमि, तालाब व ग्राम रास्तों पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है इसलिए जांच का कोई औचित्य नहीं है।

राज्य में शराब व बीयर उत्पादन हेतु स्थापित किये जाने वाले कारखानों की सूची

क्र.सं.	नाम कारखाना व स्थान	किसके द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं।	लागत
	डिस्टलरीज		
1.	विंटेज डिस्टलरीज लि. 117, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर	श्री एस के. नायर, अशोक कुमार, अतुल के. सिंह, राज कुमार, वेदकुमार गुप्ता	12 करोड़
2.	अलवर ब्रेवरीज एण्ड डिस्टलरीज लि. परिवर्तित नाम–मलेन मारगन एण्ड कं. लि. गांव करोरा त. बहरोड़ जिला, अलवर।	श्री नवीन खन्ना, विपीन खन्ना	18.26 करोड़

क्र.सं. नाम कारखाना व स्थान	किसके द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं।	लागत
3. अजन्ता केमिकल्स प्रा० लि० 120 मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर	श्री अनूप कुमार टेकचन्दानी	6 करोड़
4. एसोसिएटेड एल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज गांव पनीहाला त० कोटपूतली जिला जयपुर।	श्री आनन्द केडिया श्री बी. पी. केडिया	40 करोड़
बोटलिंग प्लांट		
5. मै० कृष्णा एंटरप्रोईजेज भिवाड़ी जिला अलवर	श्री अविनाश शर्मा	0.33 करोड़
ब्रेवरीज		
1. रोचीज ब्रेवरीज लि० रीको इण्डस्ट्रीज एरिया निमराना जिला अलवर।	श्री ईश्वरदास मूलराजानी श्री नानकदास मूलराजानी 5, रोची मार्ग कंवरनगर जयपुर	23.29 करोड़
2. सोमदत्त ब्रेवरीज लि० गांव झन्डपुरी टपूकड़ा त० तिजारा जिला अलवर	डाक्टर सोमदत्त	45.75 करोड़
3. एरियन ब्रेवरीज एण्ड डिस्टलरीज लि० गांव चौपंकी त० तिजारा जिला अलवर।	श्री सुधीर एस. पावसकर	22.39 करोड़

(46)

राज्य सरकार के पास शराब व बीयर उत्पादन हेतु विचाराधीन प्रकरण की सूची

क्र.सं.	नाम यूनिट	राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने की दिनांक
(1)	**डिस्टलरीज**	
1.	अलवर ब्रेवरीज एण्ड डिस्टलरीज लि० परिवर्तित नाम–क्लेन मारगन एण्ड कं. लि. गांव कारोरा त. बहरोड़ जिला अलवर।	अर्द्धशासकीय पत्र सं. 32(बी.49) आब/एल/94/1829 दिनांक 17–5–95
2.	एसोसिएटेड एलकोहल एण्ड ब्रेवरीज गांव पनीहाला त० कोटपूतली, जिला जयपुर।	,, ,,
3.	विन्टेज डिस्टलरीज लि. 117, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर।	,, ,,
4.	अजन्ता केमिकल्स प्रा० लि० 120 मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर।	,, ,,
(2)	**ब्रेवरीज**	
1.	मैसर्स रोचीज ब्रेवरीज लि० रीको इण्ड० एरिया निमराना जिला अलवर	प. 32 (बी)1 98 आब/एल/94–95/2651 दिनांक 8–12–96
2.	एसियन ब्रेवरीज एण्ड डिस्टलरीज लि० गांव चोपंकी त० तिजारा जिला अलवर	प. 32(बी) 132) आब/एल/96/2592 दिनांक 6–12–96
(3)	**बॉटलिंग प्लांट**	
1.	मैसर्स कृष्णा एंटरप्राईजेज भिवाड़ी जिला अलवर	प; 32(बी) (90) आब/एल/96/1117 दिनांक 13–6–96

पंचायत समिति छोटी सादड़ी एवं निम्बाहेड़ा के प्राथमिक विद्यालय

114. श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति छोटी सादड़ी एवं निम्बाहेड़ा क्षेत्रों में कितने प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों पंचायत समितियों में संचालित किन-किन विद्यालयों के भवन नहीं हैं ? जिन स्थानों पर भवन हैं उनमें से प्रत्येक विद्यालय में कितने कक्षा-कक्ष एवं कितने कार्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दोनों पंचायत समितियों में चल रहे विद्यालयों में कक्षा अनुसार कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। प्रत्येक विद्यालय में कितना स्टाफ कार्यरत है ? पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) दोनों पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद रिक्त हैं ? उन पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, छोटी सादड़ी एवं निम्बाहेड़ा में निम्नानुसार प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं :–

नाम पं स.	प्रा. वि. की संख्या
छोटीसादड़ी	79
निम्बाहेड़ा	96

(2) पंचायत समिति, छोटी सादड़ी एवं निम्बाहेड़ा में क्रमशः 5 व 3 प्राथमिक विद्यालय भवन रहित हैं। अन्य भवन सहित विद्यालयों में कक्षा, कक्ष एवं कार्यालय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) कक्षावार छात्र संख्या निम्न प्रकार है :–

पं. स. छोटी सादड़ी

कक्षा	छात्र संख्या
1	3022
2	1411
3	892
4	753
5	655

पं. स. निम्बाहेड़ा

1	3798
2	1686
3	1310
4	1057
5	952

कार्यरत अध्यापकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) पंचायत समिति, छोटी सादड़ी एवं निम्बाहेड़ा में अध्यापकों के पद रिक्त नहीं है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को आरक्षण

115. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1996–97 में क्या सभी विद्यालयों में आरक्षित सीटें भर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो किन-किन विद्यालयों में कितनी-कितनी सीटें खाली रहीं और क्यों ?

उत्तर

जी हां। वर्ष 96–97 हेतु आरक्षित सीटें पूरी नहीं भरी गई। जिन विद्यालयों में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें रिक्त रही उनका विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त स्थान
1	2	3
1.	श्री गांधी विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, सरदारशहर (चूरू)	06
2.	ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, संगरिया	11
3.	विद्या भवन कला संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, उदयपुर।	06
4.	राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, फलौदी।	03
5.	श्री गोविन्द शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, हरमाड़ा, जयपुर	03
6.	श्री भवानीशंकर शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, नारायणपुर, अलवर।	06
7.	महाराणा प्रताप शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, बसेड़ी (धौलपुर)	04
		39

आशार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण सीटें रिक्त रही हैं।

राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

116. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के यातायात का इस वर्ष कोई सेंसस किया गया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में यातायात सेंसस में कितनी वृद्धि हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर गत पांच वर्षों से एक्सीडेन्ट की कितनी

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

वृद्धि हुई है एवं उससे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? विवरण मय बसों, ट्रकों/अन्य वाहनों के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कड़े नियम बनाने का विचार रखती है जिससे दुर्घटनाओं में कमी हो सके ?

उत्तर

(1-2) जी हां। राष्ट्रीय उच्च मार्गों के यातायात के सेंसस का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(3) विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(4) सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला जालोर एवं सिरोही के भूमि विकास बैंकों द्वारा फव्वारा योजनान्तगत ऋण वितरण

117. श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर) एवं **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालोर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जालोर एवं सिरोही जिले की सहकारी भूमि विकास बैंकों ने विगत तीन वर्षों में फव्वारा पद्धति योजना में कितने कृषकों को कुल कितना ऋण एवं अनुदान वितरित किया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त योजना में ऐसे किसानों को भी फव्वारों हेतु ऋण एवं अनुदान वितरित कर दिया गया जिनके खेत में न तो कुआं है और न ही पम्प सैट ?

(3) क्या सरकार द्वारा इस विषय में कोई जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच के दौरान क्या तथ्य सामने आये ?

(4) उक्त प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जालौर एवं सिरोही जिले की सहकारी भूमि विकास बैंकों ने विगत तीन वर्षों में फव्वारा पद्धति योजना में कुल कृषकों को कुल ऋण एवं अनुदान निम्न प्रकार वितरित किया है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	जालौर बैंक ऋण वितरण संख्या	राशि	वितरित अनुदान राशि	सिरोही बैंक ऋण वितरण संख्या	राशि	वितरित अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7
1993–94	849	231·46	20·46	8	1·365	0·024
1994–95	1181	308·88	30·82	19	3·692	0·985
1995–96	1641	472·56	86 91	107	13 360	12·960
	3671	1011 90	138·19	134	18·417	11·969

(2) फव्वारा योजना के संबंध में कृषि विभाग में प्राप्त शिकायत के आधार पर उक्त विभाग द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट की एक प्रति सहकारी विभाग को दिनांक 4·3·97 को प्राप्त हुई है जिसके अनुसार माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्नानुसार तथ्य बताये हैं परन्तु निष्कर्ष नहीं दिये हैं। अतः पूर्ण सूचना मंगवाई जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

कोटा बैराज की नहरों का रख–रखाव

118 श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा बैराज से निकाली गई राइट मैन केनाल व लैफ्ट मैन केनाल इस क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख साधन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र

Page No. 51

(51)

(श्री रामगोपाल बैरवा)

में नहरों में मिट्टी भरने व कटने के कारण नहरों की क्षमता कम हो गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि नहरों की बिगड़ती हुई दशा के बाद भी गत चार वर्षों से मिलने वाले बजट में लगातार कटौती की जाकर वर्ष 1996-97 में कम राशि का आवंटन किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हितों को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष में इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। नहरों की स्थिति व परियोजना की आवश्यकता को देखते हुये अनुमान से अधिक धनराशि संशोधित अनुमान में रखी गई है।

राज्य में कृषि कनेक्शन प्रकरण

119. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994-95 एवं वर्ष 1995-96 में राज्य में कितने कुओं पर कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया ? किस-किस श्रेणी में कितने-कितने कुओं को विद्युतीकृत किया गया ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में सामान्य श्रेणी के कितने कृषि कनेक्शन दिये गये ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में राज्य में कृषि कुओं को ऊर्जीकृत करने हेतु लक्ष्य एवं उसकी प्रगति निम्न प्रकार है –:

वर्ष	लक्ष्य	कृषि कनेक्शन दिये।		योग
		सामान्य	नर्सरी	
1994-95	25000	25175	33	25208
1995-96	25000	16712	8289	25001

जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1994-95 एवं 1995–96 में सामान्य श्रेणी में क्रमश: 25175 एवं 16712 कृषि कुओं को कनेक्शन दिये गये। जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' व, 'ब' में दर्शाया गया है।

(5)

परिशिष्ट "म"

वर्ष 1994–95 में कृषि कुओं को ऊर्जीकृत करने के लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं	जिले का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि		
			नर्सरी	सामान्य अनु. जाति अजजा/अन्य	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	527	—	527	527
2.	अलवर	1858	—	1858	1858
3.	बांसवाड़ा	200	—	200	200
4.	बारां	737	—	737	737
5.	बाड़मेर	230	—	230	230
6.	भरतपुर	315	—	315	315
7.	भीलवाड़ा	1410	—	1410	1410
8.	बीकानेर	125	—	129	125
9.	बूंदी	550	—	550	550
10.	चित्तौड़गढ़	2500	1	2499	2500
11.	चूरू	200	—	200	200
12.	दौसा	1180	—	1180	1180
13.	धौलपुर	61	—	65	61
14.	डूंगरपुर	215	—	215	215
15.	जयपुर	3215	—	3215	3215
16.	जैसलमेर	22	—	22	22
17.	जालौर	740	3	737	740
18.	झाड़ाबाड़	993	—	993	993
19.	झूंझुनूं	960	—	960	960
20.	जोधपुर	1055	—	1055	1055

1	2	3	4	5	6
21.	कोटा	620	—	620	620
22.	नागौर	1768	—	1788	1768
23.	पाली	800	19	781	800
24.	राजसमन्द	475	—	475	475
25.	सवाई माधोपुर	505	—	505	505+208
26.	सीकर	1600	—	1600	1600
27.	सिरोही	350	10	340	350
28.	श्री गंगानगर	270	—	220	220
29.	टोंक	195	—	195	195
30	उदयपुर	1104	—	1104	1104
31.	हनुमानगढ़	220	—	270	270
	योग	25000	33	24967	25000+204

(54)

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1995–96 में कृषि कुओं को ऊर्जीकृत करने के लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	जिले का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि नर्सरी	उपलब्धि सामान्य अनु.जाति/अनु.जजा. तथा अन्य	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	350	140	210	350
2.	अलवर	1440	307	1133	1440
3.	बांसवाड़ा	67	5	63	68
4.	बारां	440	302	138	440
5.	बाड़मेर	280	53	227	280
6.	भरतपुर	246	9	237	245
7.	भीलवाड़ा	800	300	500	800
8.	बीकानेर	300	111	189	300
9.	बून्दी	280	72	208	280
10.	चित्तौड़गढ़	1410	502	608	1410
11.	चूरू	787	261	526	787
12.	दौसा	1200	250	950	1200
12.	धौलपुर	36	2	34	36
14.	डूंगरपुर	90	2	88	90
15.	जयपुर	4013	740	3273	4013
16.	जैसलमेर	30	6	24	30
17.	जालौर	700	312	388	700
18.	झालावाड़	350	70	180	350
19.	झुंझुनूं	2600	929	1671	2600
20.	जोधपुर	1000	300	700	1000

Page No. 55

(55)

1	2	3	4	5	6
21.	कोटा	500	265	235	500
22.	नागौर	1800	1007	793	1800
23.	पाली	800	300	500	800
24.	राजसमन्द	270	77	193	270
25.	सवाई माधोपुर	550	200	350	550
26.	सीकर	3000	1044	1956	3000
27.	सिरोही	285	95	190	285
28.	श्री गंगानगर	230	145	85	230
29.	टोंक	146	60	86	146
30.	उदयपुर	750	194	556	750
31.	हनुमानगढ़	250	129	121	250
	योग—	25000	8289	16712	25001

56

बाल श्रम की रोकथाम

120. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बाल श्रम की रोकथाम हेतु कोई अभियान चलाया गया है ?

(2) क्या बाल श्रम सम्बन्धित कानून की अवहेलना करने वाले किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो उसकी जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(3) बाल श्रम को रोकने हेतु सरकार ने जिलों में कौनसे अधिकारी नियुक्त कर रखें हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में बाल श्रम की रोकथाम की दिशा में जन जाग्रति उत्पन्न करने का अभियान चलाया गया है, जिसके अन्तर्गत नियोजकों, श्रमसंघों, स्वेच्छिक संस्थाओं, प्रवर्तन कार्य में लगे अधिकारियों एवं जन सामान्य में इस समस्या के प्रति जागरूकता विकसित की जा सके।

(2) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 7, 8, 9 व 11 के उल्लंघन के लिए 13 नियोजकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई है, इसके अतिरिक्त कारखाना अधिनियम एवं राजस्थान कारखाना नियम के अन्तर्गत बाल श्रमिकों सम्बन्धी प्रावधानों के उल्लंघन स्वरूप कारखाना व्यवस्थापकों के विरुद्ध निम्न प्रकार कानूनी कार्यवाही की गई है :—

क्र.सं.	वर्ष	कारखाने का नाम
1.	1992	मै० मरुधर फैब्रिक्स, भीलवाड़ा।
2.	1993	मै० महावीर काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, विजयनगर।
3.	1993	मै० महेश टेक्सटाइल्स, भीलवाड़ा।
4.	1993	मै. शीतल टेक्सटाइल, भीलवाड़ा।
5.	1993	मै. स्वास्तिक टेक्सटाईल, भीलवाड़ा।
6.	1994	मै महाआनन्द स्टेटरिंग वर्क्स, बालोतरा।
7.	1995	मै. आशा एग्रो इण्ड. श्रीगंगानगर।

(3) बाल श्रम अधिनियम के प्रवर्तन हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में नियुक्त अधिकारियों का विवरण जिलेवार सूची संलग्न है।

बाल श्रम अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में नियुक्त अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जिले का नाम
1.	संयुक्त श्रम आयुक्त,	जयपुर
2.	उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	जयपुर, टोंक एवं दौसा
3.	संयुक्त श्रम आयुक्त	जोधपुर
4.	उपमुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	जोधपुर एवं जैसलमेर
5.	संयुक्त श्रम आयुक्त	उदयपुर
6.	उपमुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	उदयपुर एवं राजसमन्द
7.	संयुक्त श्रम आयुक्त,	बीकानेर
8.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	बीकानेर जिला
9.	संयुक्त श्रम आयुक्त,	कोटा
10.	उपमुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	कोटा, बारां एवं झालावाड़
11.	संयुक्त श्रम आयुक्त,	अजमेर
12.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	अजमेर,(किशनगढ़ सबडिवीजन को छोड़कर)
13.	संयुक्त श्रम आयुक्त,	अलवर
14.	उपमुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	अलवर, (तिजारा तहसील को छोड़कर)
15.	उप श्रम आयुक्त,	भरतपुर
16.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	भरतपुर एवं धौलपुर जिला
17.	उप श्रम आयुक्त,	भीलवाड़ा
18.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	भीलवाड़ा जिला
19.	उप श्रम आयुक्त,	पाली
20	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	पाली जिला (बाली, जैतारण एवं सोजत को छोड़कर)
21.	उप श्रम आयुक्त	सिरोही
22.	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	सिरोही जिला
23.	उप श्रम आयुक्त, चित्तौड़गढ़,	चित्तौड़गढ़
24.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	चित्तौड़गढ़
25.	उप श्रम आयुक्त,	गंगानगर
26.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	गंगानगर जिला (सूरतगढ़ सब डिवीजन को छोड़कर)

क.सं.	अधिकारी का नाम	जिले का नाम
27.	सहायक श्रम आयुक्त,	सीकर
28.	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	सीकर, झुंझुनूं व चूरू
29.	सहायक श्रम आयुक्त,	सवाई माधोपुर
30.	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	सवाई माधोपुर जिला
31.	सहायक श्रम आयुक्त, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
32.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	बांसबाड़ा एवं डूंगरपुर जिला
33.	सहायक श्रम आयुक्त,	नागौर
34.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	नागौर
35.	सहायक श्रम आयुक्त, टोंक	टोंक
36.	श्रम कल्याण अधिकारी,	ब्यांबर
37.	श्रम कल्याण अधिकारी, बालोतरा	बालोतरा
38.	श्रम कल्याण अधिकारी,	दौसा
39.	श्रम कल्याण अधिकारी,	हनुमानगढ़
40.	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	हनुमानगढ़
41.	श्रम कल्याण अधिकारी,	बून्दी
42.	श्रम कल्याण अधिकारी, बारां	बारां
43.	श्रम कल्याण अधिकारी,	धौलपुर
44.	श्रम कल्याण अधिकारी, झुंझुनूं	झुंझुनूं
45.	श्रम कल्याण अधिकारी,	राजसमन्द
46.	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स जोन–प्रथम	उदयपुर एवं राजसमन्द
47.	श्रम कल्याण अधिकारी,	जैसलमेर
48.	श्रम कल्याण अधिकारी,	डूंगरपुर
49.	श्रम कल्याण अधिकारी,	झालावाड़
50.	श्रम कल्याण अधिकारी,	चूरू
51.	श्रम कल्याण अधिकारी, जालौर	जालौर

नोट:–उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य के समस्त जिलों एवं स्थानों पर नियुक्त श्रम विभाग के अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक भी बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत प्रवर्तन कार्य के लिए अधिकृत हैं।

वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स (प्रशा०) राज०, जयपुर, उपमुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स (मुख्यालय) एवं अन्य निरीक्षक भी उक्त प्रवर्तन कार्य के लिए अधिकृत हैं।

प्रश्न संख्या 121
(स्थगित)

राज्य के बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सक

122. श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों के कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) राज्य में कितने आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) बेरोजगार हैं ? इन्हें नियुक्ति नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ? इन्हें अब कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विभागान्तर्गत संचालित आयुर्वेद चिकित्सालयों/औषधालयों में दिनांक 15·1·97 को 95 आयुर्वेद चिकित्सक पदस्थापित नहीं होने से पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्तमान में राज्य में कितने आयुर्वेदाचार्य बेरोजगार हैं, इस विषयक सूचना इस विभाग द्वारा न तो एकत्रित की जाती है और न ही ऐसी सूचना विभाग में उपलब्ध है। आयुर्वेद चिकित्सक के रिक्त पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जा रही है।

आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	रिक्त स्थान	जिला	कब से रिक्त
1	2	3	4
1	मोहारिया	बांसवाड़ा	7/93
2	सलोपाट	बांसवाड़ा	9/96
3	जाम्बा डाकरा	,,	10/96
4	चोरावडा	,,	10/96
5	सजनगढ़	,,	10/96
6	बामडला	बाड़मेर	8/96
7	खेरमालिया	चित्तौड़गढ़	11/94

1	2	3	4
8	कटजली	चित्तौड़गढ़	1995
9	बजरंगगढ़	,,	1995
10	खेरोट	,,	10/96
11	ग्यासपुर	,,	8/96
12	राजपुरा	,,	9/96
13	रामसिसर	सीकर	10/96
14	महुवा	,,	10/96
15	बडगामा	डूंगरपुर	8/95
16	चारबाड़ा	,,	5/94
17	उबली	,,	7/94
18	गढजसराजपुर	,,	3/96
19	कराड़ा	,,	10/96
20	भैसरा	,,	1993
21	रघुनाथपुरा	,,	8/96
22	चुन्डावाडा	,,	9/96
23	काठड़ी	,,	9/96
24	बागदड़ी	,,	10/96
25	चाड़ोड़ी	,,	9/96
26	रास्तापाल	,,	10/96
27	बडोपल	श्रीगंगानगर	7/95
28	शादुलशहर	,,	4/96
29	म्याजलार	जैसलमेर	7/95
30	जोगा	,,	7/95
31	सिहडार	,,	9/96
32	दासावास	नागौर	9/96
33	नोखा खुर्द	,,	8/96
34	छोटी खाटू	,,	8/96
35	मदोरा	,,	9/96

Page No. 61

(61)

1	2	3	4
36	उनवास	राजसमंद	1/96
37	बरवड़ा	,,	8/96
38	गांवगुडा	,,	8/96
39	गोगाथला	,,	10/95
40	राजी का वास	जालोर	9/95
41	साकड़	,,	12/94
42	पुर	,,	9/95
43	वेरठ	,,	10/94
44	धनानी	,,	9/86
45	पगारिया	झालावाड़	8/96
46	लसोड़िया शाह	,,	6/96
47	तारंज	,,	11/96
48	धाऊ	जोधपुर	11/96
49	खुडियाला	,,	7/92
50	पिला कोयर	,,	9/93
51	जम्भेश्वर लोहावट	,,	2/98
52	उदट	,,	9/93
53	इन्दों की ढाणी	,,	9/93
54	पीलवा	,,	9/96
55	आसोप	,,	9/96
56	खांगटा	,,	9/96
57	भवाद	,,	9/96
58	सेवाड़ा	सिरोही	10/94
59	"अ" श्रेणी माऊन्ट आबू	,,	8/96
60	दन्तानी	,,	9/96
61	गोरिया	पाली	9/95
62	कोठार	,,	8/96
63	कालवकला	,,	8/96

(62)

1	2	3	4
64	गजनीपुरा	पाली	8/96
65	दुदोड़	,,	9/96
66	सिवास	,,	9/96
67	ग्राउवा	,,	11/96
68	बिराठिया खुर्द	,,	10/96
69	ग्रानन्दपुर कालू	,,	12/96
70	केसरिया वाद	उदयपुर	1/96
71	सल्लाड़ा	,,	1/96
72	ग्रम्बे बिड़िया	,,	9/96
73	सगरेण	भीलवाड़ा	8/96
74	गाडरमाला	,,	9/96
75	दोसर	,,	9/96
76	पातुसरी	झुंझुनू	6/96
77	चंवरा	,,	3/96
78	बड़बर	,,	9/96
79	मानोता जाटान	,,	10/96
80	राणासन बीकान	चूरू	8/96
81	लिखमा देसर	,,	8/96
82	बाना	,,	11/96
83	न्यामा	,,	10/96
84	भोज्या खेड़ी	बारां	8/96
85	राजपुर	,,	9/96
86	फूलदेसर	बीकानेर	10/96
87	महाजन	,,	10/96
88	बीठनोक	,,	9/96
89	सहजरासर	,,	7/94
90	"ग्र" श्रेणी लक्ष्मीनारायणपुरी	जयपुर	12/96
91	सिरोही	टोंक	12/96
92	सोडा	,,	10/96
93	निमोला	कोटा	12/96
94	उदपुरा मोडक	,,	10/96
95	चोडागांव	सवाईमाधोपुर	10/96

जिला झुन्झुनूं की ग्राम पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता प्रकरण

123. श्री मूलसिंह शेखावत (झुन्झुनूं) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या झुन्झुनूं जिले में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्य के चुने जाने के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में शिकायतें आई हैं? यदि हां, तो कितनों के विरुद्ध ?

(2) क्या इन शिकायतों को निश्चित अवधि में निपटाने की प्रक्रिया है? क्या कुछ मामलों में जान बूझकर जांच कार्य को लम्बित किया जा रहा है ?

(3) सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में कितने मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सरपंच/उप सरपंच एवं पंचों के विरुद्ध चुने जाने के बाद 37 शिकायतें 2 से अधिक बच्चे पैदा होने की प्राप्त हुई हैं।

(2) जी हां। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19(व) के अन्तर्गत प्राथमिक जांच से अनिहित पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 39(2) के अन्तर्गत उक्त व्यक्ति को नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिये जाने की प्रक्रिया है। जांच समय पर की गई है, किसी प्रकरण में विलम्ब नहीं किया गया है।

(3) कुल 37 प्रकरणों में से 9 मामलों पर निर्णय लिया जा चुका है तथा शेष 28 प्रकरण जांच में विचाराधीन हैं।

जिला अजमेर में अध्यापकों/कर्मचारियों का बकाया वेतन प्रकरण

124. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अजमेर में ऐसे कितने अध्यापक/अध्यापिकाएं व कर्मचारी हैं जिन्हें नियमित सेवा के उपरान्त भी पिछले तीन माह या उससे अधिक समय से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है? पूर्ण विवरण मय नाम, पदस्थापन स्थान, अवधि व भुगतान नहीं करने के कारणों की सूची के सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अजमेर में ऐसे कितने अध्यापक/अध्यापिकाएं व कर्मचारी हैं जिनका वेतन समान पद पर अन्य स्थान से तथा अन्य संवर्ग के किसी पद पर आहरित किया गया? पिछले तीन वर्षों की विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) नियमित वेतन भुगतान नहीं करने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं एवं सरकार उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्रीमती रश्मि शर्मा, वरिष्ठ अध्यापिका राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चन्दन निवास अजमेर को जुलाई 95 से अवकाश पर रहने के कारण 10 माह के वेतन का भुगतान अवकाश स्वीकृति के अभाव में आहरण नहीं किया जा सका, अवकाश प्रकरण का निस्तारण हो चुका है तथा देय वेतन भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) अजमेर जिले में अध्यापक/अध्यापिका व कर्मचारी जिनका वेतन अन्य स्थान से समान पद या अन्य के विरुद्ध गत तीन वर्षों से आहरित किया है, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सभी को नियमित वेतन भुगतान हो रहा है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के बस अड्डे

125. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य परिवहन निगम ने मंडी खाजूवाला में संसद कोष से निर्मित बस अड्डे को अपने अधीन नहीं लिया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालय लूणकरणसर में बस अड्डा निर्माण हेतु बार-बार मांग की जा रही है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। भूमि की कीमत अत्यधिक होने के कारण, क्रय किया जाना संभव नहीं हो पाया है।

(2) जी हां। उचित भूमि आबंटन हेतु परिवहन निगम द्वारा प्रार्थना पत्र लगा दिया गया है।

दी जयपुर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा गंगानगर पद्धति पर ऋण वितरण

126. श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दी जयपुर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, ने अपनी सभी शाखाओं में गंगानगर पद्धति अपना कर ऋण सुविधा देना प्रारम्भ कर दिया है तथा ऐसे सभी काश्तकारों को जिन्होंने ऋण चुकता कर दिया है को पासबुक देकर बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर दी है? यदि हां, तो इस सुविधा का लाभ सदस्य काश्तकारों को क्यों नहीं मिल रहा है?

(2) क्या यह सही है कि बैंक शाखाओं में इस गंगानगर पद्धति का सही परिपालन

Page No. 65

(65)

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

नहीं हो रहा है जिसकी वजह से फसली ऋण व खाद समय पर नहीं मिल रही है तथा शाखा व्यवस्थापक सोसाइटीज को खाद दिलाने हेतु क्रय विक्रय सहकारी समिति के नाम बैंक ड्राफ्ट दे देते हैं, लेकिन पन्द्रह-पन्द्रह रोज तक खाद प्राप्त नहीं होती है जिसका पन्द्रह दिन का ब्याज सोसायटी के नाम लगता है ,तथा सदस्य इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, यदि हां, तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये सरकार क्या क़दम उठाने का विचार रखती है तथा 15 रोज के बैंक ड्राफ्ट के ब्याज की अदायगी का कौन जिम्मेदार होगा ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे सभी कृषक जिन्होंने बैंक का चूकती ऋण अदा कर दिया है उनको ऋण के रूप में नकद राशि बिलकुल ही नहीं दी गई है जबकि उसको डीजल वगैरह के खर्च में नकद राशि की आवश्यकता रहती है ? बैंक लिमिट के अनुसार ऋण नकद के रूप में नहीं देने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि सिकराय ग्राम सेवा सहकारी समिति के किसी भी सदस्य को फसली ऋण नकद राशि के रूप में रबी फसल के लिए अभी तक नहीं दिया गया है जबकि लिमिट पास है, यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक उक्त कृषकों को यह ऋण दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । इस सुविधा का लाभ सरकारी समिति के बकाया ऋण को चुकता करने वाले सदस्य काश्तकारों को नियमानुसार दिया जा रहा है ।

(2) जी नहीं । शाखा व्यवस्थापक समितियों को खाद दिलवाने हेतु क्रय विक्रय सहकारी समिति के नाम बैंक ड्राफ्ट अपनी ओर से नहीं देते हैं, संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा अपनी आवश्यकता के आधार पर खाद बीज प्राप्ति हेतु ड्राफ्ट बनवाया जाता है । अतः यह गलत है कि शाखा व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति के नाम बैंक ड्राफ्ट दे देते हैं । यह उल्लेखनीय है कि किसान से चैक तक ही लिया जाता है कि जब ग्रामसेवा सहकारी समिति द्वारा खाद उपलब्ध करवा दिया जाता है ।

(3) जी नहीं । कृषक सदस्य, ग्रामसेवा सहकारी समिति के रूप में बैंक की संबधित शाखा से ऋण नियमानुसार ऋण चुकाने पर ऋण सुविधा नियमानुसार उपलब्ध कराई जाती है जिसमें नकद भुगतान भी शामिल है ।

(4) जी नहीं । सिकराय ग्राम सेवा सहकारी समिति से कृषकों को ऋण दिया जा रहा है ।

जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग नागौर द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान

127. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री रिछपाल सिंह)

(1) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग नागौर द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान कौन-कौन से कार्य जिले की विभिन्न तहसीलों में करवाये गये ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 के दौरान कराये गये उक्त कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान काफी लम्बे समय से बकाया है ? यदि हां, तो कितना और किन-किन तहसीलों में ? भुगतान में देरी के क्या कारण रहे ? अब उक्त मजदूरों को भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, नागौर द्वारा वर्ष 1996-97 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करवाये गये/जा रहे तैंतीस कार्यों की सूची तहसीलवार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है । जिसका योजनावार विवरण निम्न प्रकार है :-

1. राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम–11

2. मरू विकास कार्यक्रम–21 (नवीन-5 तथा पुराने–16)

3. सुनिश्चित रोजगार योजना-1 कार्य ।

(2) जी हां । वर्ष 1996-97 के दौरान कराये गये कार्यों में से मरू विकास योजना के अन्तर्गत पुराने 9 कार्यों पर माह जुलाई एवं अगस्त 96 में कराये गये वानस्पतिक कार्यों में श्रमिकों का भुगतान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर से माह अक्टूबर, 96 में राशि रु 2.61 लाख प्राप्त होने के कारण विलम्ब से किया है । उपरोक्त भुगतान 4 तहसीलों में क्रमशः परबतसर, जायल, डेगाना एवं मुण्डवा में माह नवम्बर, दिसम्बर, 96 में कुल चार से छः महिनों के विलम्ब से कराया गया है । भुगतान में विलम्ब का कारण यह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर से राशि देरी से प्राप्त होना है ।

वर्ष 1996-97 के दौरान कराये गये कार्यों में से मरू विकास योजना अन्तर्गत पुराने सभी कार्यों को माह मार्च, 96 में समय पूर्व बन्द (फोर क्लोज) किया जाने के निर्देश दिये गये थे परन्तु सीमेन्ट प्राप्ति में देरी के कारण सात कार्य माह मार्च, 96 में पूरे नहीं कराये जा सके । इन कार्यों को आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व सुरक्षित स्तर तक पूरा करना आवश्यक था अन्यथा किया गया व्यय निष्फल हो जाता । अतः इन सात कार्यों को चालू रखा गया तथा भुगतान हेतु राशि की मांग जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर से इस कार्यालय द्वारा जून, 96 में की गई । इन सात कार्यों पर रु० 11.38 लाख का भुगतान किया जाना शेष है । जिसका विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है । माह अगस्त, 96 में इन कार्यों हेतु संशोधित प्रस्ताव भी भेजे गये । जो अभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर के पास विचाराधीन हैं । स्वीकृति एवं राशि प्राप्त होते ही भुगतान किया जायेगा ।

वर्ष 1996-97 में जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण, नागौर द्वारा करवाये जा रहे है कार्यों की तहसीलवार सूची

क्र.स. 1	जल ग्रहण क्षेत्र का नाम 2	तहसील 3
(1) राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम		
1.	जल ग्रहण क्षेत्र सेनणी, चित्तावणी	मुंडवा
2.	,, कुड़ी	नागौर
3.	,, भम्बाली	जायल
4.	,, बालिया	डीडवाना
5.	,, बलदू	लाडनूं
6.	,, नराधणों की ढाणी	मेड़ता
7.	,, ईडवा	डेगाना
8.	,, कोडिया	,,
9.	,, रावडियादखासपुर	परबतसर
10.	,, मोरेड	मकराना
11.	,, सबलो	कुचामन
(2) मरु विकास कार्यक्रम (नये कार्य)		
1.	जल ग्रहण क्षेत्र खामियाद	लाडनूं
2.	,, रोहिणी	नागौर
3.	,, शंखवास	मुंडवा
4.	,, मेहगांव	परबतसर
5.	,, धोकलिया	परबतसर

(68)

1	2		

(3) मरू विकास कार्यक्रम (पुराने कार्यक्रम)

1.	जल ग्रहण क्षेत्र	जूसरी	मकराना
2.	,,	लाडोली	मकराना
3.	,,	कासेडा	कुचामन
4.	,,	पालडी	कुचामन
5.	,,	भीलोया वारणवास	कुचामन
6.	,,	धाजोली	जायल
7.	,,	सुडियास	परबतसर
8.	,,	भालरा	परबतसर
9.	,,	बरूण	परबतसर
10.	,,	परिलवा	,,
11.	,,	माण्डरा	,,
12.	,,	रूणिजा	,,
13.	,,	डेड	जायल
14.	,,	पीपलिया	डेगाना
15.	,,	बूजपुरा	,,
16.	,,	रूण	मुंडवा

(4) सुनिश्चित रोजगार योजना

1.	,,	मायापुर	परबतसर

ह०

उप-निदेशक

मरू विकास योजनान्तर्गत सीमेंट के देरी से प्राप्त होने कारण माह अप्रेल 96 से जून 96 में कराये गये पुराने सात कार्यों की तहसीलवार सूचना

क्र.सं. ज ग्र क्षे / कलक्टर का नाम	तहसील	राशि जो भुगतान की जानी है	इकाई अधिकारी का नाम	कनिष्ठ अभियन्ता का नाम
1. छाजोली	जायल	1.70	श्री जमना लाल कुहारी	श्री किशन लाल शर्मा
2. कांसेड़ा	नावां	3.30	,, अर्जुन सिंह राठोड़	,, रघुवीर सिंह राठोड़
3. पालड़ी	नावां	1.43	,, ,,	,, ,,
4. जूसरी	मकराना	1.57	,, ,,	,, ,,
5. लाडोली	,,	4.50	,, ,,	,, ,,
6. झीलिया चारणवास	नावां	3.00	,, ,,	श्री महेश अजाडीवाल
7. पीपलिया	डेगाना	0.80	श्री सुरेन्द्र सिंह मनोहर	,, मनोज कुमार बंसल

फालिया सिंचाई परियोजना (छीपा बड़ौद) का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रकरण

128. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला बारां की पंचायत समिति छीपा बड़ौद की फालिया सिंचाई परियोजना को वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

वन संरक्षण अधिनियम (1980) के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन के उपयोग हेतु स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती हैं। अधिनियम के अन्तर्गत डूब में आने वाली वन भूमि के एवज में अनिवार्य समतुल्य गैर वन भूमि का चयन होकर पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अनापत्ति हेतु शासन द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित नहीं किये गये हैं।

जनजाति क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु प्रदत्त सुविधाएं

129. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जनजाति क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं उत्पादन में किन-किन लोगों को अधिकृत किया गया है तथा उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनजाति क्षेत्र में मत्स्य पालन एवं उत्पादन में राज्य सरकार (मत्स्य विभाग एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि., "राजससंघ" उपयोजना क्षेत्र में स्थित जयसमन्द (उदयपुर), माही बजाज सागर (बांसवाड़ा) एवं कडाना बेकवाटर (डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा) में मत्स्य पालन एवं उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। राजससंघ द्वारा सीधे ही किसी व्यक्ति को उक्त कार्य के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, अपितु इस हेतु गठित सहकारी समितियों के माध्यम से यह कार्य सम्पादित कराया जाता है। इन समितियों के समस्त सदस्य जनजाति के हैं।

गठित समिति के सदस्यों को मत्स्याखेट प्रशिक्षण, 50% नकद व 50% अनुदान पर, तीन व्यक्तियों के बीच एक नाव एवं प्रति सदस्य दस किलो जाल उपलब्ध कराये जाते हैं। इन सदस्यों द्वारा आखेटित मछली का श्रेणीवार निर्धारित दर पर राजससंघ द्वारा भुगतान किया जाता है। आखेटित मछली के विपणन की व्यवस्था राजससंघ अपने स्तर पर करता है। मत्स्याखेट योजना हेतु अन्य आधारभूत सुविधाएं राजससंघ द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता की मदद से उपलब्ध कराई जाती हैं। जनजाति के मछुआरों की सुरक्षा के लिए राजससंघ द्वारा उनको समूह बीमा भी निःशुल्क करवाया जाता है।

डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल

130. श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों के ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थानों की उपेक्षा की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक दर्शनीय स्थानों की पहचान करने की कोई योजना बनाई गयी है यदि हां, तो क्या ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विभाग का डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों के पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटक सूचना केन्द्र, बांसवाड़ा में संचालित है। "जनजातियां" व डूंगरपुर व बांसवाड़ा पर रंगीन ब्रोशर तैयार कराये गये हैं, जिससे कि इस पर्यटन साहित्य के माध्यम से पर्यटकों को इस क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। अरथूना व उदयविलास के महलों पर आकर्षित पोस्टर भी तैयार करवाया गया है। विभाग ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में पर्यटक स्वागत केन्द्रों के निर्माण हेतु रु. 60.00 लाख का प्रावधान किया है। बेणेश्वर मेला स्थल पर रु. 5.00 लाख के विकास कार्य करवाये गये हैं। जूना महल डूंगरपुर की फ्लड लाइट पर रु. 11.00 लाख व एप्रोच रोड पर रु. 2.00 लाख खर्च किये गये हैं। विभाग बागड़ क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने हेतु सर्वेक्षण करवा रहा है।

परिशिष्ट–2

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन

179. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन में अनियमितताएं किये जाने की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में और कब-कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन से मामलों में तथा जांच में क्या पाया गया ? जांच रिपोर्ट की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार ने इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है तथा अब क्या कार्यवाही की जानी शेष है ?

(4) औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में क्या प्रकिया अपनाई जा रही है क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाये गये हैं अथवा कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

1. औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ जिला अजमेर के भूखण्डों के कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में जो शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी, उसकी जांच हेतु श्री एन. एस. भण्डारी, सेवानिवृत सदस्य राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर को जांच अधिकारी राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2-3-1996 को नियुक्त किया गया है ।

2. कोटा औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में एक अन्य मामले में रीको को दिनांक 26-7-96 को जांच करने हेतु निर्देश दिये गये थे ।

3. औद्योगिक क्षेत्र बापी जिला दौसा में भू-आबंटन में अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें दिनांक 7-2-96 को प्राप्त हुई थी ।

(i) किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में श्री एन. एस. भण्डारी, सेवानिवृत, सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर को जांच के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिये गये थे । श्री भण्डारी द्वारा राज्य सरकार को

(उद्योग मंत्री)

प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

(ii) कोटा औद्योगिक क्षेत्र के मामले में एक शिकायत मैसर्स प्रभा केम इन्टरनेशनल के श्री अनिल न्याती ने माननीय उप मुख्यमंत्री को प्रेषित की थी एवं आबंटन में अनियमितता के सम्बन्ध में जो शिकायत थी जांच करने हेतु रीको के एक अधिकारी, सलाहकार (विधि) को नियुक्त गया था।

(2) कोटा के मामले में जांच करने के पश्चात् यह पाया गया है कि श्री अनिल न्याती ने रीको स्थित कोटा के स्टाफ के सम्बन्ध में जो शिकायत की थी, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य श्री अनिल न्याती द्वारा अपने शैड के पीछे पड़ी 150 वर्गमीटर भूखण्ड का आबंटन करवाना था। जो कि पूर्व में ही आबंटित था। इस संदर्भ में जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

औद्योगिक क्षेत्र बापी में भू-आबंटन सम्बन्धी अनियमितता के संदर्भ में तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री राजेश कुमार के विरुद्ध दीर्घ शास्ति हेतु दण्डित किये जाने हेतु दिनांक 7-5-96 को आरोप पत्र दिया गया था। उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने के उपरान्त दिनांक 29-6-96 को जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। जांच अधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही की जा रही है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट आने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(3) भाग-2 के उत्तर में उल्लिखित प्रथम बिन्दू पर राज्य सरकार द्वारा विचारोपरान्त आगामी कार्यवाही की जावेगी। द्वितीय एवं तृतीय की स्थिति भाग-2 के उत्तर में स्पष्ट कर दी गई है।

(4) औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटन के सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(प्रति एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा की औद्योगिक भूमि पर अवैध निर्माण

180. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भीलवाड़ा नगर में औद्योगिक भूमि पर बिना स्वीकृति के व्यावसायिक काम्पलेक्स बना लिए गए हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सभी मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मैसर्स कृष्णा जीनिंग फैक्ट्री भीलवाड़ा की औद्योगिक भूमि पर अवैधानिक व्यवसायिक काम्पलेक्स बना कर व्यवसाय शुरू कर दिया गया है? यदि हां, तो यह व्यवसाय किसकी इजाजत से व क्यों चालू किया गया? क्या सरकार इन दुकानों को बन्द कराने व हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा नगर में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर मैसर्स भंवर प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज भीलवाड़ा एवं मैसर्स कृष्णा कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, भीलवाड़ा द्वारा व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण बिना स्वीकृति के कराया गया है। इन इकाईयों के भू-आवंटन क्रमशः दिनांक 9-6-94 एवं 2-8-95 को निरस्त किये जा चुके हैं जिनके विरुद्ध इकाईयों द्वारा क्रमशः माननीय सिविल न्यायाधीश भीलवाड़ा में वाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किये गये हैं तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर की गयी है। अतः ये दोनों मामले न्यायालय के विचाराधीन है।

(2) जी हां। मैसर्स कृष्णा कॉटन जिनिंग फैक्ट्री भीलवाड़ा द्वारा आवंटन प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण कराकर व्यवसाय शुरू किया गया। व्यवसायिक दुकानें निर्माण कराने के कारण ही औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटित भूमि का आवंटन दिनांक 2-8-95 को निरस्त किया गया है इकाई का प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है।

उद्योग नीति

181. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नई उद्योग नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो कब ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस नई उद्योग नीति से प्रदेश में नई औद्योगिक क्रान्ति का समावेश हुआ है ? यदि हां, तो उद्योगों, नई तकनीक, नए पूंजी निवेश, उत्पादन वृद्धि व उद्योगपतियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या इस नई उद्योग नीति से प्रेरित होकर प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना हुई है और रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में नव जीवन संचित हुआ है ? यदि हां, तो उद्योगवार उसमें विनियोजित पूंजी निवेश आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) इस नई उद्योग नीति के तहत कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित, विस्तारित हुए हैं और कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विस्तारित किए जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में नई औद्योगिक नीति वर्ष 1994 में लागू की गई है। औद्योगिक नीति की प्रति परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नई औद्योगिक नीति के प्रतिपादन से निवेश के लिए आकर्षक वातावरण बना है। उद्योगों को दी जाने वाली रियायतों एवं सुविधाओं, पूंजी निवेश आदि का विवरण परिशिष्ट "ख" एवं "ग" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(उद्योग मंत्री)

(3) प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के पश्चात के प्रयासों से राज्य में नए उद्योगों की स्थापना का विवरण परिशिष्ट "ग" एवं रुग्ण इकाईयों में नव-जीवन संचित होने का विवरण परिशिष्ट "घ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) नई औद्योगिक नीति लागू होने के पश्चात राज्य में रीको द्वारा विकसित नए औद्योगिक क्षेत्र एवं विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण परिशिष्ट "द" एवं "य" सदन के पटल पर रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त रीको द्वारा 85 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित/विस्तार का कार्य किया जा रहा है। जिनका विवरण भी परिशिष्ट "र" सदन के पटल रख दिया गया है।

(प्रति एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले की बुनकर सहकारी समितियों का निरीक्षण

182. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि हाथ करघा बुनकर सहकारी समितियों की विंडिग आउट कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर जिले की बुनकर सहकारी समितियों का निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो क्या जिन समितियों को जून, 1996 में निष्क्रिय व बन्द पाया गया उनको आर्थिक सहायता बन्द की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वे समितियां अन्य संघों की मार्फत व्यापार कर रही थी ?

(2) क्या यह सही है कि उप-रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण में बन्द पाई गई समितियां जिनके चालू होने की कोई सम्भावना व्यक्त नहीं की गई थी, वे जयपुर जिला बुनकर सहकारी संघ की मार्फत सप्लाई का काम कर रही थी ? यदि हां, तो इस निरीक्षण अवधि में जयपुर जिले की ऐसी कितनी समितियां थी जो बन्द व निष्क्रिय होने पर भी जयपुर जिला संघ की मार्फत लेन-देन कर रही थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जो समितियां जून, 1996 में बंद पायी गई उनको आर्थिक सहायता बंद करने हेतु सम्बन्धित सहायक/उप रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, जयपुर हाथ-करघा विकास निगम, राज. राज्य बुनकर सहकारी संघ एवं जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर को उद्योग निदेशालय द्वारा निर्देशित किया गया। बंद पायी गयी समितियों में से नवजीवन हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि०, जयपुर द्वारा बुनकर संघ के मार्फत व्यापार करना बताया गया है। जयपुर जिला बुनकर संघ से ऐसी कोई बंद/निष्क्रिय समिति लाभ प्राप्त नहीं कर रही है।

(2) जी नहीं।

आयुक्त देवस्थान द्वारा यात्राओं पर व्यय

183. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान देवस्थान आयुक्त ने पदभार ग्रहण करने के बाद अब तक कुल कितने कार्य दिवस मुख्यालय पर कार्य किया ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उनके द्वारा अब तक कुल कितनी व किस-किस स्थान की यात्राएं की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन यात्राओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ? सहायक आयुक्तों के साथ दर्शाई गई यात्राओं का विवरण भी सदन की मेज पर रखें।

(4) यात्राओं पर व्यय की गई राशि टैक्सी किराए के मद में किस-किस सहायक आयुक्त कार्यालय से कितनी-कितनी व्यय की गई ?

(5) इन यात्राओं का क्या प्रयोजन रहा ?

(6) क्या सरकार इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान आयुक्त, देवस्थान श्री देवनारायण थानवी ने दिनांक 19-10-95 को कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात् 31–12–96 तक कुल 440 दिवस में से 124 दिवस मुख्यालय पर कार्य किया। माहवार विवरण परिशिष्ट–1 सदन की पटल पर रख दिया गया है।

आयुक्त, देवस्थान के कार्य दिवसों का विवरण

क्रम सं.	कार्य विवरण	दिनों की संख्या
1.	उदयपुर मुख्यालय पर कार्य किया	124 दिवस
2.	राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत लम्बित अपीलों के कैम्प कोर्ट जयपुर व विभागाध्यक्षों की बैठक में सचिवालय स्तर पर भाग लेना।	94 दिवस
3.	राजस्थान राज्य एवं राज्य बाहर स्थित मन्दिरों संस्थानों/अधिनस्थ कार्यालयों व विभागीय सम्पदा का निरीक्षण व समस्याओं के निस्तारण हेतु यात्रा की गई।	150 दिवस
4.	आकस्मिक एवं उपार्जित अवकाश का उपभोग किया	24 दिवस
5.	राजकीय अवकाश का उपभोग	48 दिवस
		440 दिवस

(2) आयुक्त, देवस्थान द्वारा दिनांक 19-10-95 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् जो यात्रा की गई उसका दिनांक 31-12-96 तक का विवरण (परिशिष्ट–2) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(78)

(देवस्थान मंत्री)

(3) इन यात्राओं पर दिनांक 19-10-95 से 31-12-96 तक कुल 79,186/- रु. व्यय हुआ। जिसमें से यात्रा बिल का भुगतान 67,811/-रु. व 11,375/- रु. टैक्सी किराया का है।

सहायक आयुक्तों के साथ की गई यात्रा का खण्डवार विवरण निम्नानुसार है :—

	खण्ड का नाम	यात्रा की दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	सहायक आयुक्त, देवस्थान, कोटा।	23-3-96 से 24-3-96	मन्दिर श्री डाडदेवी माताजी व करौली स्थित मंदिरों का निरीक्षण।
2.	सहायक आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर।	18-11-95 से 20-11-95	मंदिर श्री महाकालेश्वरजी की राज. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के संबध में वार्ता।
		21-1-95	ऋषभदेव एवं डूंगरपुर के मंदिरों का निरीक्षण।
		16-3-96 से 18-3-96	ऋषभदेव एवं गोटिया आम्बा मेले की व्यवस्था।
		25-4-96 से 1-5-96	अजमेर, किशनगढ़ जैसलमेर, जोधपुर मन्दिरों का निरीक्षण।
		26-5-96	संपदा निरीक्षण नाथद्वारा
		24-8-96 से 26-8-96	चित्तौड़, बांसवाड़ा, त्रिपुरा, सुन्दरी आदि मन्दिरों का निरीक्षण।
	सहायक आयुक्त, देवस्थान, वृन्दावन	31-3-96	अकादमी लाजडीड के संबंध में श्री पाद बाबा सवाने मथुरा, गोवर्धन मन्दिरों का निरीक्षण।
		11-5-96	पाटोत्सव जयपुर मन्दिर वृन्दावन, मथुरा, दिल्ली, गोवर्धन मन्दिरों का निरीक्षण।

(देवस्थान मंत्र)

1	2	3	4
		12-5-96	,, मन्दिरों का निरीक्षण
		2-6-96 से 8-6-96	दिल्ली हरिद्वार, उत्तरकाशी, पाटोत्सव में भाग लिया।
		29-7-96 से 31-7-96	दिल्ली, वाराणसी।

(4) सहायक आयुक्तों द्वारा टैक्सी किराये पर व्यय राशि का विवरण 31.12.96 तक का निम्नानुसार है :—

	खण्ड का नाम	टैक्सी किराये पर किया गया व्यय
1	सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर	24,405/-
2.	सहायक आयुक्त, देवस्थान, जोधपुर	31,263/-
3.	सहायक आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर	14,900/-
4.	सहायक आयुक्त, देवस्थान कोटा	निल
5.	सहायक आयुक्त, देवस्थान, बीकानेर	9850/-
6.	सहायक आयुक्त, देवस्थान, भरतपुर	निल
7.	सहायक आयुक्त, देवस्थान, वृन्दावन	20741/-
	योग :	1,01,159/-

(5) यात्रा का प्रयोजन प्रश्न के भाग-2 के साथ संलग्न परिशिष्ट-II में उल्लेखित किया गया है।

(6) यात्रायें राजकीय प्रयोजन से किये जाने के कारण जांच का प्रश्न नहीं रखता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

Page No. 80

(80)

रामचन्द्र मन्दिर, ग्राम रोहिड़ा (सिरोही)

184. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रागैतिहासिक रामचन्द्र मन्दिर ग्राम रोहिड़ा, जिला सिरोही की पाषाण एवं काष्ठ कला को तोड़-फोड़ कर नष्ट करके मन्दिर के खातेदारी की जमीन एवं कुएं को निजी नाम से करके खुर्द-बुर्द की गई हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त मन्दिर की प्राचीन नीलम की मूर्ति मन्दिर में अभी तक है ? यदि नहीं, तो मूर्ति कहां गई ?

(2) क्या यह सही है कि श्री रामचन्द्र भगवान की नाबालिग मूर्ति के नाम से खातेदारी की उपरोक्त जमीन (पावटी) का नामान्तरण पुजारी के नाम से कानूनन एवं नियमानुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुजारी के विरुद्ध कार्यवाही कर उसे बेदखल करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या रोहिड़ा (सिरोही) स्थित सोमनाथ मन्दिर का कोई अधिकृत व वैध ट्रस्ट है ? क्या इस मन्दिर की जमीन, जायदाद, चल–अचल सम्पत्ति का विगत अनेक वर्षों से अब तक का कोई हिसाब–किताब उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मन्दिर की उचित व्यवस्था करने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम रोहिड़ा जिला सिरोही में स्थित प्रागैतिहासिक रामचन्द्रजी के मन्दिर में वर्तमान में कोई तोड़ फोड़ या नष्ट करने की कार्यवाही नहीं हो रही है। मन्दिर में नीलम की मूर्ति होने की कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान में मुख्य मन्दिर के पास स्थित कमरे में एक 21 इन्ची ऊंची श्याम वर्णी, पाषाण मूर्ति व अन्य धातु की मूर्तियां पड़ी हुई हैं। तहसीलदार एवं थाना अधिकारी से जांच कराने पर बताया कि बुजुर्ग व जिम्मेदार लोगों के अनुसार नीलम की कोई मूर्ति इस मन्दिर में नहीं थी, यही श्याम वर्ण की मूर्ति है। मन्दिर के खाते–दारी की भूमि एवं कुए को निजी नाम से करके खुर्द बुर्द करने के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही इस विभाग में लम्बित नहीं है। मन्दिर श्री रामचन्द्र जी रोहिड़ा जिला सिरोही देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एव नियंत्रित नहीं है।

(2) वर्तमान में मन्दिर श्री रामचन्द्र जी भगवान की मूर्ति के नाम से खातेदारी भूमि नहीं है। दिनांक 19– –1959 के खाता पर्चा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी में भोक्ता श्री रामचन्द्र मन्दिर देव स्थान दर्ज है, लेकिन वर्तमान में खातेदार कृषक श्री रामदास वगैरा है। जो नामान्तरण के जरिये न आकर सेटलमेन्ट सन् 1967–68 के भू–प्रबन्ध द्वारा दर्ज किये गये हैं। बेदखली बाबत रेफरेन्स की कार्यवाही सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत की जाकर मन्दिर की भूमि पर से अवैध

(देवस्थान मंत्री)

हस्तान्तरण एवं नामान्तरण हटाया जाकर भूमि पुनः मन्दिर के खाते में दर्ज किये जाने का प्रावधान है। जिसकी दुरुस्ती के लिये दावा तहसीलदार, पिण्डवाड़ा ने उप खण्ड अधिकारी, आबू पर्वत के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो दर्ज होकर दावा 11/97 व प्रार्थना पत्र संख्या 12/97 न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) जी हां, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत मन्दिर श्री सोमनाथजी ग्राम रोहिड़ा जिला सिरोही पंजीकृत प्रन्यास है। जिसके पंजीयन क्रमांक 5/88 है। इस प्रन्यास के विधान को सब रजिस्ट्रार पिण्डवाड़ा द्वारा भी पंजीकृत किया है। मन्दिर की अचल सम्पत्ति में 17–14 बीघा भूमि है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

–03 बीघा श्री धन्नाराम रावल के पास सं. 2053 हेतु 5500/ठेके पर

–12 बीघा श्री राबरलाल रावल के पास मन्दिर की गौशाला चारा हेतु फसल उत्पादन स्वयं के स्तर पर

19 बीघा काश्त नहीं होती है।

प्रन्यास के पंजीयन के समय प्रन्यासियों ने मन्दिर की आय–व्यय का हिसाब प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् आज तक प्रन्यासियों द्वारा किसी प्रकार का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया है। आय–व्यय का हिसाब प्रस्तुत करने हेतु सहायक आयुक्त, देवस्थान, जोधपुर द्वारा प्रन्यास अध्यक्ष को नोटिस दिया गया है। प्रन्यास एवं उसकी सम्पत्ति के संरक्षण के लिये राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 38 के अन्तर्गत प्रन्यास को हानि पहुंचाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान है। शिकायत प्राप्त होने पर इसके अन्तर्गत कार्यवाही सम्भव है।

ग्राम गुडा (परबतसर) की वन भूमि पर अतिक्रमण

185. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि परबतसर तहसील के ग्राम गुडा के रेल्वे फाटक के पास वन विभाग की भूमि है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि पर किन–किन लोगों ने कितनी–कितनी भूमि पर कितने वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है?

(3) क्या सरकार वन विभाग की उक्त सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। परबतसर तहसील के ग्राम गुड़ा के रेल्वे फाटक के पास वन विभाग की खसरा नम्बर 30 में 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि है।

(वन मंत्री)

(2) उक्त भूमि में से 3 बीघा भूमि पर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा मै. राकावत ग्रायल मिल, मंगलाना हेतु धारा 92 के ग्रन्तर्गत सैट अपार्ट की गई तथा उद्योग विभाग के ग्रादेश क्रमांक एफ 23 (ग्राई/ए/82–83 दिनांक 17–6–1983 द्वारा विधिवत ग्रावंटित की गई थी। इसी ग्राबंटित भूमि का श्रीमती गीतादेवी के ग्रावंटन पर उक्त लीज जिला कलक्टर के ग्रादेश दिनांक 15–3–1995 द्वारा श्रीमती गीता देवी धर्मपत्नी श्री राकेश मेघवाल ग्राम बोराबड़ के नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति जारी की गई हैं। इस ग्रावंटन के साथ-साथ ग्रावंटी द्वारा एक बीघा पर ग्रौर ग्रतिक्रमण कर कुल 4 बीघा भूमि पर चार दीवारी का निर्माण एक साथ किया गया हैं।

(3) वन विभाग की भूमि के इस ग्रावंटन को निरस्त करने हेतु राजस्व ग्रपील ग्रधिकारी, ग्रजमेर के न्यायालय में वन विभाग की ग्रोर से मई, 1996 में वाद दर्ज कराया गया है, जो जेरकार हैं।

राज्य के जलग्रहण क्षेत्र

186. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रलवर जिले के जलग्रहण क्षेत्र में हुए घोटालों का प्रकरण सरकार के ध्यान में ग्राया है? यदि हां, तो उसकी जांच किस ग्रधिकारी द्वारा की गई ग्रौर नहीं, तो क्यों? क्या दोषी ग्रधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कुल कितने जलग्रहण क्षेत्र हैं? उनमें सम्मिलित गांवों की सूची मय क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसे घोटाले ग्रन्य जलग्रहण क्षेत्रों में भी हुए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कब-कब व इसमें कौन–कौन ग्रधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) कितने जलग्रहण क्षेत्र क्रियाशील व कितने बन्द हैं, कितने नव प्रस्तावित हैं व कितने बढ़ाने के प्रस्ताव हैं? तथा कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रलवर जिले के किसी भी जलग्रहण क्षेत्र में हुए घोटाले का विवरण ध्यान में नहीं ग्राया है।

(2) राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 204 जलग्रहण क्षेत्र, समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना में 4 मैक्रो ज. ग्र. क्षेत्र, पावड़ी योजना में 2 मैक्रो ज. ग. क्षेत्र एवं विशिष्ठ योजना में 155 ज. ग्र. क्षेत्रों में भू एवं नमी संरक्षण के कार्य

(राज्य मंत्री कृषि)

यूजर्स कमेटियों के माध्यम से कराये जा रहे हैं।

वर्ष 1995–96 तक सम्पादित कराये जा रहे जलग्रहण क्षेत्रों के गांवों की सूची संलग्न–1 पर हैं। इसके पश्चात् की अवधि में स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्रों के गांवों की सूचना संकलित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) समन्वित जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना के तहत अजमेर, जोधपुर एवं राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कुचामन सिटी (नागौर) के अधीन जलग्रहण क्षेत्रों में कराये गये कार्यों में, पाये गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध वांछित कार्यवाही की गई हैं, जिसकी विस्तृत सूचना संलग्न–2 पर उपलब्ध हैं।

(4) उपरोक्त उत्तर सं. 2 में वर्णित स्वीकृत समस्त जलग्रहण क्षेत्र क्रियाशील है। चालू पंच वर्षीय योजना में कोई भी नव जलग्रहण क्षेत्र प्रस्तावित करना विचाराधीन नही है 128 जलग्रहण क्षेत्रों के विस्तार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं।

(सूची एवं सूचना विधान -सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कृषि उपज मण्डी समितियों का अंकेक्षण

187. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों का अंकेक्षण लोकल फण्ड ऑडिट विभाग द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो राज्य की कृषि उपज मण्डियों का ऑडिट कौन से वर्ष तक कर लिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी समितियों के ऑडिट समय पर न करने के क्या कारण हैं? इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) पिछले पांच वर्षों में कृषि उपज मण्डीवार कितने–कितने ड्राफ्ट पैरा बने? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें से कितने पैरा का निस्तारण कर दिया गया तथा कितनी राशि वसूल की गई?

(84)

उत्तर

(1) जी हां, निम्न कृषि उपज मण्डी समितियों के अतिरिक्त समस्त कृषि उपज मण्डियों का अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1994–95 तक के लेखों का कर लिया गया हैं :—

क्र.सं.	नाम मण्डी समिति	वर्ष जिसका अंकेक्षण नहीं हुआ	अंकेक्षण नहीं किये जाने का कारण
1.	डीडवाना (नागौर)	1980–81 से 82–83	अभिलेख जांच में होने कारण मण्डी के पास उपलब्ध नहीं।
2.	निशनगढ़ (मदनगंज)	1976–77	गबन प्रकरण में रिकार्ड न्यायालय में है।
3.	सादुलपुर (बीकानेर)	1977–78, 79–80	अभिलेख कोर्ट केस के संबंध में सम्बन्धित पुलिस थाने में जमा है।
4.	अन्ता (कोटा)	1986–87, 87–88	अभिलेख जांच में होने के कारण अंकेक्षण नहीं हो सका है।
5.	बेगूं (उदयपुर)	1994–95	लोकसभा चुनावों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगने के कारण अंकेक्षण नहीं हो सका है।
6.	चित्तौड़गढ़	1994–95	लोकसभा चुनावों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगने के कारण अंकेक्षण नहीं हो सका है।

(2) क्र.सं. 1 से तीन की मण्डियों के कारण बिन्दु सं. 1 के कॉलम 4 पर दर्शायें अनुरूप संस्था के पास रिकार्ड उपलब्ध होते ही अंकेक्षण करवाया जाना अपेक्षित है। अन्ता मण्डी का रिकार्ड प्राप्त हो गया है। अतः अन्ता, बेगूं व चित्तौड़गढ़ का आगामी अंकेक्षण दल के समय अंकेक्षण किया जाना अपेक्षित है।

(3) पिछले 5 वर्षों में बने ड्राफ्ट पैरा की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रेषित वसूली, समयोचित विवरण परिशिष्ट 2 पर सलंग्न है।

(सूची एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर का आय-व्यय

188. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी, उदयपुर की गत 2 वर्षों के आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों का माल मण्डी तक लाने हेतु उक्त क्षेत्र में सम्पर्क सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो मण्डी समिति की आय का कितना खर्च ऐसी सम्पर्क सड़कों के लिए गत 2 वर्षों में किया गया और कुल कितनी सड़कें बनाई गई?

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर किसानों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर द्वारा वर्ष 1995-96 और 1996-97 में प्रस्तावित सड़कों जी क्या कोई योजना सरकार को प्रेषित की गयी और कौन कौन सी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर की गत दो वर्षों की कुल आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है—

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	वर्ष	आय	व्यय
-	1994-95	117.00	124.89
-	1995-96	174.20	142.27

86

87

(राज्य मंत्री कृषि)

(2) जी हां, सम्पर्क सड़कों पर मण्डी समिति की आय में से वर्ष 1994–95 में 14.71 लाख रुपये एवम् 1995–96 में 14.41 लाख रुपये निम्नांकित सड़कों पर व्यय किया गया है—

क्र.सं.	नाम सम्पर्क सड़क	(राशि लाख रुपयों में) व्यय 1994–95	1995–96
1	2	3	4
1.	स.स. सुरखण्ड से रेल्वे स्टेशन से नावदा	1.47	3.93
2.	,, ,, कविता से लखावली	1.42	7.61
3.	,, ,, दावण्डा से कालनवाड़ा	2.60	0.46
4.	,, ,, रकमपुरा से छाउजी की बावड़ी	0.23	—
5.	,, ,, वेलवाड़ा से गवार	2.60	0.20
6.	,, ,, उदयपुर, जोधपुर रोड़ से पदराड़ा	0.61	—
7.	,, ,, सेमारी से रठोड़ा	0.79	—
8.	,, ,, सेरिया से टोडा	2.61	1.80
9.	,, ,, सराड़ी से पानीकोटड़ा	0.43	—
10.	,, ,, रिछोड से छुरावल	1.85	0.27
11.	,, ,, झाखोल से कनथारिया	0.10	0.10
12.	,, ,, पाड़ला	—	0.02
13.	,, ,, कोटड़ा खेडब्रह्म से माहुड़ी	—	0.02

तथा निम्न सड़कें पूर्ण निर्मित हुई हैं।

1. स० स० कविता से लखावली
2. ,, सुरखण्ड से खेड़ा से रेल्वे स्टेशन से नावदा
3. ,, सेरिया से टोडा

(3) मण्डी समिति द्वारा मण्डी प्रांगण में किसानों को निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं—

1– कृषक विश्राम गृह   7– बैंक भवन

(राज्य मंत्री कृषि)

2– नीलामी चबूतरे
3– पानी की प्याऊ मय वाटर कूलर
4– पशुओं के लिए पानी की खेल
5– जलपान गृह
6– वर्गीकरण प्रयोगशाला
8– सुलभ शौचालय
9– पशु चिकित्सालय
10– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
11– प्रकाश व्यवस्था

(4) वर्ष 1995–96 में मण्डी समिति द्वारा कोई नवीन सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु प्रेषित नहीं की गई परन्तु निदेशालय द्वारा मास्टर प्लान के अनुरूप निम्न सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई :—

1. सम्पर्क सड़क पाडला ।
2. सम्पर्क सड़क कोटडा खेड़ा ब्रह्म रोड से माहड़ी ।
3. सम्पर्क सड़क ओलादर से समीचा से धूरन ।

वर्ष 1996–97 में मण्डी समिति द्वारा प्रेषित तथा निदेशालय द्वारा स्वीकृत सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	मण्डी समिति द्वारा प्रेषित सड़कें	निदेशालय द्वारा की गई कार्यवाही
1.	सम्पर्क सड़क उदयपुर रतनपुरा हाईवे रोड 8 से अमरपुरा	स्वीकृत
2.	स० स० पलोदड़ा कल्याणपुर रोड़ से गुडासर	,,
3.	स० स० उदयपुर झामर कोटड़ा से कलडवास वाया केसरपुरा	वरियता क्रमांक 1(ब) में सड़कें शेष रहने से स्वीकृत नहीं ।

नोट – क्रम संख्या 1 व 2 की सड़कों का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ रखने के कारण दिनांक 6–1–97 को स्वीकृति निरस्त करदी गई ।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषक साथी योजनान्तर्गत सहायता

189. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वित्तीय वर्ष 1996-97 में कितने कृषकों को खेत पर काम करते समय सांप द्वारा डस जाने, बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि, कुआ खोदते समय तथा खेत पर कार्य करते समय शरीर का कोई अंग भंग हो जाने का मृत्यु हो जाने पर कृषक साथी योजना के तहत कब-कब कितनी कितनी राशि की आर्थिक सहायता तथा किन-किन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1997-98 में इस आर्थिक सहायता को और बढ़ाने का विचार रखती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वित्तीय वर्ष 1996–97 में कृषक साथी योजना के तहत कृषि उपमण्डी समिति (अनाज) जयपुर द्वारा संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार भुगतान किया गया हैं ।

(2) जी नहीं । दिये जाने वाला अनुदान पर्याप्त है ।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 फरवरी '97 तक में कृषक साथी योजना के तहत कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर द्वारा भुगतान की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	आपदा का प्रकार	राशि (रुपयों में)	भुगतान की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री रामफुल मीणा/महंगुलाल मीणा	कुए में गिरने से मृत्यु	25,000.00	25-4-96
2.	श्रीमती कमला पत्नि/स्व. श्री नरसी मीणा	कुआ खोदते समय मिट्टी ढहने से मृत्यु	25,000 00	15-4-96
3.	श्रीमती नर्वदा देवी पत्नि/ श्री लक्ष्मीनारायण मीणा	कुए में बिजली की मोटर का करंट लगने से मृत्यु	25,000.00	9-5-96
4.	श्रीमती मोटा देवी पत्नी श्री देवनारायण	थ्रेसर से सिर के बाल उखड़ गये	12,000.00	22-8-96

(89)

1	2	3	4	5
5.	श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री नानगराम शर्मा	जहरीला जानवर काटने से मृत्यु	25,000.00	26-8-96
6	श्रीमती गेंदली देवी पत्नि श्री भागीरथ बैरवा	बाजरे के खेत के पिलाई करते समय बिजली के करंट से मृत्यु	25,000.00	22-8-96
7.	श्री बद्रीनारायण पुत्र श्री नानगराम	खेत मे सांप के काटने से मृत्यु	25,000.00	26-8-96
8.	श्रीमती लक्ष्मी पत्नि श्री रामप्रसाद	ट्रेक्टर के थ्रेसर से हाथ की उंगली कट गई	1,500.00	22-8-96
9.	श्रीमती पांची देवी पत्नि श्री ईश्वरराम	चारा काटने की मशीन से उंगली कट गई	1,500.00	19-2-97
10.	श्री प्रेमा पुत्र श्री रामगोपाल बैरवा	खेत की निराई करते समय आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु	25,000.00	31-1-97
11.	श्री अन्नाराम पुत्र श्री कानाराम	कुट्टी काटते समय हाथ का पोंचा कट गया	6,000.00	31-1-97
12.	श्रीमती शांति पत्नि श्री प्रभु बैरवा	बिजली का करंट लगने से मृत्यु	25,000.00	28-1-97

विभिन्न विभागों द्वारा भर्ती

190. श्री खेत सिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला रोजगार कार्यालय से सूची मंगाए बगैर राज्य के कई विभागों में सीधी भर्ती की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, रोजगार कार्यालयों से सूची मंगाये बगैर विगत एक वर्ष में जिन विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अर्द्ध शासकीय संस्थानों ने सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये हैं, उनकी सूची संलग्न है। उनके बारे में संबंधित विभागों को स्थिति स्पष्ट करने के लिये लिखा गया है।

सूची

क्रमांक	नियोजक/संस्थान नाम जिसके द्वारा रिक्तियां ज्ञापित नहीं की गई	रिक्त पदों के नाम	किसने कब लिखा	उत्तर क्या आया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक सचिव, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि., छठी मंजिल नेहरु सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर ।	डीजी हैल्पर इलेक्ट्रीशियन	जयपुर रोजगार कार्यालय के पत्र 6224 दिनांक 9-4-96	उत्तर प्राप्त हुआ रोजगार कार्यालय को (भविष्य में ज्ञापित कराई जायेगी ।)	अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नोटिस दिया ।
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन सचिव, जिला परिषद, बीकानेर ।	ग्रामसेवक पदेन सचिव	रोजगार कार्यालय, बीकानेर के पत्र 7283 दिनांक 6-12-96	उत्तर प्राप्त हुआ । विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती	रोजगार सेवानिदेशालय द्वारा पत्रांक 3536 दिनांक 14-2-97 से निदेशक ग्रामीण विकास

1	2	3	4	5	6
				राज विभाग का पत्रांक एफ. 28 (प्रशा-2/ग्राविप/चयन/1515 जप. दि. 11-7-96 एव सेवा नियमों की अनुपालना में।	एवं पंचायती राज विभाग जयपुर को लिखा गया।
3.	उप महानिदेशक जवाहर कला केन्द्र, जयपुर	कार्यक्रम अधिकारी (दृश्य कला)	रोजगार कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 6233 दिनांक 9-4-96	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नोटिस दिया।
4.	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।	कनिष्ट अनुदेशक	रोजगार सेवा निदेशालय के पत्रांक 15446 दिनांक 9-7-96	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	इस सम्बन्ध में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा जोधपुर को स्थिति स्पष्ट करने को लिखा गया है।
5.	मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज., जयपुर।	1. सीनियर ड्राफ्ट मैन (सिविल)	रोजगार कार्यालय, जयपुर के पत्रांक 6222 दिनांक 9-4-96	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक

1	2	3	4	5	6
					निर्माण विभाग को लिखा गया है।
		2. क. प्रारूपकार (सिविल) 3. लेख्रो ऑपरेटर 4. लेखो. अटेन्डेन्ट 5. कनिष्ट अभियन्ता	रोजगार कार्यालय जयपुर के पत्रांक 6225 दिनांक 9-4-96	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	इस बारे में मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थिति स्पष्ट करने के लिये लिखा गया है।
6.	अधिशाषी अधिकारी (कार्मिक) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।	1. आ. लिपिक (हिन्दी/अंग्रेजी) 2. टेलीफोन आपरेटर 3. लिफ्ट आपरेटर 4. लाइन चालक 5. कनिष्ट सहायक	1. रोजगार कार्यालय, जयपुर पत्रांक 7989 दिनांक 24-7-96 2. रोजगार सेवानिदेशक पत्रांक 21073 दिनांक 9-10-96	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नोटिस दिया।

1	2	3	4	5	6
7.	निदेशक, मूल्यांकन संगठन राज., जयपुर योजना भवन, द्वितीय तल, सी-ब्लाक, सी-स्कीम, युधिष्ठर मार्ग, जयपुर।	1. अन्वेषण सहायक 2. अन्वेषक 3. कम्पाईलर	रोजगार कार्यालय, जयपुर के पत्र 10372 दिनांक 17-10-96	उत्तर प्राप्त हुआ रो. का. को कि विज्ञापन को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की सूचना की प्रति पी.एण्ड. ई. कार्यालय को दी है।	अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नोटिस दिया।
8.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	चिकित्सा अधिकारी	रोजगार सेवा निदेशालय के पत्रांक 21959 दिनांक 17-10-96	उत्तर प्राप्त हुआ प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के पत्रांक आदेश एफ. 15 (2) चि.स्वा-ग्रुप-2/96 दिनांक 8-10-96 की अनुपालना में।	अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नोटिस दिया।

1	2	3	4	5	6
9.	निदेशक राज. स्टेट एजेन्सी फार कम्प्यूटर सर्विसेज, पी-ब्लाक, प्रथम तक, योजना भवन तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर	कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाईजर एण्ड डाटा ऐन्ट्री आपरेटर	रोजगार सेवा निदेशालय के पत्रांक 24173 दिनांक 19-11-96	उत्तर नहीं आया	अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नोटिस दिया।
10.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी चित्तौड़गढ़।	चिकित्सा अधिकारी	रोजगार सेवा निदेशालय के पत्रांक 26340 दिनांक 19-12-96	उत्तर नहीं आया	अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नोटिस दिया।
11.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, धौलपुर।	चिकित्सा अधिकारी	रोजगार कार्यालय, धौलपुर के पत्रांक 5023 दि. 22-11-96	उत्तर नहीं आया	अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नोटिस दिया।
12.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, टोंक।	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	रोजगार कार्यालय, टोंक के पत्रांक 3955 दि. 24-10-96	उत्तर नहीं आया	अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नोटिस दिया।

1	2	3	4	5	6
13.	विशिष्ठ शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सचिवालय, जयपुर।	प्रबन्धक ग्रेड–II	रोजगार कार्यालय, जयपुर के पत्रांक 6226 दिनांक 9-4-96	रोजगार कार्यालय जयपुर को उत्तर दिया कि रोजगार संदेश में प्रकाशित कराई गई।	इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग को स्थिति स्पष्ट करने को लिखा गया है।

गुड़ा बालोतान (जालौर) विद्यालय में अध्यापकों का पदस्थापन

191. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की गुड़ा बालोतान सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल में विज्ञान एव वाणिज्य विषय अध्यापकों की कमी के कारण बन्द कर दिये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विषयों के अध्यापकों का शाला में पदस्थापन कर पुन: इन विषयों का अध्यापन शीघ्र चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं । राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय गुड़ा बालोतान जिला जालौर में केवल विज्ञान संकाय छात्र संख्या न्यून होने के कारण बन्द किया गया है ।

(2) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय गुड़ा बालोतान में छात्र संख्या न्यून होने के कारण विज्ञान संकाय बन्द कर दिया गया है । अत: विषय हेतु अध्यापकों की नियुक्ति का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

उप निदेशक शिक्षा (पुरुष) अजमेर द्वारा उर्दू विषय के अध्यापकों का पदस्थापन

192. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप निदेशक शिक्षा (पुरुष) अजमेर मण्डल, अजमेर द्वारा माह मार्च, 1996 में उर्दू विषय के तीन वरिष्ठ अध्यापक नियुक्त कर जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र-संस्थाएं) अजमेर को पदस्थापन हेतु सुपुर्द किये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं), अजमेर ने उनके पत्र दिनांक 3-4-1996 द्वारा उप निदेशक शिक्षा (पुरुष), अजमेर को यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि उनके अधीन उर्दू विषय के वरिष्ठ अध्यापक के कोई पद रिक्त नहीं हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उर्दू विषय के पद रिक्त नहीं होने के बावजूद भी उर्दू विषय के अध्यापकों को सामान्य विषय के अध्यापक पदों के विरुद्ध एवं नियमों के विरुद्ध नियुक्तियां दी गई हैं ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां ।

(3) विभाग के निर्देश, दिनांक 16-3-96 के अनुसार अल्पभाषा के पद पर सामान्य अध्यापक नहीं लगाया जावे ।

(शिक्षा मंत्री)

अल्पभाषा के जानकार अध्यापक अस्थाई तौर पर अल्पभाषा अध्यापक उपलब्ध होने तक लगाया जा सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर के द्वारा 5 पदों पर उर्दू के जानकार सामान्य अध्यापकों को पदोन्नति पर लगाया गया है। यह व्यवस्था विभाग के निर्देश दिनांक 16-3-96 के प्रावधानों के तहत की गई है। यह व्यवस्था नियुक्ति अधिकारी के द्वारा छात्रों के हितों में की गई है। स्थानान्तरण पर प्रतिबंध होने के कारण चयनित 3 उर्दू अध्यापकों को सामान्य अध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापित किया गया है। अतः किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

राज्य की सामान्य साक्षरता दर

193. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य के प्रत्येक जिले में महिला, पुरुष तथा कुल सामान्य साक्षरता दर तथा प्राथमिक स्तर तक शिक्षा का क्या अनुपात है ?

(2) राज्य के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग की महिला, पुरुष एवं कुल प्राथमिक स्तर तक शिक्षा दर एवं साक्षरता दर क्या-क्या है ?

(3) शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु गत पांच वर्षों में क्या-क्या योजनाएं प्रारंभ की गई तथा इन योजनाओं से कितने-कितने अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग के लोग प्राथमिक स्तर तक लाभान्वित हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिलेवार पुरुष एवं महिला तथा सामान्य साक्षरता दर वर्ष 1991 की गणना के आधार पर परिशिष्ट-1 में दी गई है। प्राथमिक स्तर तक नामांकन की सूचना परिशिष्ट-2 पर है।

(2) जिलेवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत वर्ष 1991 की गणना के आधार पर परिशिष्ट-3 में सदन के पटल पर रख दी गई है। प्राथमिक स्तर तक नामांकन की सूचना परिशिष्ट-2 में दी गई है।

(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु विभाग द्वारा निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, शुल्क में छूट आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अन्य वर्ग के छात्रों के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र भी लाभान्वित होते हैं। साक्षरता अभियान के तहत राजस्थान के समस्त 31 जिलों में योजना प्रारम्भ की गई है जो विभिन्न चरणों में चल रही है।

(शिक्षा मंत्री)

जिसमें अब तक 9.09 लाख अनुसूचित जाति एवं 11.13 लाख अनुसूचित जनजाति के लोगों का नामांकन किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा के 18,900 केन्द्र स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत 1.19 लाख अनुसूचित जाति एवं 1.04 लाख अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा कर्मी एवं लोक जुम्बिश योजना को विस्तार किया गया है। विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्राथमिक स्तर के नामांकन में वृद्धि हो रही है। प्राथमिक स्तर तक नामांकन निम्नानुसार है—

नामांकन हजारों में

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1992–93	812	566
1993–94	837	584
1994–95	870	609
1995–96	907	639
1996–97	964	684

परिशिष्ट-1

राजस्थान में जिलेवार साक्षरता प्रतिशत-1991

राज्य/जिला		कुल व्यक्ति	पुरुष	महिलायें
1	2	3	4	5
राजस्थान		38.55	54.99	20.44
1.	श्री गंगानगर	44.55	56.98	30.07
2.	बीकानेर	41.73	54.63	27.03
3.	चूरू	34.78	51.30	17.32
4.	झुन्झुनूं	47.60	68.32	25.54
5.	अलवर	43.09	60.98	22.54
6.	भरतपुर	42.96	62.11	19.60
7.	धौलपुर	35 09	50.45	15.25
8.	सवाई माधोपुर	35.86	53.94	14.52
9.	जयपुर	50.38	66.77	31.84
10.	दौसा	36.87	56.75	14.15
11.	सीकर	42.49	64.13	19.88
12.	अजमेर	52.34	68.75	34.50
13.	टोंक	33.67	50.64	15.24
14	जैसलमेर	30.05	44.99	11.28
15.	जोधपुर	40.69	56.74	22.58
16.	नागौर	31.80	49.35	13.29
17.	पाली	35.96	54.42	16.97
18.	बाड़मेर	22.98	36.56	7.68
19.	जालौर	23.76	38.97	7.75

1	2	3	4	5
20.	सिरोही	31.94	46.24	16.99
21.	भीलवाड़ा	31.65	45.95	16.50
22.	उदयपुर	34.90	48.73	20 71
23.	राजसमन्द	33.09	50 66	15.54
24.	चित्तौड़गढ़	34.28	50.55	17.15
25.	डूंगरपुर	30.50	45.71	15.40
26.	बांसवाड़ा	26.00	38.16	13.42
27.	बून्दी	32.75	47.40	16.13
28.	कोटा	55.24	70.66	37.56
29.	बारां	36.57	53.76	17.22
30.	झालावाड़	32.94	48.22	16.18
31.	हनुमानगढ़	30.99	48.69	25.76

परिशिष्ट–2

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर (आयु वर्ग 6–11 वर्ष) नामांकन का जिलेवार विवरण सितम्बर, 1996

(संख्या हजारों में)

जिला		आयु वर्ग 6 से 11 वर्ष								
		समस्त जाति			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बीकानेर	103.00	61.00	164.00	11 50	3.50	15.00	1 00	0.50	1.60
2.	चूरू	159.00	89.00	248.00	17.00	7.30	24 50	3.40	2.10	5.50
3.	गंगानगर	109.00	72.00	181.00	22.00	8,40	30.90	1.70	0.90	2.60
4.	हनुमानगढ़	85.00	48.00	133.00	16.80	4.60	21.30	1.00	0.60	1.60
5.	झुन्झुनूं	181.00	112.00	293.00	29.30	9.60	38.90	5.70	3.20	8.90
6.	अजमेर	185.00	118.00	303.00	34.00	16.00	50.00	7.20	3.60	10.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	नागौर	203.00	94.00	297.00	29.50	8.60	38.10	3.00	1 40	4.40
8.	टोंक	99.00	58.00	157.00	19.60	7.60	27.10	13.10	3.10	16.20
9.	भीलवाड़ा	134 00	51.00	185,00	18.20	8.50	24.70	12.50	4.40	16.90
10.	जोधपुर	208.00	154.00	362.90	31,70	15.60	47.30	9.20	5.20	14,40
11.	पाली	161.00	80.00	241.00	26.40	8.70	35.10	7.70	2.50	10.20
12.	सिरोही	80.00	37.00	117.00	14.20	5.30	19.50	12.70	4.90	17.60
13.	जालौर	102.00	32.00	134.00	12.00	3.10	15.00	5.90	2.30	8.20
14.	बाड़मेर	126,00	45.00	171.00	17.20	4.70	21.90	6.70	2.10	8.80
15.	जैसलमेर	41.00	16.00	57.00	5.70	1.80	7.50	1.50	0,60	2,10
16.	जयपुर	31200	189.00	501.00	71.40	29.00	100.40	52.20	20.60	72.80
17.	अलवर	233.00	138.00	371.00	42.70	13.70	56.40	20.90	8.50	29.40
18.	भरतपुर	167.00	88.00	255.00	33.30	11.70	45.00	6.60	4.00	10.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	धौलपुर	85.00	37.00	122,00	13 20	3,50	16.70	3.40	1 10	4.50
20.	दौसा	133.00	75.00	208 00	24.40	11.90	36.30	13.50	7.40	20.90
21.	सीकर	204.00	113.00	317.00	27.80	9.50	37.30	7.10	2.10	9.20
22.	कोटा	137.00	102.00	239 00	24.90	12,30	37.20	19.20	7.90	27 10
23.	बून्दी	67.00	41 00	108.00	13.10	5.00	18.10	12 20	4.80	17.00
24.	स. माधोपुर	183.00	87.00	270 00	38.60	13.70	52.30	44 00	13.50	57.50
25.	झालावाड़	92.00	46.00	138.00	15.10	6.00	21.10	10 30	3.80	14.10
26.	बांरा	83.00	45.00	128.00	14.90	6 20	21.10	11 90	4.90	16.20
27.	उदयपुर	179.00	108 00	287.00	26.70	11.90	38.60	46.80	14.60	61.40
28.	राजसमंद	84.00	40.00	124.00	10.40	5.60	16.00	16 10	6.50	22.60
29.	बांसवाड़ा	121.00	68.00	189.00	8.30	4.90	13.20	68.70	27.40	96.10
30.	डूंगरपुर	99.00	54.00	153.00	6.00	3.50	9 50	46 90	18.00	64 90
31.	चित्तौड़	130.00	73.00	203.00	19.70	7.50	27.20	21.50	8.40	9.90

परिशिष्ट–3

जिलेवार अनु० जाति एवं जनजाति की साक्षरता दर प्रतिशत 1991

राज्य/जिला	अनु० जाति व्यक्ति	अनु० जाति पुरुष	अनु० जाति महिलाएं	अनु० जनजाति व्यक्ति	अनु० जनजाति पुरुष	अनु० जनजाति महिलाए
1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	26.29	42.38	8.31	19.44	33.29	4.42
गंगानगर (मय हनुमानगढ़)	19.67	30.58	7.28	37.97	53.21	18.80
बीकानेर	18.75	29.73	6.17	44.79	59.85	21.78
चूरू	16.55	28.11	3.91	35.52	53.90	14.22
झुन्झनू	35.21	56.35	12.45	40.36	63.76	15.60
अलवर	32.20	51.25	10.53	31.66	52.45	7.44
भरतपुर	31.41	51.23	8.88	43.54	68.05	13.96
धौलपुर	23.80	38.54	4.46	29.85	50.75	3,66

1	2	3	4	5	6	7
सवाई माधोपुर	26.32	44.19	5.30	30.83	52.15	5.63
जयपुर (मय दौसा)	34.29	54.05	12.11	30.62	51.31	6.90
सीकर	30.24	51.18	7.94	35.03	56.91	11.07
अजमेर	44.60	63.89	23.77	31.04	46.33	13 97
टोंक	24.87	42.65	5.68	22.58	39.89	3.00
जैसलमेर	22.71	38.71	3.79	14.85	26.24	1.40
धौलपुर	24.48	39.06	8.15	14.51	23.78	3.96
नागौर	16.49	29.32	2.69	28.46	45.59	7.12
पाली	26.70	44.92	6.91	13.58	23.49	2 48
बाड़मेर	15.92	27.82	2.42	9.50	17.10	0.79
जालौर	15.71	27.97	2.09	8.69	12.07	0.55
सिरोही	24.31	38.67	8.30	9.00	16.32	2.15
भीलवाड़ा	19.99	33.99	5.02	12.87	22.58	2.17

1	2	3	4	5	6	7
उदयपुर (मय राजसमंद)	32.32	51.07	12,54	12,73	22.21	2.90
चित्तौड़गढ़	24.65	41.82	6.59	10.92	19.61	1.70
डूंगरपुर	27.19	44.26	9.91	18.43	31.94	4.87
बांसवाड़ा	24.90	41.37	7.68	14.15	24.80	3 25
बूंदी	22.57	36.59	6.58	22.07	38.19	3.50
कोटा (मय बारां)	32 70	49.78	13.24	27.54	44.19	8.54
झालावाड़	21.33	35.05	6.13	20.50	34.81	4.45

हायर सैकण्डरी में नियमित प्रवेश की आयु सीमा

194. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्यारहवीं कक्षा में नियमित रूप से प्रवेश लेने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा तय है ? यदि हां, तो कितनी तथा कब से ?

(2) क्या सरकार विद्यमान आयु सीमा में बढ़ोतरी करने या आयु सीमा के बंधन को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विवरणिका के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान है :–

(अ) सैकण्डरी स्कूल परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण की हो अथवा हायर सैकण्डरी परीक्षा स्वयं पाठी के रूप में प्रविष्ठ होकर अनुतीर्ण रहे छात्रों के लिए उच्च माध्यमिक की कक्षा में प्रवेश के समय आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(ब) सैकण्डरी स्कूल परीक्षा नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण छात्र नियमित छात्र जो हायर सैकण्डरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण या बोर्ड द्वारा किन्हीं कारणों से परीक्षा में वंचित किया गया हो को उच्च माध्यमिक की कक्षा–11 में पुन: प्रवेश के समय आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(स) एक बार नियमित छात्र के रूप में सैकण्डरी स्कूल परीक्षा में बैठकर अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के पुन: स्वयपाठी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् कक्षा 11वीं में प्रवेश के समय आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मृत राज्यकर्मी के आश्रित को नियुक्ति

195. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने विभाग के कर्मचारी श्री दीनदयाल दैया की राज्य सेवा के दौरान मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित के रूप में उनकी विधवा श्रीमती मीना देवी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर पदस्थापन हेतु उपनिदेशक (महिला) जोधपुर को सुपुर्द कर दिया था ? यदि हां, तो नियुक्ति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(2) क्या यह भी सही है कि उप-निदेशक (महिला) जोधपुर ने इनका पदस्थापन राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भनियाना, जिला जैसलमेर में कर दिया था ? यदि हां, तो पदस्थापन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मात्र एक ही पद है तथा उस पर भी किसी अन्य के कार्यरत रहने के कारण श्रीमती मीनादेवी को कार्य ग्रहण नहीं करवाया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त सूचना उप निदेशक (महिला) जोधपुर को कब प्राप्त हुई ?

(4) क्या श्रीमती मीना देवी को अन्य किसी स्थान पर पदस्थापित किया गया है ? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी, हां। सूचना 24–10–96 को प्राप्त हुई।

(4) जी, हां। श्रीमती मीना देवी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थापन जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) जैसलमेर के कार्यालय में आदेश दिनांक 17–2–97 के द्वारा किया जा चुका है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

मृत राज्यकर्मियों/विकलांगों के बच्चों को छात्रवृत्ति

196. श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मृत राज्य कर्मचारी के बच्चों तथा विकलांगों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है ? यदि हां, तो किस कक्षा तक तथा कितनी–कितनी राशि ?

(2) क्या उक्त छात्रवृत्ति के लिये सरकार के कोई नियम हैं ? यदि हां, तो उक्त नियमों/आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। विकलांगों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं।

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बयाना (भरतपुर) का भवन

197. श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा (बयाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री वृजेन्द्रसिंह सूपा)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बयाना (भरतपुर) में छात्राओं की संख्या 400 है ? क्या यह भी सही है कि उसी भवन में दूसरे स्कूल के छात्रों को भी पढ़ने की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बयाना की छात्राओं को बैठने के लिये पर्याप्त भवन है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बयाना, भरतपुर विद्यालय के भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा असुरक्षित घोषित किये जाने के कारण इसमें अध्ययनरत छात्राओं को अगस्त, 96 से राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बयाना में बैठने की व्यवस्था की गई।

मृत राज्यकर्मियों के आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति के नियम

198. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1977–78 से 1980-81 के मध्य एक मृतक राज्य कर्मचारी से सम्बन्धित कितने आश्रितों को राजकीय सेवा में लेने के नियम रहे हैं ? नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मृत राज्य कर्मचारी के स्वयं के पुत्र/पुत्री/पत्नी के होते हुए अन्य को राजकीय सेवा दी जा सकती है ?

(3) क्या चाचा/चाची व उसके लड़के भी मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों की श्रेणी में आते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1973 में मेहरूकला (अजमेर) में कार्यरत किसी सहायक अध्यापक की मृत्यु पर उनके आश्रितों को नियम विरुद्ध तरीके से एक से अधिक नियुक्तियां दी गई थीं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त मृतक राज्य कर्मचारी प्रकरण को महालेखाकार के अंकेक्षण दल ने भी आपत्तिजनक माना है ?

उत्तर

(1) मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित भर्ती नियम 1975 के तहत नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। नियम की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। कार्मिक विभाग से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर मृतक कर्मचारी के भाई के पुत्र को नियुक्ति प्रदान की गई है।

(5) प्रकरण लोकायुक्त में विचाराधीन है। लोकायुक्त से प्राप्त निर्णय के आधार पर कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी।

(6) जी हां। प्रवेक्षण पैरा महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

चित्रकला विषय के अध्यापकों की पदोन्नति

199. श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 10+2 योजना लागू होने से पूर्व जयपुर जिले के किन–किन राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चित्रकला वैकल्पिक विषय के रूप में संचालित था ? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चित्रकला तृतीय श्रेणी अध्यापकों की पदोन्नति हेतु जिलेवार पात्रता सूची बनायी जाती है ? यदि हां, तो जयपुर जिले के तृतीय श्रेणी चित्रकला अध्यापकों की पात्रता सूची पूर्व में तथा अन्तिम रूप से कब बनाई गई थी ? यदि नहीं तो क्यों ? सूची मय नाम सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी चित्रकला अध्यापकों को पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या एवं कब ? उक्त निर्णयों की अनुपालना में शिक्षा विभाग ने अब तक पदोन्नति देने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 10+2 योजना लागू होने से पूर्व जयपुर जिले में 13 उच्च माध्यमिक तथा 01 माध्यमिक विद्यालय में चित्रकला विषय वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन करवाया जाता था विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। उपलब्ध द्वितीय वेतन श्रृंखला चित्रकला अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्रता सूची का निर्माण किया

(शिक्षा मंत्री)

जाता है। जयपुर जिले के चित्रकला के अध्यापकों की पात्रता सूची सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अन्तिम बार निर्मित पात्रता सूची में पात्रता रखने वाले तृतीय श्रेणी अध्यापकों के नाम एवं विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) 10+2 योजना (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986) के तहत कक्षा 10 में चित्रकला विषय ऐच्छिक विषय के रूप में अध्ययन नहीं करवाये जाने के परिणाम स्वरूप आदेश दिनांक 4.11.92 से द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला में चित्रकला अध्यापकों की नियुक्ति नहीं दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तृतीय वेतन श्रृंखला में नियुक्त चित्रकला अध्यापकों को सामान्य अध्यापकों की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

प्रश्न के भाग—1 की सूची

(1) राज० बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर, जयपुर

(2) राज० बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गणगौरी बाजार, जयपुर

(3) राज० बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर, जयपुर

(4) राज० बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाराजा, जयपुर

(5) राज० बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कमला नेहरू, जयपुर

(6) राज० उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोद्दार, जयपुर

(7) राज० उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांभर लेक, जयपुर

(8) राज० उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौमूं

(9) राज० उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा

(10) राज० उच्च माध्यमिक विद्यालय, विराट नगर

(11) राज० उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटपूतली

(12) राज० उच्च माध्यमिक विद्यालय, दरबार, जयपुर

(13) राज० बालिका माध्यमिक विद्यालय, चौड़ा रास्ता, जयपुर

(14) राज० उच्च माध्यमिक विद्यालय, चाकसू

प्रश्न के भाग संख्या 2 की सूची

क्र सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम व पिता का नाम	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता/वर्ष	प्रशैक्षणिक योग्यता/वर्ष विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	चयन वर्ष (जिसके लिए पात्रता अन्तिम बार निश्चित)
1.	1	श्री तरुण कुमार पंचाल/शिवनाथ, राउप्रावि, महाराजा बैसिक, जयपुर	3.11.57	हा. सै.–79	आर्ट डिप्लोमा 79 मूर्ति कला–79	19–10–83	92–93
2.	65-ए	एल सी. डेनीयल/सी. डी. डेनियल मूक बधिर, जयपुर	27.10.42	सै.–60	डिप्लोमा–67	10–7–63	96-97
3.	1	'सावित्री शर्मा'/राधेश्याम एम.बी.डी. बाल मन्दिर	17.12.38	हा. सै.–74	डिप्लोमा–82	17–8–74	96-97
4.	II–ए	शैलाबालोनी/गरिमा नन्द राबाउप्रावि, ब्रह्मपुरी	30 10.79	बी.ए.–77	डिप्लोमा–77	23–11–74	96–97
5.	I–ए	ब्रजबाला भार्गव/नारायण प्रसाद उप्रावि, निवारू	02.08.51	एम.ए.–78	डिप्लोमा–78	23–12–78	96–97
6.	2	रमा कुमारी/राधाकृष्ण रामावि, बोराज	15.08.44	बी.ए.–76	डिप्लोमा–76	06–01–79	96–97
7.	3	रजनीबाला/किशोर चन्द्र उप्रावि, हथरोई	17.09.56	बी.ए.–84	डिप्लोमा–80	28–09–81	96–97
8.	4	पूनम शर्मा/शिवराज राप्रावि, बालकला मन्दिर, सांगानेर	31.03.55	बी.ए.–84	डिप्लोमा–80	02–05–84	96–97

विद्युत मण्डल में डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को पदोन्नति के मानदण्ड

200. श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कुल कितने (ई.एण्ड.एम.) अभियन्ता सेवारत हैं ? इनमें डिप्लोमाधारी बी ई. एम. ई. व पी. एच. डी. योग्यता रखने वालों की योग्यतानुसार संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार द्वारा विद्युत मण्डल में डिप्लोमा, बी. ई., एम.ई. व पी. एच. डी. की योग्यता रखने वाले अभियन्ताओं के वेतन व पदोन्नति हेतु वरिष्ठता में उक्त योग्यता के आधार पर क्या-क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं ?

(3) क्या वर्तमान में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कनिष्ठ अभियन्ताओं (डिग्री/डिप्लोमा वाले को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान में कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा/डिग्री) को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु 50% सीधी भर्ती 30% डिप्लोमाधारियों व 20% डिग्रीधारी अभियन्ताओं को वरिष्ठता से पदोन्नति करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या विद्युत मण्डल में वर्ष 1973 से 1996 तक 12½% से 30% डिप्लोमा व 87.5% से 70% डिग्रीधारी अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दी गई है, जबकि सीधी भर्ती नगण्य है ? क्या इसके परिणामस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा ई.एण्ड एम.) को पूरे सेवाकाल में पदोन्नति का एक अवसर भी नहीं मिल सकेगा ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में मण्डल क्या मापदण्ड अपनाने का विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कनिष्ठ अभियन्ताओं के 1100 पद क्रमोन्नत कर स्टेगनेशन दूर किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत मण्डल को निर्देश देकर स्टेगनेशन दूर करने हेतु कनिष्ठ अभियन्ताओं के वांछनीय पदों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 1977 से 1980 तक नियुक्त करीब 900 कनिष्ठ अभियन्ताओं (डिप्लोमा) (ई एण्ड. एम.) को पूरे सेवाकाल में पदोन्नति का एक भी अवसर नहीं मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कम-से कम एक पदोन्नति देने हेतु नियमों में संशोधन अथवा पदों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में नियुक्त एवं यांत्रिक संवर्ग में कनिष्ठ अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता संवर्ग तक कुल 4461 अभियन्ता हैं। डिप्लोमाधारी, बी. ई., एम. ई. व पी.एच.डी. की योग्यता रखने वाले अभियन्ताओं की संख्या निम्न प्रकार है :–

1–डिप्लोमाधारी	1553
2–बी. ई.	2861
3–एम. ई.	44
4–पी. एच. डी.	3
	4461

(2) विद्युत मण्डल में डिग्री व डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं को उच्च पदों पर पदोन्नति राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल अभियन्ता सेवा विनियम 1969 में दिये गये निर्धारित मापदण्डों/प्रावधानों के अनुसार की जाती है। सहायक-अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु डिग्री व डिप्लोमाधारी अभियन्ता का न्यूनतम अनुभव निम्न प्रकार है :–

1- कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक-अभियन्ता के पद पर—

(अ) डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता जिसने दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ब) डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता जिसने सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2– सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर—

(अ) डिग्रीधारी सहायक अभियन्ता जिसने पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ब) डिप्लोमाधारी सहायक अभियन्ता जिसने 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

अधिशासी अभियन्ता से ऊपर के उच्च पदों पर डिप्लोमाधारी अभियंता पदोन्नति हेतु योग्य नहीं हैं।

मण्डल में कनिष्ठ अभियन्ता की वेतन श्रृंखला 1400–2900 है। नियुक्ति के समय डिप्लोमाधारी को 1400/- बी. ई. व डिग्रीधारी को 1850/- वेतन दिया जाता है। एम. ई, पी.एच.डी. की योग्यता वाले अभियन्ताओं को निम्नानुसार अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है :–

1. स्नातकोत्तर डिप्लोमा	एक अग्रिम वेतन वृद्धि।
2. स्नातकोत्तर डिग्री	दो अग्रिम वेतन वृद्धि (कम से कम 50/- रुपये।)
3. पी. एच. डी.	तीन अग्रिम वेतन वृद्धि।

(ऊर्जा मंत्री)

एम. ई. व पी. एच. डी. डिग्रीधारी अभियन्ताओं को अलग से पदोन्नति में लाभ दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां। नियमों से सम्बन्धित प्रावधानों के ब्यौरे की प्रति परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(4) जी हां। मण्डल में वर्ष 1993 तक 100 पदोन्नति सीधी भर्ती से भरे जाने वाले सहायक अभियन्ता के पदों पर मण्डल में कार्यरत डिग्री व डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता को प्रचलित नियमों के अनुसार 75 : 25 के अनुपात में पदोन्नति दी गई है। वर्ष 1994 में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले सहायक अभियन्ता के पदों पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाकर नियुक्ति दी गई है तथा शेष बचे हुये पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को भी नियमानुसार भरा गया है। वर्ष 1994 के बाद सीधी भर्ती से भरे जाने वाले सहायक अभियन्ता के पदों को मण्डल में उपलब्ध डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं से भरा गया है। शेष 50% पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को डिग्री/डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही भरा गया है। वर्तमान में वर्ष 1975 तक नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वितीय/डिप्लोमाधारियों को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है।

(5) जी नहीं। विद्युत मण्डल में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(6) विद्युत मण्डल में 1975 तक नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वितीय (डिप्लोमाधारियों) को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। नियमों में संशोधन करने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पिछले दो वर्षों में जनवरी, 1995 से अब तक 231 कनिष्ठ अभियन्ता (ई. एण्ड एम.), 18 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) व 3 कनिष्ठ अभियन्ता (पी.एल.सी.सी.) को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसी प्रकार 96 सहायक अभियन्ता (ई. एण्ड एम.), 8 सहायक अभियन्ता (सिविल) व 4 सहायक अभियंता (पी.एल.सी.सी.) को अधिशासी अभियन्ता के पद पर तथा 18 अधिशासी अभियन्ता (ई. एण्ड एम.), 3 अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व एक अधिशासी अभियन्ता (पी.एल.सी.सी.) को अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर पदोन्नत किया गया है।

परिशिष्ट "ग्र"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUNIOR POSTS :								
1.	Assistant Engineer. (Elect.) including Assistant Controller of Stores.	2000—4000	* w. e. f. 15.7.92 30% by direct recruitment 49% by promotion from JEN (Degree Holder) on the basis of seniority-cum-merit. 21% by promotion from JEN (Diploma Holder) on the basis of seniority cum-merit.	@ JEN Gr. I/II (Elect.)	B.E. (Elect.) or AMIE (Elect.) or qualification declared equivalent by Govt. with (£) two years service as JEN (Elect.) or Diploma Holder from a recognised Institution with 7 years requisite experience	(+) BOARDS DECISION Chairman 1/3d period of total regular service, subject to maximum of two years put in by a person as JEN Gr. I/II in the . . . . . Board before passing the AMIE Examination be counted towards the minimum eligibility period of two years for appointment as AEN. This will, however, not give such employees and claim for seniority. In		

* Substituted for the figure 25% and 75% vide order no dt. 15.7.92. (The figure 25% and 75% was substituted for figure 50% vide order No. 67 dt. 6.8.79 and figure 50% was substituted for the figures 75% and 25% vide order No. 39 dt. 28.12 73).

£. Substituted for the figure and words "3 years" vide order No. 43 dt. 24.6.71

(+) Substituted vide order No 99 dt 22.12.79 (effective from 1 4.79) for the following:

'For appointment against degree holder quota in AMIE JEN/Overseer shall be eligible for appointment as AEN if he has rendered 2 years service as JEN/Overseer after passing AMIE Examination or a total service of 7 years as JEN/Overseer, whichever is earlier. (The note was inserted vide order No 33 dt. 55.71 as note No. 2 and note No. 1 which reads as 'The vacant posts of AEN will be filled by direct recruitment and promotion in the ratio of 50:50 upto 31.3.73, was deleted vide order No 39 dated 28 12 73)

@ The words "JEN Gr. I/II" were substituted for the words. "JEN/Overseer vide order No. 86 dated 28-11-79 and the words "JEN/Overseer" were substituted for the words "Junior Engineer" where ever appearing vide order No. 33 dt 15.10.73.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w. e. f 1.1.93 35% by direct recruitment. 42% by promotion from JEN (Degree Holder) on the basis of seniority-cum-merit.		as @ JEN Gr.I/II (Elect).	the list of Degree Holders he will be placed junior to all the Degree Holders recruited before the date of his passing the AMIE Examination and will be senior to those who are recruited, after the date of his passing the examination.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			23% by promotion from JEN (Diploma Holder) on the basis of seniority-cum-merit. w. e. f 1.1.94 40% by direct recruitment. 35% by promotion from JEN (Degree			*Note : The specified qualification of the B. E. Degree AMIE and the diploma in Engineering as also the requirement of experience in a particular service will not apply in case of those who are assigned to this service by the Board on the basis of their options given by 31st July, 1975.		

@ The words "JEN Gr. I/II" were substituted for the words "JEN/Overseer" vide order No. 86 dated 28.11.79 and the words "JEN/Overseer" were substituted for the word "Junior Engineer" where-ever appearing vide order No. 33 dt. 15.10 73.

* Inserted vide notification No. 54 dt. 7.7 75.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Holder) on the basis of seniority cum-merit. 25% by promotion from JEN (Diploma Holder) on the basis of seniority cum-merit. w.e.f. 1.1.95 45% by direct recruitment. 27% by promotion from JEN Degree Holder) on the basis of seniority-cum-merit. 28% by promotion from JEN (Diploma Holder) on the					

Page No. 122

(१२२)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			basis of seniority-cum-merit w.e.f. 1.1.96 50% by direct recruitment					
--	--	--	20% by promotion from JEN (Degree Holder) on the basis of seniority-cum-merit.	--	--	--	--	--
..	..	..	30% by promotion from JEN (Diploma Holder) on the basis of seniority-cum-merit.	-		..		..
			(*) Note : 1 1/3rd vacancies under direct recruitment quota shall he filled from					

The following note No. 1 was deleted and the existine note No. 2 was renumberred as note No. 1 vide order No. 32 dt. 15.7.92. "The persons will be promoted from Degree Holders and Diploma Holders in the ratio of 3:1 (the words and figures "the ratio of 3:1" was substituted for the words "equal proportion" vide order No. 39 dt. 28.12.73)"

amongst the existing JENs' Gr. 1 who have served for 2 yrs on the 1st April of that year by holding a separate competitive Exam. Due weightage shall be given to service experiences and performance of such JENs for selection in such examination @ The standard and	syllabus for competitive examination will be as laid down in schedule-III to Appendix-A.

@ The last line was inserted vide No. 18 dt. 11.2.93.

(A note 3 as below was inserted vide order No. 70 dt. 21.7.90 which was deleted vide order No. 124 dt. 20.12.91 : Provided that if in a particular year after filling up the posts in the manner prescribed under proviso ting of Regulation 16 if it is not possible to fill up the posts by direct recruitm en' to the extent of 55% the remaining number of posts under direet recruitment quota may be filled in from amongst the existing JEN. 1 Electrical/Mechanical) on the basis of merit Such Junior Engineer (Ir.) appointed against the post of Asstt. Engineer will not be treated at par with the condiclates appointed by directed recruitment for all purpose and their oppointment will not be treated as promotion.

The procidure and other condition for filling up of these posts will be same as prevailin; for other category of posts from filled up by merit selection under these Regulations)

विद्युत मण्डल में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं का पदोन्नति प्रकरण

201. श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कुल कितने कनिष्ठ अभियन्ता (ई एण्ड एम.) सेवारत हैं ? इसमें से कितनों को किस–किस वर्ष से (सहायक अभियन्ता वेतनमान) चयनित वेतनमान (2200–4000) दिया जा रहा है ? वर्ष 1992 से अब तक का वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मण्डल के क्रमश: आदेश संख्या 1124, 1718 एवं 26 दिनांक 30-5-1991 2–8-1991 एवं 3–1–1996 के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं के साथ भेद-भाव कर शेष सभी कर्मचारियों को दो वर्ष से चयनित वेतनमान प्राप्त करने एवं पन्द्रह वर्ष की सेवा पश्चात् उच्च पदोन्नति पदनाम दिया गया है ? क्या कनिष्ठ अभियन्ताओं को उक्त लाभ नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों व कनिष्ठ अभियन्ताओं की स्टेगनेशन अवधि क्या है ? क्या अब उक्त आदेशों को कनिष्ठ अभियन्ताओं (ई. एण्ड एम.) पर भी लागू करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या मण्डल प्रशासन खर्च में कमी एवं स्टेगनेशन दूर करने हेतु चयनित वेतन-मान प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ताओं (डिग्री/डिप्लोमाधारी (ई. एण्ड एम.) की एक वरिष्ठता सूची बना कर वरिष्ठता से पदोन्नति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में लगभग 2180 कनिष्ठ अभियन्ता (ई. एण्ड एम.) सेवारत हैं। वर्ष 1996 तक चयनित वेतनमान प्राप्त कर रहे कनिष्ठ अभियन्ता (ई. एण्ड एम.) का विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) आदेश दिनांक 30–5–1991 एवं 2–8–1991 के द्वारा तकनीकी कर्मचारी जो चयनित वेतनमान प्राप्त कर रहे थे को उच्च पदनाम दिया गया है। आदेश दिनांक 3–1–1996 के द्वारा लेखाकार (राजस्व) का पदनाम सहायक राजस्व अधिकारी किया गया था। तकनीकी कर्मचारियों की भांति चयनित वेतनमान प्राप्त कर रहे कनिष्ठ अभियन्ताओं का पदनाम कनिष्ठ अभियन्ता (सलेक्शन ग्रेड) आदेश सं० 269 दिनांक 18–1–1996 के द्वारा कर दिया गया था। डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता (ई. एण्ड एम.) में स्टेगनेशन अवधि 14 वर्ष है एवं डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं (ई. एण्ड एम.) में 5वर्ष है।

(3) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कनिष्ठ अभियन्ता डिग्री एवं डिप्लोमाधारी की वरिष्ठता सूची अलग–अलग बनाकर रखी जा रही है एवं उसी के अनुरूप निर्धारित अनुपात में पदोन्नति दी जाती है। मण्डल ने डिग्री व डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं से पदोन्नति हेतु प्रतिशत निर्धारित किया हुआ है जिसके अनुरूप ही पदोन्नति दी जाती है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1992 वर्ष 1996 तक चयनित वेतनमान स्वीकृत कनिष्ठ अभियन्ता (ई. एण्ड एम.) का विवरण —

वर्ष	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रथम) (डिग्री)	कनिष्ठ अभियन्ता (द्वितीय) (डिप्लोमा)
1992	179	570
1993	117	22
1994	27	17
1995	34	—
योग –	357	609

जिला बून्दी के ग्रामों में विद्युत कनेक्शन्स

202. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले के ग्राम बूढकरवर, काशीपुरा (पंचायत माणी) बालापुरा (पंचायत सिसोला) तथा बैरवा बस्ती खटकड़ के व्यक्तियों द्वारा विद्युत कनेक्शनों के लिए माग पत्र की राशि जमा करवाई जाने के उपरान्त भी मौके पर विद्युत सम्बन्ध नहीं दिये गये है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या विद्युत मण्डल द्वारा उक्त विद्युत सम्बन्ध जारी करने की तैयारी की जा चुकी है ? यदि हां, तो किस प्रकार तथा अब कब तक उक्त ग्रामवासियों को विद्युत सम्बन्ध जारी कर दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बून्दी जिले के ग्राम बूढकरवर, काशीपुरा (पंचायत माणी) बालापुरा (पंचायत सिसोला) तथा बैरवा बस्ती खटकड़ में वर्तमान में कोई घरेलू आवेदन–पत्र, जिसके मांग पत्र की राशि जमा हो, का मामला विचाराधीन नहीं है ।

(2) उक्त ग्रामों में घरेलू श्रेणी के विचाराधीन आवेदन पत्र, जिनकी मांग-पत्र की राशि जमा थी उन सभी को कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा वर्तमान में कोई प्रार्थना–पत्र विचाराधीन नहीं है ।

जयपुर में विद्युत् बिलों के भुगतान की व्यवस्था

203. श्री मुल्कराज सिंह (रायसिंह नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गोविन्द नगर डी. सी. एम. गोदाम, हीरा नगर अजमेर रोड जयपुर तथा इस कालोनी के पास की कालोनियों के विद्युत् सम्बन्धी भुगतान आदि की व्यवस्था अब तक भांकरोटा (हीरापुरा पावर हाउस) में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि भांकरोटा से वैशाली नगर विद्युत् बिलों सम्बन्धी समस्त भुगतान कार्य वैशाली नगर जयपुर करता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय उक्त कालोनियों से काफी दूर होने के कारण आम उपभोक्ताओं को समय के साथ–साथ ट्रेफिक के कारणों से जान माल का खतरा, आर्थिक परेशानी की सम्भावना होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। भांकरोटा के अधीन गोविन्द नगर, डी. सी. एम. गोदाम, हीरा नगर, अजमेर रोड, जयपुर तथा इसके पास की कोलोनियों के विद्युत् सम्बन्धित भुगतान आदि की व्यवस्था हीरापुरा पावर हाउस में है।

(2) भांकरोटा उप खण्ड से सम्बन्धित बिलों के भुगतान की व्यवस्था सिर्फ भांकरोटा, हीरापुरा पावर हाउस एवं सिरसी कलेक्शन सेंटर पर ही है।

(3) पूर्व में भांकरोटा उप खण्ड से सम्बन्धित बिलों के भुगतान लेने की व्यवस्था मात्र भांकरोटा से की जाती थी। लेकिन वर्तमान में भांकरोटा, हीरापुरा पावर हाउस व सिरसी कलेक्शन सेंटर पर भुगतान लेने की व्यवस्था उपलब्ध है जो कि सभी कालोनियों के नजदीक है। इसके अतिरिक्त और कोई कलेक्शन सेंटर खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर जिले का विद्युत भार

204. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर जिले का कुल विद्युत् भार कितना है ? 1. कृषिभार 2. उद्योग भार 3. घरेलूभार का विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समितिवार आज तक विभिन्न योजनाओं में कृषि कनेक्शन जैसे 1. सामान्य श्रेणी 2. नर्सरी श्रेणी कितने है तथा इनका पंचायत समितिवार विद्युत भार कितना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र का कुल संबद्ध भार 5,00519

(ऊर्जा मंत्री)

कि.वा है। वृतवार संबद्ध भार निम्न प्रकार है :—

1–नगर वृत, जोधपुर–2,20630 कि.वा.
2–जिला वृत, जोधपुर–2,79,889 कि.वा.

कुल योग – 5,00,519 कि.वा.

पंचायत समितिवार कृषि, उद्योग एवं घरेलू संबद्ध भार निम्न प्रकार से है :—

क्र.सं	पंचायत समिति का नाम	कृषि (कि.वा.)	उद्योग (कि.वा.)	घरेलू (कि.वा.)	कुल (कि.वा.)
1.	ओसिया	57595.02	2062.42	7228.20	66885.64
2.	मण्डोर	12877.60	4096.26	2769.30	19743.16
3.	लूनी	5752.00	12326 00	2943.00	21021.00
4.	फलोदी	5847.00	3512.00	5768.00	15127.00
5.	बाप	11083.00	706 00	1719 00	3508.00
6.	बालेसर	7485.00	733.00	3068 00	11286.00
7.	शेरगढ़	6848 00	398.00	1087.00	8333.00
8.	बिलाड़ा	36649.00	21920 00	18507.00	77076.00
9.	भोपालगढ़	35115 00	1688.00	1659.00	38462.00
		169151.62	47441.68	44748.50	261441.80

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जोधपुर जिले में पंचायत समितिवार सामान्य एवं नर्सरी कनेक्शन एवं उसका संबद्ध भार का विवरण निम्न है :–

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	सामान्य श्रेणी	संबद्ध भार कि.वा.	नर्सरी	संबद्ध भार कि.वा.
1.	ओसियां	2985	50186.17	445	7408.85
2.	मण्डोर	1136	12530.60	56	348.00
3.	लूनी	580	5521.00	36	231.00
4.	फलोदी	284	4867.00	44	980.00
5.	बाप	55	843.00	10	240.00
6.	शेरगढ़	378	5273.00	70	1575.00
7.	बालेसर	543	7125.00	16	360.00
8.	बिलाड़ा	3701	6609.00	132	1040.00
9.	भोपालगढ़	2625	33940.00	155	1175.00
		12287	155894.77	964	13356.85
	जोधपुर शहरी क्षेत्र	381	3250.00	16	114.00
	कुल योग जोधपुर जिला	12668	159744.77	980	13470.85

स्पिन फैड का गठन

205. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि एकाधिक सहकारी मिलों का समामेलन करके स्पिन फैड संस्था बनाई गई है ? यदि हां, तो कब व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इस समामेलन कार्य में उक्त मिलों के कपास उत्पादक सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इन उत्पादक सदस्यों की प्रत्येक इकाइवार कितनी सदस्य संख्या थी ? अब उनकी क्या संख्या रह गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इस समामेलन व्यवस्था में प्रत्येक पृथक इकाई का आर्थिक लाभ हानि का समामेलन भी हुआ है ? यदि हां, तो विगत 3 वर्षों का विवरण सम्मिलित और इकाईवार सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या इस नई व्यवस्था से सहकारिता के आर्थिक विकेन्द्रीकरण, लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्थानीय समन्वय आदि का ह्रास नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) जी नहीं । स्पिनफैड का पंजीयन दिनांक 7-3-92 को हुआ था । सहकारी मिलों का समामेलन तत्पश्चात दिनांक 1-4-93 को हुआ था ।

(2) जी नहीं ।

(3) स्पिनफैड में प्रत्येक इकाई का आर्थिक लाभ हानि का भी समामेलन हुआ है । विगत तीन वर्षों का लाभ हानि विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	कुल रोकड़ लाभ	सभी इकाइयों की सम्पत्तियों पर कुल घिसावट	कुल आयकर लाभ	समामेलित शुद्ध लाभ आयकर पश्चात्
93–94	836.81	140.91	65.00	630.90
94–95	510.92	139.57	42.00	329.35
95–96	177.18	279.71	—	(–) 102.53

इकाईवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।

(4) जी नहीं । क्योंकि नई व्यवस्था सहकारी सिद्धान्तों, नियमों एवं सहकारी व्यवस्था के परिधि में ही की गई है ।

परिशिष्ट-1

इकाइवार विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	स्पिनिंग इकाई गंगापुर	स्पिनिंग इकाई गुलाबपुरा	स्पिनिंग इकाई हनुमानगढ़	जिनिंग इकाई गुलाबपुरा
1.	1993–94	395.85	139 36	299.35	2.25
2.	1994–95	274.81	(–) 60.18	290.85	5.44
3.	1995–96	150 27	(–) 250.38	264.02	13.27

सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ जंक्शन के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण

206. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सहकारी स्पिनिंग मिल के कर्मचारी अपनी मांग के संबंध में दिसम्बर में लम्बे समय तक आन्दोलनरत थे ? यदि हां, तो सरकार द्वारा श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु क्या उपाय किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि श्रमिक संगठनों की ओर से मैनेजमेंट को 11 सूत्री ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मांग पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सहकारी क्षेत्र में स्थापित स्पिनिंग मिलों के नियम, कानून एवं श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे संस्थानों में एक रूपता लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, स्पिनफैड की हनुमानगढ़ इकाई के श्रमिक अपनी मांगों को लेकर दिसम्बर, 93 से स्लो डाउन पर रहे। निराकरण हेतु श्रमिकों से अनेक बार वार्ताएं की गई एवं अंततः 15-1-97 को समझौता हो गया है।

(2) जी हां। श्रमिक संगठन से 11 सूत्री ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिस पर अनेक वार्ताएं की गई। त्रिपक्षीय वार्ता कर समझौता दिनांक 15-1-97 को सम्पन्न हो चुका है।

(3) फैडरेशन में समामेलित स्पिनिंग मिलों में लागू किये गये नियम व कानूनों में पूर्णतया समानता है, केवल श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं में कुछ अंतर है जो कि स्थानीय परिस्थितियों या श्रमिक संघों के साथ हुए समझौतों के आधार पर है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति रजोपा (कोटा) का चीनी प्रकरण

207. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति रजोपा जिला कोटा में चीनी के गबन के संबंध में धारा 70 के अन्तर्गत जांच विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो उक्त जांच पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा सरकार अब कब तक इस जांच को पूर्ण कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रजोपा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., कोटा में चीनी के गबन के संबंध में धारा–70 के अन्तर्गत जांच विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं, कोई जांच विचाराधीन नहीं होने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

सिरोही सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि० के व्यवस्थापक का निलंबन प्रकरण

208. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दी सिरोही सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. सिरोही के तत्कालीन प्रबन्ध संचालक के कार्यालय आदेश दिनांक 24-9-1988 के द्वारा तत्कालीन व्यावस्थापक, मूंगथला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. लैम्प्स, मूंगथला को मात्र दो आरोप यथा अनुपस्थित रहने एवं विशेष लेखापरीक्षक सिरोही के आदेशों की अवहेलना के कारण निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? बैंक द्वारा जिस उपस्थिति प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन दिया जाता है की वर्ष 1988 की माहवार प्रति एवं विशेष लेखापरीक्षक के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यवस्थापक को दिनांक 3–10–1988 के आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच हेतु किसी अन्य जांच अधिकारी को नियुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच अधिकारी का नाम एवं जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभागीय पंजीयक अथवा संयुक्त पंजीयक की अनुमति के बिना बैंक के आरोप पत्र दिनांक 3-10-1988 के आरोपों को छिपाकर, बैंक द्वारा अपने कार्यालय आदेश दिनांक 27-7-1990 के द्वारा उक्त व्यवस्था को अन्य नये आरोप लगाकर बिना जांच किये एवं जांच सहभागी किये सीधे ही सेवा से पृथक कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो दिनांक 27--7-1990 के सेवा पृथक के आदेश में लगाये गये सभी आरोपों का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बैंक द्वारा निलम्बन किये जाने पर निर्वाह भत्ता दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या उक्त व्यवस्थापक को उनके निलम्बन काल का निर्वाह भत्ता दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब बैंक कब तक और कितना निर्वाह भत्ता दिये जाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री छोटेलाल लखारा, व्यवस्थापक, मूंगथला ग्राम सहकारी समिति लि., को निम्न आरोप के कारण निलंबित किया गया है :—

1. समिति में अनुपस्थित रहने के कारण।

(सहकारिता मंत्री)

2. विशेष लेखा परीक्षक को ऑडिट हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने के कारण।

3. आवंटित कार्य समय पर सम्पादित नहीं करने के कारण।

वर्ष 1988 में भुगतान किये गये वेतन के संदर्भ में प्राप्त उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं विशेष लेखा परीक्षक, सिरोही के आदेश दिनांक 14-9-88 की प्रतियां परिशिष्ट-1 व 2 पर सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किये जाने के कारणों की पृथक से जांच करायी जा रही है।

(3) जी नहीं। समिति व्यवस्थापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार की व्यवस्थापक सेवा नियमानुसार अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक द्वारा 3-10-88 को जो आरोप पत्र जारी किये गये थे, उन पर अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा धारा 74 के अन्तर्गत दो प्रकरणों में श्री लखारा को 2215.52 एवं 2243/- रु. की राशि के लिए एवं निरीक्षण पत्र के आधार पर रु 55,000/- की राशि की अनियमितता/गबन के लिए दोषी पाये जाने के कारण सेवा नियम 17(4) के अन्तर्गत सेवाएं समाप्त की गई। श्री लखारा को सेवा से पृथक करने संबंधी विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। श्री लखारा द्वारा निलम्बन काल में अपनी उपस्थिति निर्धारित स्थान पर नियमित रूप से नहीं देने एवं अन्यत्र धन उपार्जित नहीं करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण बैंक द्वारा निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया है। श्री लखारा को सेवामुक्त कर दिया, लेकिन श्री लखारा की सेवामुक्ति के सम्बन्ध में एक वाद सं. 1690/95 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन होने के कारण निर्वाह भत्ता भुगतान के सन्दर्भ में निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अयोग्यता प्रकरण

209. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार ग्राम पंचायतों में सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों के दो से अधिक सन्तानें होने पर उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार को उपरोक्त नियमों के उल्लंघन बाबत सरपंचों, वार्डपंचों, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद के सदस्यों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कितने सदस्यों को इस बाबत अयोग्य करार दिया

(श्री भीमराज भाटी)

गया ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार इन दोषी सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने की मंशा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19(ठ) के अन्तर्गत दिनांक 27.11.95 के पश्चात् पंचायतों, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में निर्वाचित सरपंच, पंच एवं सदस्य के दो से अधिक संतान पैदा होने की स्थिति में अन्र्हता की श्रेणी में आ जाने से उनकी सदस्यता धारा 39(1) के अन्तर्गत समाप्त करने का प्रावधान है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के पास धारा 19(ढ) के अन्तर्गत सरपंच/पंच पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के कुल 462 सदस्यों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से दिनांक 28.2.97 तक 242 निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा चुका है. उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) अन्य जिन सदस्यों के विरुद्ध धारा 19(ढ) के अन्तर्गत जांच चल रही है। जांच पूर्ण होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन

210. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 87 के अनुसार पंचायतों के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है ? क्या यह सही है कि पंचायत समिति द्वारा इस धारा का उल्लंघन कर कई कार्य स्वयं के स्तर पर कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) प्रधान एवं विकास अधिकारी अधिनियम की धारा 87 के विरुद्ध किन अधिकारों के अन्तर्गत स्वयं ही निर्णय कर कार्य करवाने को सक्षम हैं ? यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने के मामलों में राज्य सरकार प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ निर्माण कार्य पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा नियम विरुद्ध कराये गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जहाजपुर में पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है ? यदि हां तो क्या सरकार पंचायत समिति जहाजपुर में कार्यरत

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कर्मियों के इन कृत्यों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 87 में यह प्रावधान है कि पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत कार्य पंचायतों के माध्यम से निष्पादन कराये जावे। जिले की पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा इस धारा का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही अपने स्तर पर कार्य कराये गये हैं।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति जहाजपुर के प्रधान एवं विकास अधिकारी द्वारा धारा 87 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नियम विरुद्ध नहीं कराये गये हैं अतः जांच कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) जी नहीं। कराये गये निर्माण कार्यों के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत धोबलाई (जयपुर) के वार्ड पंच के विरुद्ध आरोप

211. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, धोबलाई, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर के वार्ड सं. 5 के वार्ड पंच के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच में पंचायत की राशि गबन करने, महिला वार्ड पंचों को पंचायत की बैठक में नहीं बोलने देने आदि आरोप सिद्ध होना पाया गया है ?

(2) उक्त वार्ड पंच को जिला कलक्टर द्वारा किस तारीख को आरोप पत्र भेजा गया ? आरोप पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वार्ड पंच के विरुद्ध विभागीय जांच हेतु जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आमेर को किस दिनांक को आदेश दिये गये ? उपखण्ड अधिकारी द्वारा निश्चित अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी अब तक विभागीय जांच रिपोर्ट नहीं भेजने का क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री लल्लूराम वार्ड पंच को जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा दिनांक 14.6.96 को आरोप पत्र भेजा गया था। आरोप पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त वार्ड पंच के विरुद्ध विभागीय जांच हेतु जिला कलक्टर द्वारा उप खण्ड अधिकारी, आमेर को दिनांक 20.8.96 को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच के आदेश दिए गए थे। प्रकरण में दोनों पक्षों के बयानात ले लिए गए हैं, जांच 15 दिवस में पूर्ण कर ली जायेगी।

परिशिष्ट 'क'

आरोप पत्र श्री लल्लुराम खाती वार्ड पंच, वार्ड नं.–5 ग्राम पंचायत धोबलाई पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ (जयपुर)

आरोप पत्र

आरोप संख्या–1

यह है कि आप ग्राम पंचायत धोबलाई के वार्ड नं.–5 से निर्वाचित सदस्य हैं तथा पंचायत बैठक दिनांक 22-11-95 व 22-12-95 में जो निर्णय सर्व सम्मति से अतिक्रमणों को हटाने का लिया गया था। उसमें आप भी सम्मलित थे। इसके उपरान्त आप श्री सुवानाथ पुत्र लादुनाथ के साथ मिलकर आपने पंचायत के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में दावा पेश किया और आपने पंचायत नियमों की अवहेलना की। अतः आप दोषी हैं।

आरोप संख्या–2

यह है कि आप अपने पद पर रहते हुए मार्च, 95 में गोचर भूमि के पेड़ों की लूम पत्ति एवं झाड़िया पंचायत की बैठक में निर्णय लिए बिना ही वाला-वाला ही बेचान कर दिया, और राशि का गबन कर लिया अतः आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अतः आप दोषी हैं।

आरोप संख्या–3

यह है कि आप सचिव के साथ मिलकर, जो महिला वार्ड पंच पंचायत की बैठक में प्रस्ताव रखना चाहती हैं, उन प्रस्तावों के लिए आप द्वारा सचिव को अंकन करने से मनाकर देते हैं।

आरोप संख्या–4

क्या यह सही है कि जब आपके पिता कार्यवाहक सरपंच थे, तब आपने उनसे आपको 150 वर्ग गज भूमि का निःशुल्क भूखण्ड का पट्टा प्राप्त किया था। जिसका पट्टा संख्या 133 दिनांक 29-9-96 का हैं। तथा उस समय आप नाबालिग थे तथा उक्त पट्टे की भूमि पर आप स्वयं काबिज नहीं हुए एवं उसका बेचान

20,000/- रुपये में ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल पारीक को बेचान करा दिया। इस प्रकार आपने एवं आपके पिता ने फर्जी कार्यवाही की है। अतः आप दोषी हैं।

आरोप संख्या–5

आपके द्वारा गऊशाला में चारा डलवाने हेतु दिनांक 25-12-95 को पंचायत कोष से 4000/–रुपये अग्रीम प्राप्त किये थे। लेकिन आपके द्वारा उक्त राशि का अभी तक समायोजन नहीं करवाया गया है। अतः आप दोषी हैं।

आरोप संख्या–6

पचायत द्वारा जो टी. एस. एस. योजना के अन्तर्गत पम्प हाऊस चल रहा है उसकी चाबी आप पंचायत कार्यालय में नहीं रखकर अपने पास रखते हैं, जबकि पंचायत द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया हुआ है। अतः आप दोषी हैं।

ह०

कलक्टर, जयपुर

ग्राम पंचायत नरवाली (घाटोल) का फेसीलीटी पार्क

212. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पंचायत नरवाली (घाटोल) में फेसीलीटी पार्क की स्वीकृति जारी की गई थी ? यदि हां, तो उसमें कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितनी व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पार्क में घटिया किस्म की सामग्री लगायी गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पार्क की बाउण्ड्रीवाल की नींव भी नहीं भरी गई है ?

(4) क्या उक्त पार्क में सरकारी लाइटें, ट्यूबवेल, झूले, फव्वारे, गार्डन आदि का निर्माण प्रस्तावित था ? यदि हां, तो यह कार्य अब तक क्यों नहीं किये गये ?

(5) क्या सरकार इस फेसीलीटी पार्क प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह कार्य वर्ष 94–95 में राशि रु. 4.48 लाख की स्वीकृति हुई थी। जिसमें से रु. 3.82 लाख व्यय हुए हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। नींव खोद कर बाउन्ड्री वाल बनाई गई है।

(4) सीमित संख्या में पेड़ पौधे लगाने का प्रावधान रखा गया है। परन्तु ट्यूबलाइटें, झूले, फव्वारे इत्यादि के लिए स्वीकृति में प्रावधान नहीं हैं।

(5) इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः जांच करवाना प्रस्तावित नहीं है।

ग्राम पंचायत भाटीवाड़ (झुन्झुनूं) का गबन प्रकरण

213. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले की पंचायत समिति उदयपुरवाटी की भाटीवाड़ ग्राम पंचायत के गांव चारण की ढाणी के कुएं में बिजली लगाने, गहरा करवाने आदि कार्यों के लिए विधायक कोष से दस हजार रुपये स्वीकृति में से ग्राम सेवक/ग्रुप सचिव ने गबन कर लिया तथा बिना धनराशि खर्च किये प्रमाण-पत्र हासिल कर लिये ?

(2) यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ अभी तक भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई गई ?

(3) उक्त प्रकरण में अब कब तक पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला विकास प्रधिकरण झुन्झुनूं के आदेश क्रमांक 9861/66 दिनांक 11.11.94 द्वारा विधायक कोष योजनान्तर्गत राशि सार्वजनिक पेयजल कूप बसंतपुरा पंचायत भाटीवाड़ चारण की ढाणी जिला झुन्झुनूं के कुएं में बिजली लगाने, गहरा करवाने एवं फीटिंग बोरिंग कार्य हेतु 10,000/– रुपये की स्वीकृति दी गई थी जिसमें से 3,896 रुपये का कार्य करवाया तथा 6104 रुपयों का सामान क्रय किया गया। यह सामान सम्बन्धित दुकानदारों को लौटा दिया गया हैं तथा सामान से प्राप्त राशि ग्राम सेवक द्वारा रसीद संख्या 23 दिनांक 15.1.97 द्वारा ग्राम पंचायत भाटीवाड़ पंचायत कोष, भाटीवाड़ में जमा कराई जा चुकी है। (संलग्न)

(2) चूंकि सामान की वापसी की राशि 6104 रुपये वसूल हो चुकी है जो ग्राम पंचायत भाटीवाड के पंचायत कोष में जमा हो चुकी है। रसीद की छाया प्रति संलग्न है। अतः कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का मामला अपेक्षित नहीं रहा है।

(3) उक्त प्रकरण की कोई कार्यवाही पुलिस में दर्ज करवाया जाना अपेक्षित नहीं रहा है।

प्राप्ति पत्र ग्राम पंचायत भाटीवाड़ जिला झुन्झुनूं

क्रम संख्या 23 दिनांक 15-1-97

नाम रुपया जमा कराने वाले का मय पूरा पता ग्राम पंचायत भाटीवाड़
....

तादाद रुपया अंकों में 6104.00

केवल 6 हजार एक सौ चार रुपये मात्र।

बाबत सार्वजनिक कुप. चारण की ढाणी सधन्यवाद प्राप्त हुये।

मोटर तार पाइप आदि सामान वापसी व निकाली राशि वापसी वसूली

ह०/–

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव

ग्राम पंचायत भाटीवाड़, जिला झुन्झुनूं

पंचायत समिति छबड़ा (बारां) का भुगतान प्रकरण

214. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि बारां जिले की पंचायत समिति छबड़ा की ग्राम पंचायतों को यू.सी.,सी.सी. जारी हो जाने के बाद भी पंचायत समिति द्वारा भुगतान नहीं करने बाबत जिला कलेक्टर बारां को शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किस–किस ग्राम पंचायत के विरुद्ध और क्या शिकायतें प्राप्त हुई ? उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति छबड़ा ने अपने पत्र संख्या 2415–18 दिनांक 17–12–1996 से जिला कलेक्टर बारां को अवगत कराया कि ग्राम पंचायत सेमली के अन्तर्गत प्राथमिक शाला मोरेला व ग्राम पंचायत कडैयाहाट के प्राथमिक शाला अहमदपुरा व प्राथमिक शाला कडैयाहाट और आगंन बाड़ी कडैयाहाट के यू. सी. सहायक अभियन्ता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जारी किये जाने के बावजूद ग्राम पंचायतों को प्रधान के चैक पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं करने से भुगतान नहीं किया गया। जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारी एवं प्रधान को भुगतान करने के निर्देश दिये। वर्तमान तक सभी भुगतान किये जा चुके हैं। पंचायत समिति, छबड़ा में इस प्रकार का अब कोई प्रकरण अवशेष नहीं है।

सरपंच ग्राम पंचायत बसई द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

215. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत बसई घीयाराम व सिघावली कलां के सरपंच द्वारा मजदूरों से कराये जाने वाले कार्य ट्रेक्टरों से कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त दोषी सरपंचों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। उक्त ग्राम पंचायतों में निर्माण सामग्री की ढुलाई को छोड़कर सभी कार्य मजदूरों से कराये जा रहे हैं।

(2) इन सरपंचों का अभी तक कोई दोष दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। अतः वर्तमान में उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

घाटगेट (जयपुर) बस स्टेण्ड पर प्रदूषण

216. श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि घाटगेट, जयपुर पर बस स्टेण्ड के कारण काफी प्रदूषण होता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग ने उक्त बस स्टेण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु परिवहन विभाग से अनुरोध किया है ? यदि हां, तो कब व सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) घाटगेट बस स्टेण्ट के पास वायु व ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसमें मुख्य कारण वाहनों का आवागमन होना है।

(2) परिवहन विभाग के अनुसार घाटगेट पर निजी/निगम दोनों की बसों का स्टेण्ड है। नये स्थान पर पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण निजी/निगम दोनों के बस स्टेण्डों को स्थानान्तरित किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है। राज. पथ परिवहन निगम ने अपना बस स्टेण्ड घाटगेट से इसलिये स्थानान्तरित करने की अनिच्छा बताई है क्योंकि जब तक निजी बसों का स्टेण्ड स्थानान्तरित नहीं होता, तब तक निगम के स्टेण्ड को स्थानान्तरित करने से निगम को आर्थिक हानि की सम्भावना है।

राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्र

217. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल किने आंगनवाड़ी केन्द्र है; इन केन्द्रों में कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? जिलेवार विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(2) जिला सवाई माधोपुर में कितने और नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां खोलने का सरकार विचार रखती है ?

(3) सवाई माधोपुर की तहसील टोडाभीम में वर्ष 1995–96 में इन केन्द्रों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई, उक्त केन्द्रों द्वारा उक्त अवधि में कितनी व क्या–क्या सामग्री खरीदी गई ? विवरण केन्द्र के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 191 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 27,233 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 22869 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं। प्रत्येक केन्द्र के संचालन हेतु एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को मानदेय पर रखा जाता है। वर्तमान में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। परिशिष्ट "अ"

(राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास)

(2) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1996-97 के दौरान नवीन स्वीकृत सवाई माधोपुर शहरी परियोजना के अन्तर्गत 75 आंगनबाड़ी केन्द्र नगरपालिका क्षेत्र में खोले जावेंगे।

(3) सवाई माधोपुर की टोडाभीम परियोजना में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये वर्ष 1995-96 में विभिन्न पदों पर राशि का आवंटन व किये गये व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। परिशिष्ट "ब"

यह व्यय परियोजना कार्यालय द्वारा अथवा निदेशालय द्वारा किया जाता है, केन्द्रों द्वारा कोई सामग्री क्रय नहीं की जाती।

परिशिष्ट "अ"

आंगनवाड़ी केन्द्र एवं कार्यरत स्टाफ का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत केन्द्र	कार्यरत आंगनबाड़ी	
			कार्यकर्ता	सहायिका
1.	अजमेर	693	424	428
2.	अलवर	860	569	571
3.	बाड़मेर	1273	1242	1221
4.	बांसवाड़ा	1234	1207	1221
5.	बून्दी	497	262	218
6.	बीकानेर	835	503	462
7.	बांरा	371	326	326
8.	भरतपुर	1408	1127	1120
9.	भीलवाड़ा	1027	1004	1014
10.	चित्तौड़गढ़	866	848	858
11.	चुरू	1124	938	871
12.	धौलपुर	527	367	316
13.	दौसा	865	664	564

1	2	3	4	5
14.	डूंगरपुर	782	782	782
15.	हनुमानगढ़	751	521	434
16.	जयपुर	2266	2031	1722
17.	झालावाड़	570	303	306
18.	झुन्झुनूं	279	272	272
19.	जालौर	999	918	734
20.	जोधपुर	901	704	677
21.	जैसलमेर	327	314	314
22.	कोटा	615	333	346
23.	नागौर	1454	1255	1202
24.	पाली	756	605	599
25.	राजसमन्द	290	289	289
26.	सीकर	159	157	149
27.	सवाई माधोपुर	1486	1125	1060
28.	सिरोही	620	573	530
29.	गंगानगर	1067	835	805
30.	टौंक	846	783	737
31.	उदयपुर	1485	1469	1473
	योग :–	27233	22750	21621

परिशिष्ट "ब"

सवाई माधोपुर की टोडाभीम परियोजना में वर्ष 1995–96 में विभिन्न मदों में आवंटन व व्यय का विवरण।

क्र.सं.	उपमद	आवंटन	व्यय
1.	मानदेय	10.18	7.99
2.	आंगनबाड़ी (आवर्तक)	0.237	0.237
3.	दवाइयां	0.03	0 03
4.	भवन किराया (आंगनबाड़ी केन्द्र)	0.27	0.264
5.	किशोर बालिका	0.80	0.57
6.	परिवहन (परियोजना से आंगनबाड़ी केन्द्र)	0.76	0.32
7.	पोषाहार पर कुल व्यय (निदेशालय स्तर पर)		10.21

बाल विकास परियोजना, किशनगंज (बारां) का गबन प्रकरण

218, श्री कमल (हिण्डौन): क्या महिला एव बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाल विकास परियोजना, किशनगंज, जिला बारां में पोषाहार गबन के आपराधिक षडयन्त्र के लिये क्षेत्रीय उप निदेशक, कोटा द्वारा दिनांक 11–7–1996 को जांच रिपोर्ट में बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं उसके तथाकथित पति को दोषी मानते हुये भी केवल परिवहन ठेकेदार के विरुद्ध ही सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है ? यदि हां, तो गबन के मुख्य अभियुक्तों यथा; बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं उसके तथा–कथित पति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने के कारणों सहित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा सी. सी. ए. नियमों तथा संवैधानिक प्रावधानों की जान-बूझकर अवहेलना कर

(श्री कमल)

सी. सी. ए. नियम 16 के तहत बाल विकास परियोजना अधिकारी किशनगंज (निलम्बित) के विरुद्ध अधीनस्थ विभागीय अधिकारी से विभागीय जांच करवाने के बजाय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां (विभाग का गैर अधीनस्थ अधिकारी) से विभागीय जांच करवाने के आदेश प्रदान किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इसके कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विभाग की नियम विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त कर विभाग के अधीनस्थ मुख्यालय अधिकारी से विभागीय जांच करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बा.वि.परि. अधिकारी किशनगंज जिला बारां में पोषाहार गबन के प्राथमिक जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय उप निदेशक, कोटा द्वारा दि. 11–7–1996 को भिजवाई गई थी इसमें बा. वि. परि. अधिकारी, किशनगंज एवं सम्बन्धित परिवहन ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराते हुए बा. वि. परि. अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अभिशंसा की गई थी तथा परिवहन ठेकेदार के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु विभागीय स्वीकृति चाही गई थी। यह स्वीकृति क्षे. उप निदेशक कोटा को प्रदान कर दी गई जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना, भवरगढ़ में दर्ज हुई। इसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। बा. वि. परि. अधिकारी को निलम्बित कर उनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं। इस जांच रिपोर्ट में बाल विकास परि. अधिकारी के तथाकथित पति का कोई उल्लेख नहीं था।

(2) जी नहीं। राज. सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 16 (4) में जब दोषी कर्मचारी आरोपों को अस्वीकार करता है तो आरोपों की जांच करने की आवश्यकता होती है। यह जांच अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं कर सकता है या किसी अन्य अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है। यदि वह आवश्यक समझे तो एक जांच मण्डल भी नियुक्त कर सकता है। क्षेत्रीय उप निदेशक, कोटा का पद रिक्त है तथा इस प्रकरण में जांच बारां जिले से संबंधित है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष के लगभग सभी गवाह भी बारां जिले के हैं, अतः तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जांच निष्पक्षता व शीघ्रता से कराने के उद्देश्य से उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां को नियुक्त किया गया है।

(3) जी नहीं। क्योंकि प्रकरण में कोई नियम विरुद्ध कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बामनवास के पंचायत मुख्यालयों हेतु निगम बस सेवा

219. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार तहसील बामनवास के ग्राम बिछोछ, बरनाला बाटोदा पंचायत मुख्यालयों को पथ परिवहन बस सेवा से जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। तहसील बामनवास के ग्राम बिछोछ, बरनाला, बाटोदा पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाले मार्ग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं है, इन मार्गों पर निगम का संचालन अनार्थिक रहने का अनुमान हैं। अतः इन मार्गों पर परिवहन निगम की बस सेवा चलाये जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को देय सुविधाएं

220. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर द्वारा दिनांक 29–10–1996 को अपने एक आदेश से राजस्थान के स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनकी विधवाओं को दी जा रही सुविधाओं को कम किया गया है ?

(2) क्या सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को सहयात्री की यात्रा सुविधा राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क देना समाप्त करना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1 व 2) जी नहीं। तथापि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के आदेश दिनांक 29–10–1996 से कुछ रोड़वेज डिपो में उत्पन्न हुई भ्रांति के पश्चात् निगम प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और यह भी निर्देश दिये हैं कि यदि कहीं कोई अतिरिक्त किराया राशि स्वतन्त्रता सेनानियों से वसूल हुई हो तो उसे आवेदन प्राप्त होने पर लौटा दिया जाये। स्वतन्त्रता सेनानियों को निगम बसों में अभी तक प्राप्त सुविधाएँ मिलती रहेंगी।

कोटा, बारां व झालावाड़ जिलों में निजी बसों को परमिट

221. श्री भरतसिंह (सांगपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा, बारां व झालावाड़ जिले में परिवहन विभाग द्वारा किन–किन मार्गों पर कितनी निजी बसों को चलाने का परमिट जारी किया गया है ? सूची मय वाहन नम्बर सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन मार्गों पर जहां बसें चलाने का परमिट जारी किया गया है, वहां बसे

(श्री भरतसिंह)

चलती हैं या नहीं इसका समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है ? यदि हां, तो गत छः माह में कब–कब किस–किस मार्ग का निरीक्षण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि कोटा, कैथून, खानपुर वाया अरण्डखेडा बिनयानी मार्ग पर चलने वाली निजी बसें इस मार्ग पर नहीं चल कर सीधे ही कैथून, देवली, सांगोद राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलती हैं तथा राज्य परिवहन निगम की ओर से भी इस मार्ग पर पर्याप्त बसें नहीं चलाई जा रही हैं ?

(4) इस मार्ग पर निगम की कुल कितनी बसें स्वीकृत है तथा कितनी बसों का संचालन हो रहा है ? गत तीन माह की आय तथा बसों के संचालन का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां । इन मार्गों पर चलने वाली बसों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है । गत छः माह में किये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है ।

(3) निर्धारित मार्ग पर बसें चलने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं । शिकायत प्राप्त होने पर मार्ग की चैकिंग कराई जाकर वाहनों के चालान बनाये गये हैं । परिवहन निगम द्वारा कोटा से सांगोद वाया कैथून, देवली राष्ट्रीयकृत मार्ग पर वर्तमान में उपलब्ध यात्री भारी के अनुरूप 29 परिचक्र दैनिक संचालित किये जा रहे हैं ।

(4) इस मार्ग पर निगम की कुल 10 बसें स्वीकृत हैं । वर्तमान में निगम की 9 बसें संचालित हैं । वाहनों की समय-सारणी एवं गत तीन माह की आय तथा बसों के संचालन का विवरण परिशिष्ट "ग" एवं "घ" पर उपलब्ध है ।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालयमें रखा गया)

जिला बांसवाड़ा की योजनाओं का क्रियान्वयन

222. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बांसवाड़ा में कोई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(2) जिला बांसवाड़ा में इन योजनाओं के क्रियान्वयन की क्या गति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) हां, योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर दिया जा रहा है।

(2) वर्ष 1996-97 में बांसवाड़ा जिले के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मद में 514·78 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से माह दिसम्बर 96 तक 248·54 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है जो 48·28 प्रतिशत है।

परिशिष्ट—1

इस विभाग के माध्यम से बांसवाड़ा जिले में विशेष सहायता मद से चलाई जा रही योजनाओं के नाम :—

(1) कृषि विकास की योजनाएं
(2) फल विकास
(3) पशुपालन कार्यक्रम
(4) मतस्य विकास
(5) सहकारिता
(6) सिंचाई योजनाएं
   (अ) कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा कराना।
   (ब) एनीकट निर्माण।
   (स) लिफ्ट सिंचाई।
   (द) सामुदायिक डीजल पम्प सैट वितरण।
   (क) पी. वी. सी. पाइप वितरण।
(7) पुलिया निर्माण
(8) जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण
(9) शिक्षा से सम्बन्धित योजनाएं
(10) चिकित्सा शिविरों का आयोजन
(11) फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम

(12) प्रशिक्षण कार्यक्रम

(1) एस. टी. सी.

(2) बी. एड

(3) जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण

(4) आई. टी. आई.

(5) मिनी आई. टी. आई.

(13) मुफ्त कानूनी सहायता

राज्य में आयुर्वेद औषधालयों का सृजन

223. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में 1980 से अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने औषधालय खोले गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में वर्ष 1980 के बाद विभागान्तर्गत (वित्तीय वर्ष 1980-81 से 1996-97 तक) कुल 1242 नवीन औषधालय व चिकित्सालय स्वीकृत/संचालित किये गये हैं। इनका वर्षवार विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट 'क' में रख दिया गया है।

परिशिष्ट–"क"

वर्ष 1980–81 से 1996–97 तक आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्षवार स्वीकृत औषधालयों/चिकित्सालयों की संख्या का विवरण

	जिला	80–81	83–84	84–85	86–87	88–89	89–90	90–91	91–92	92–93	94–95	95–96	योग
1.	अजमेर	4	8	17	2	8	8	2	—	—	—	—	49
2.	अलवर	6	11	21	1	11	11	—	—	—	—	—	61
3.	बांसवाड़ा	4	6	13	2	5	11	2	1	2	1	2	49
4.	बारां	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
5.	बाड़मेर	4	6	12	—	6	4	1	1	—	—	1	35
6.	भरतपुर	19	7	14	—	9	5	1	—	—	—	—	55
7.	भीलवाड़ा	10	9	26	2	7	5	1	—	—	—	—	60
8.	बीकानेर	1	3	9	1	5	7	—	—	—	—	—	26
9.	बून्दी	2	4	8	2	4	2	1	—	—	—	—	23
10.	चित्तौड़गढ़	7	7	11	1	7	7	1	1	1	2	2	47
11.	चूरू	5	8	16	—	7	6	2	2	—	—	—	46
12.	दौसा	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
13.	धौलपुर	—	3	7	—	3	1	1	—	—	—	—	15
14.	डूंगरपुर	4	8	15	4	5	3	2	1	1	1	2	46

	जिला	80–81	83–84	84–85	86–87	88–89	89–90	90–91	91–92	92–93	94–95	95–96	योग
15.	श्री गंगानगर	4	18	21	—	11	11	—	—	—	—	—	65
16.	हनुमानगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	जयपुर	9	18	32	4	17	17	—	1	—	—	1	99
18.	जैसलमेर	1	1	1	—	2	2	—	1	—	—	1	9
19.	जालौर	2	4	10	—	7	6	1	2	—	—	—	32
20.	झालावाड़ा	2	3	4	1	5	2	—	2	—	—	—	19
21.	झुंझनूं	6	7	14	1	7	7	—	1	—	—	—	43
22.	जोधपुर	4	9	19	—	9	20	1	—	—	—	1	63
23.	कोटा	4	5	8	2	6	4	1	1	—	—	—	31
24.	नागौर	5	7	14	—	7	15	1	1	—	—	1	51
25.	पाली	4	9	24	1	11	9	2	3	—	—	3	66
26.	राजसमन्द	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
27.	सीकर	5	7	17	1	8	8	—	1	—	—	—	47
28.	सवाई माधोपुर	5	8	14	—	9	8	1	—	—	—	—	45
29.	सिरोही	2	5	10	—	5	2	—	3	—	—	3	20
30.	टोंक	5	5	10	1	5	5	1	1	—	—	—	33
31.	उदयपुर	6	14	33	4	14	14	1	1	1	1	3	92

जयपुर जिले में भाषायी अल्पसंख्यक शिक्षकों का पदस्थापन

224. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या भाषाई अल्प संख्यक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निदेशालय शिक्षा बीकानेर द्वारा वित्तीय वर्ष 1975–76, 1982–83 से वित्तीय वर्ष 1984–85 एवं 1991–92 में जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा जयपुर की भाषाई अल्प संख्यक शिक्षकों के किस–किस श्रृंखला के कितने–कितने पद कब–कब सृजित किए गए ? प्रत्येक के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त स्वीकृत पद किन–किन पाठशालाओं में दिए गए ? उन पर वर्तमान में पदस्थापित शिक्षकों की विद्यालय वार नामवार सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें से कितने पदों पर भाषाई अल्प संख्यक के शिक्षक नियुक्त नहीं हैं तथा क्यों ? विद्यालयवार व नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्तमान में जयपुर जिले में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत भाषाई अल्प–संख्यकों के कितने पद किस–किस विद्यालय में ऐसे हैं जिनको बजट (आय–व्यय) में भाषाई अल्पसंख्यक दर्शाया गया है ? इस बजट में से जिन अध्यापकों का वेतन उठाया जा रहा है, उनका विद्यालयवार, नामवार एवं अल्पभाषा ज्ञान के समर्थन में उन्हें प्राप्त डिग्रियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) जयपुर जिले के अल्प भाषाई शिक्षकों हेतु वर्ष 1996 में कितने पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं, इनमें से अब तक कितने शिक्षकों को चयनित कर नियुक्तियां दी गई तथा कितने शेष पदों पर नियुक्तियां दी जानी लम्बित हैं ? विलम्ब के क्या कारण रहे तथा कौन अधिकारी इस हेतु उत्तरदायी है ? शेष पदों को क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1996–97 में भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर का कार्यालय वर्ष 1991 में सृजित किया गया है, अत: वित्तीय वर्ष 1991–92 में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर को आवंटित भाषाई अल्पसंख्यक के पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर के संचालन से पूर्व प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्पभाषा के निम्न प्रकार से पद आवंटित है :–

क्र.सं.	वर्ष	उर्दू	सिन्धी	योग
1.	1975–76	32	12	44
2.	1983–84	04	05	09
		36	17	53

(भाषाई अल्प संख्यक मंत्री)

दौसा को जिला घोषित किये जाने के परिणाम स्वरूप दौसा परिक्षेत्र से संचालित विद्यालय में स्वीकृत अल्पभाषा (उर्दू) के पद दौसा में स्थानान्तरित हो गये। राज. उच्च प्राथमिक विद्यालय, पहाड़गंज के माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत होने पर 5 पदों का हस्तान्तरण माध्यमिक बजट में किया गया। इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा शिक्षा) जयपुर के अधीन अल्पभाषा के स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

उर्दू-26 तथा 17 सिन्धी भाषा कुल 43 पद कार्यालय के गठन से पूर्व के तथा 33 उर्दू के तथा 8 पद सिन्धी भाषा के वर्ष 1991-92 में आबंटित हुए हैं। इस प्रकार कुल पद उर्दू के -59 तथा सिन्धी के 25 पद आबंटित है।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शिक्षा) जयपुर के अधिन संचालित विद्यालयों में आवंटित भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षकों के पद जिन विद्यालयों को आवंटित किये गये तथा उन पदों पर कार्यरत अध्यापकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) विद्यालयवार कार्यरत अध्यापकों का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(4) 10 उर्दू तथा 2 सिन्धी भाषा के रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। केवल 3 उर्दू के पद जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शिक्षा) के अधीन रिक्त थे। जिनके विरुद्ध नियुक्तियां दी जा चुकी है। वर्तमान में उर्दू का पद रिक्त नहीं होने के कारण पद वर्ष 1996-97 में नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर निर्मित वरियता सूची में शेष रहे आशार्थियों को नियुक्ति दी जानी सम्भव नहीं है। तथा शेष 2 सिन्धी के रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)